

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 फरवरी, 1996

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण



विषय सूची

बीरवार, 29 फरवरी, 1996

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 1
बक आउट	(5) 15
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनराश्म)	(5) 15
ध्यानकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/निधम 84 के अधीन प्रस्तावों की सूचनाएं	(5) 19
बक आउट	(5) 23
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराश्म)	(5) 28
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
प्रो० राम बिलास शर्मा द्वारा	(5) 29
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराश्म)	(5) 30
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
चौधरी बंसी लाल द्वारा	(5) 32

मूल्य :

(ii)

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)	(5) 32
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
प्रो० छतर सिंह चौहान द्वारा	(5) 34
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)	(5) 35
वाक आउट	(5) 62
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)	(5) 63
बैठक का समय बढ़ाना	(5) 69
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)	(5) 69
वाक आउट	(5) 75
राज्यपाल के अभिभाषण पर अध्यक्षवाद प्रस्ताव पर मतदान	(5) 76
वर्ष 1995-96 के अनुपुरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान	
(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा	(5) 76
(ii) अनुपुरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(5) 76

ERRATA

TO

Haryana Vidhan Sabha debates Vol., 1, No. 5, dated the
29th February, 1996

<u>Read</u>	<u>For</u>	<u>Page</u>	<u>Line</u>
मिले	मिलं	28	20
प्रो० राम बिलास शर्मा	प्रो० राक बिलास शर्मा	28	30
फरवरी	फरवरी	32	Top side heading
पानी	पानो	36	11
भागना	भागने	37	10
चौधरी	चोरी	42	17
रहे	रडे	55	25
मुताबिक	मताबिक	69	27
की	का	70	6
स्कूल	स्कल	71	1
चौधरी	चौधरी	72	11
the	rthe	79	16
payment	paymer tt	79	30
expenditure	expenditnre	80	25
that	thar	81	30

Year	Month	Day	Event	Location
1951	1	1
1951	1	2
1951	1	3
1951	1	4
1951	1	5
1951	1	6
1951	1	7
1951	1	8
1951	1	9
1951	1	10
1951	1	11
1951	1	12
1951	1	13
1951	1	14
1951	1	15
1951	1	16
1951	1	17
1951	1	18
1951	1	19
1951	1	20
1951	1	21
1951	1	22
1951	1	23
1951	1	24
1951	1	25
1951	1	26
1951	1	27
1951	1	28
1951	1	29
1951	1	30
1951	1	31

हरियाणा विधान सभा

बोरोवार, 29 फरवरी, 1996

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारीकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members the questions hour.

Providing of Flood Relief

*1249. **Chaudhri Om Parkash Beri**: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that any compensation was given to the officers of Haryana Government for the damage of his/their household goods due to flood during the year 1995; if so, the names thereof alongwith the amount of compensation?

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) : जी नहीं। सरकारी कर्मचारियों के घरेलू सामान के क्षति होने पर उनको मुआवजा देने बारे कोई हिदायतें नहीं हैं।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, बहुत से अखबारों में यह बात आयी है कि कमिश्नर रोहतक डिवीजन को फ्लड के दौरान मकान का घरेलू सामान नष्ट होने के कारण मुआवजा दिया गया है तो क्या उसको यह मुआवजा सेंट्रल एंड के तहत या किसी और मद के तहत दिया गया है इस बारे में भी मन्त्री जी बताने का कष्ट करें। इसके अलावा और दूसरे एम्पलाईज के बारे में भी ये बता दें कि क्या उनको भी इस तरह का मुआवजा देने की कोई इस्ट्रक्शज हैं या कोई नियम इस प्रकार के हैं कि उनके घर का सामान फ्लड की वजह से नष्ट होने के कारण मुआवजा दिया जा सके? इसके अलावा क्या कभी किसी एम्पलाई को इस तरह से कम्पनसेट किया गया है या नहीं। अगर नहीं तो क्या इस तरह के एम्पलाईज को कम्पनसेट करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि अगर किसी गरीब आदमी का फ्लड की वजह से या प्राकृतिक शक्ति की वजह से घरेलू सामान नष्ट हो जाए तो सरकार की तरफ से उसको कम्पनसेट किया जाएगा?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय साधु बेरी साहब ने रोहतक के कमिश्नर का स्पेशल नाम लिया है तो इस बारे में इनको बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि उनको किसी भी तरह के घरेलू सामान नष्ट होने का मुआवजा दिया गया हो। न ही सरकार के पास उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट इस बारे में आयी है। इसके अलावा इन्होंने सरकारी एम्पलाइज के बारे में भी सवाल किया है तो मैं कहना चाहूंगा कि वैसे तो हर एम्पलाइज हरियाणा का ही वासी है और अगर उसका नुकसान फ्लड के दौरान हुआ है तो उसका भी अधिकार मुआवजा लेने का बनता है। लेकिन घरेलू सामान के बारे में जो बात यहां पर आयी है, उसके बारे में कोई भी हिदायत सरकार की नहीं है कि घरेलू सामान के नुकसान होने पर उनको किसी तरह को कोई आर्थिक सहायता दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जिनके घर पक्के थे और वे गिर गए थे तो सरकार की तरफ से उनको दस हजार रुपए और कच्चे मकानों के गिरने पर पांच हजार रुपए दिए गए हैं। लेकिन स्पेशल रूप से घरेलू सामान के नष्ट होने के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री अमीर चन्द भक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से एक बात क्लीयर करना चाहूंगा कि क्या यह बात ठीक है कि घरेलू सामान के नष्ट होने पर कोई मुआवजा देने की बात नहीं है? लेकिन अगर किसी की दुकान का सामान बाढ़ की वजह से खराब हो गया है तो क्या उसे दुकानदार को मुआवजा दिया गया है या नहीं?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, शहरों में फ्लड के दौरान जिन दुकानों में पानी खड़ा था या जिन रेहड़ियों में पानी था या खोखों में पानी था तो इनके लिए सरकार ने जो नॉर्मल बनाए हैं उसके हिसाब से ही उनको मुआवजा दिया गया है।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि बाढ़ से खराब हुए दुकानों के सामान के लिए और बाढ़ की वजह से मकान गिरने के लिए मुआवजा दिया गया है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जो मन्दिर, मस्जिद या गुरुद्वारा हैं या अनाथालय हैं जिनका बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है तो क्या सरकार इन इंस्टीट्यूशंस को भी कोई मुआवजा देने के लिए विचार करेगी? क्या किसी तरह का मुआवजा इनको भी दिया गया है या नहीं? इसी तरह से जो स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग बाढ़ के कारण खराब हो गयी है क्या उनको भी सरकार कोई मुआवजा देने का विचार करेगी?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनको सरकार की तरफ से कोई भी इस प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है।

लेकिन अगर स्कूलों की या चैपलों की बिल्डिंग की कोई नुकसान बाढ़ के कारण पहुंचा है तो सरकार की तरफ से उनको स्पेशल ग्रांट देकर रिपेयर करवाने का प्रावधान है और हमने इस तरह की स्पेशल ग्रांट्स दी भी हैं ।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकारी स्कूलों को ही ये ग्रांट्स दी गयी हैं या जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी इस तरह की ग्रांट्स दी गयी हैं? अगर उनको नहीं दी गयी है तो क्या सरकार इन प्राइवेट स्कूलों को भी इस प्रकार की ग्रांट देने का विचार करेगी? इसी तरह से जो मंदिर, मस्जिद या शक्तिशाली हैं क्या उनको भी बाढ़ में हुए नुकसान की वजह से कोई मुआवजा दिया जाएगा?

श्रीधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का मुआवजा तो सिर्फ सरकारी स्कूलों को ही दिया जा सकता है क्योंकि जितनी प्राइवेट संस्थाएं इस तरह की हैं वे तो केवल बिजनेस के प्वायंट आफ व्यू से चल रही हैं। इसलिए सरकार की तरफ से प्राइवेट संस्थाओं को मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : डांगी साहब, यह बात तो पूरी तरह से नहीं कही जा सकती कि सभी प्राइवेट संस्थाएं बिजनेस के प्वायंट आफ व्यू से चल रही हैं या सभी संस्थाएं बिजनेस कर रही हैं।

श्रीधरी आनन्द सिंह डांगी : सर, यह केवल स्कूलों के बारे में ही बात है।

श्री अध्यक्ष : सब प्राइवेट संस्थाएं बिजनेस थोड़े ही कर रही हैं। केवल जो पब्लिक स्कूल हैं उनको ही कहा जा सकता है कि वे बिजनेस कर रहे हैं। सारी प्राइवेट संस्थाएं ऐसा नहीं कर रही हैं। Private institutions are doing great service to the people of the State and the Nation.

श्रीधरी भोम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो ऐडिड स्कूल हैं, जिनको सरकार की तरफ से ऐड मिलती है अगर उनकी बिल्डिंग भी फ्लड की वजह से नष्ट हो गई है तो क्या सरकार उनको भी मुआवजा देने की कोई स्कीम रखती है। दूसरे, जैसा मन्त्री महोदय ने कहा है कि हाउस होल्ड के नुकसान के लिए किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्या कमिश्नर रोहतक बिबीजन को बाढ़ के दौरान कोई मुआवजा दिया गया है?

श्रीधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कमिश्नर रोहतक को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। तीन बार आप ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। बिना तथ्यों के कोई भी बात कहना उचित नहीं होता है। अखबार को यदि हम आधार मान कर चलें तो सारी बातें ठीक नहीं बनती।

Abolition of Octroi

*1257. Shri Ram Bhajan Aggarwal : Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether any committee in regard to abolition of octroi in the State has been constituted; if so, the report thereof together with the action taken thereon?

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (चौधरी धर्मबीर गाबा) : हां, श्रीमान जी । हरियाणा व्यापार मण्डल की चुंगी खत्म करने की मांग पर विचार करने के लिए दिनांक 8-1-96 को मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है । उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त इस संबंध में आगामी कार्यवाही पर विचार किया जाएगा ।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पिछले सेशन में मन्त्री जी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि जल्द ही आक्टूय खत्म करने के लिए कमेटी कांस्टीच्यूट कर दी जाएगी लेकिन अब जनवरी माह में इन्होंने कमेटी कांस्टीच्यूट की है । इससे जाहिर होता है कि सरकार व्यापारियों के हितों के प्रति उदासीन है । सरकार इतने दिन कमेटी को कांस्टीच्यूट करने में लगाती है तो क्या मन्त्री जी बताएंगे कि उसकी रिपोर्ट इस सरकार के कार्यकाल में आ सकेगी ?

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर सर, कमेटी 8-1-96 को बनी है । इससे पहले मीटिंग हुई थी और व्यापारियों की डिमांड थी कि आक्टूय एबोलिश किया जाए । यह कमेटी भी इसलिए बनाई गई है । मैं अर्ज करूं कि इससे पहले भी एक कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से बनी थी जिसके पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष थे । उस कमेटी की मीटिंग भी मैंने एक बार सी0एम0 साहब के साथ और एक बार एफ0एम0 साहब के साथ अटेंड की थी । उसमें यह फंसला हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट जो करना चाहे हम उसमें दखल नहीं देंगे । उसके बाद जो यह मीटिंग हुई है उसमें यह विचार किया गया कि आक्टूय से जो 48 करोड़ रुपये का रैवेन्यू आता है उसे बन्द करने के बाद रैवेन्यू के क्या सोर्स हो सकते हैं । स्पीकर सर, दिक्कत रैवेन्यू की भी नहीं है, मुख्य दिक्कत यह है कि हमारे जो 6300 या 6400 के करीब वहां नलकस लगे हुए हैं उनको कहां लगाएं । इस सारी बात को देखते हुए कमेटी बनाई गई है ताकि कमेटी फौरन जवाब दे और हम अपना कदम उठाएं ।

श्री राम भजन अग्रवाल : स्पीकर सर, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि आक्टूय से कितनी आमदनी होती है और उसको रिकवर करने के लिए कितना खर्च होता है ?

श्री धर्मवीर गांधी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जो कमेटी कांस्टी-
च्यूट की थी उसकी यह रिपोर्ट नहीं थी कि आकट्राय हटा दिया जाए। इसमें इससे
साढ़े सैताबीस करोड़ रुपये के रवेन्यू की कलैक्शन होती है।

श्री श्री सिंह : इसको रिजर्व करने पर कितना खर्च होता है ?

श्री धर्मवीर गांधी : स्पीकर सर, इसको रिजर्व करने पर तकरीबन छः
करोड़ रुपया खर्च होता है।

श्री अजयत झा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में
जानना चाहता हूँ कि इससे पहले कि आकट्राय हटाया जाये, क्या सरकार ध्यान देगी
कि आकट्राय हटाने से कीमतें कम होंगी ? दूसरी बात यह है कि क्या वे मुलाजिम
जो आज अपना तथा अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं जिनको रोजी-रोटी मिल रही
है क्या इससे उन लोगों को नहीं हटाया जायेगा। अगर आकट्राय हटाने से कीमतें
कम होती हैं तब तो कोई फायदा है वरना आकट्राय हटाकर किसी के बच्चों के पेट
पर लात क्यों मारी जाये। मैं समझता हूँ कि कीमतें कम नहीं होंगी। इसलिए
मैं कहता हूँ इससे पहले आकट्राय में लगे मुलाजिमों को हटाया न जाए और यह
सुनिश्चित किया जाये कि भले ही कीमतें कम हों या न हों मुलाजिमों को नहीं हटाया
जायेगा।

श्री धर्मवीर गांधी : स्पीकर सर, पहली बात तो यह है कि हिन्दुस्तान में
जब से हरियाणा फार्मेशन में आया है इससे पहले जो कीमतें थीं वही चली आ रही हैं।
हमने आज तक उनको रिवाइज नहीं किया है। 6300-6400 के करीब मुलाजिम
आकट्राय इकट्ठा करने के लिए लगाये गये हैं। कमेटी इसलिए बनाई गयी है ताकि
इनको आकट्राय करने के बारे में पता लगा सकें। कर्मचारियों को त्रिफालते का
कोई सवाल नहीं है।

श्री पीर खन् : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह जानना
चाहता हूँ कि चुंगी के जो ठेके दिए हुए हैं उनमें कई ठेकेदार ऐसे होते हैं जो बीच
में ही काम छोड़कर चले जाते हैं। ठेके के लिए उन्होंने सिक्वोरिटी भरी होती है
अगर वे ठेकेदार काम की बीच में छोड़ कर चले जाते हैं तो क्या उनकी सिक्वोरिटी
वापिस होगी या जन्त की जायेगी ?

श्री धर्मवीर गांधी : स्पीकर सर, एक फैसला हुआ था कि कोई ठेकेदार
जो काम नहीं करता है और बीच में ही काम छोड़ कर चला जाता है तब भी उसकी
सिक्वोरिटी वापिस कर दी जाएगी। ऐसी कोई बदिमा नहीं। अगर कोई काम नहीं
करना चाहता है तो न करे।

श्री अमीर खन्द मक्कड़ : स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछले साल जो प्रॉक्लामेशन के ठेके दिए गए थे उनमें पहले की अपेक्षा आमदनी और ठेकेदारों की आमदनी में कितना फर्क था ? क्या ठेकेदारों की आमदनी तीन गुना और चार चार गुना बढ़ी नहीं ? क्या पहले टैक्स की चोरी होती थी जो ठेकेदार ने अपनी आमदनी चार गुना बढ़ा ली है । इसके बारे में ये बता रहे हैं कि एक कमेटी बनाई है । क्या कमेटी यह निश्चित करेगी कि बजट के पास होने से पहले ही इस बारे में फैसला कर दे ताकि बजट में इसका प्रावधान कर पायें । आज बजट में इसका 47 करोड़ की आमदनी का प्रावधान है और छ करोड़ का खर्चा है । बहुत सी कमेटियाँ ऐसी भी हैं जिनको प्रॉक्लामेशन, हाऊस टैक्स देने के बाद भी इतनी आमदनी नहीं होती कि उनके मुलाजिमों की तनखाह दी जा सके । मन्त्री जो यह बताने की कृपा करें कि कमेटी की आमदनी और खर्चा कितना है ?

श्रीधर शर्मबीर गाँवा : स्पीकर साहब, इस बारे में सारी डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है । माननीय सदस्य मुझ से अलग से सिल लें तो मैं इन्हें बता दूँगा ।

Primary Health Centre for the Villages of Tataka and Gurha

*1269. Sathi Lehri Singh : Will the Minister for Health be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to open Primary Health Centres at Villages Tataka and Gurha of District Kurukshetra; if so, the time by which the said Primary Health Centres are likely to be opened;
- whether the arrangements for providing 30 beds in the Community Health Centre, Radaur for which sanction has already been accorded has been made; if not the reasons thereof; and
- whether the building of the aforesaid community Health Centre has been constructed; if not, the time by which it is likely to be constructed?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन कस्तार देवी) :

- (क) गाँव गुड़ा व टाटका में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत के प्रयत्नों में पहले ही खोले जा चुके हैं ।
- (ख) जी नहीं । केस कायवाही में है ।
- (ग) जी नहीं, अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जाना अस्तावित है । इस स्तर पर समय सीमा नहीं दी जा सकती ।

साथी लहरी सिंह : स्पीकर सर, मैं सरकार का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने गुड़ा, टाटका जैसे देहातों में सी०एच०सी० खोलकर बहुत से लोगों को सुविधाएं दी हैं। इसके साथ ये सी०एच०सी० कोई अड़ाई तीन साल से चल रही हैं। लेकिन इनकी बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी है। तो आदरणीय बहिन जी से मैं आप के माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि इनकी बिल्डिंग बननी कब शुरू होगी और कब पूरी हो जायेगी? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सी०एच०सी० खोलने का काउंटेरिया क्या है? सर, जो कम्प्यूनिटी हेल्थ सेंटर राबौर में है उसमें तीस बिल्लरों का अस्पताल लगाने का प्रावधान है लेकिन वह तो तभी पूरा होगा जब बिल्डिंग बनेगी। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि इन्होंने कहा है कि भवन नहीं बने हैं, प्रस्तावित हैं लेकिन समय नहीं दे सकते हैं। इसका क्या कारण है भवन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा? स्पीकर सर, सी०एच०सी० को बने हुए बहुत दिनों हो गए, उसकी पर्याप्त बिल्डिंग कब तक बना देंगे और इसके साथ ही सेवा बीधा प्रश्न छोटा सा और है ताकि बहिन जी बार बार न उठें। वह प्रश्न यह है कि भारत सरकार की तरफ से जो सहायता प्राप्ति है, पंसा प्राप्ति है, उसको ग्राम इन बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं या दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? ग्राम भारत सरकार की राशि के बारे में भी बताने की कृपा करें।

बहिन करतार बेबी : स्पीकर सर, 1991-92 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव टाटका व गुड़ा में स्वीकृत किए गए थे। पंचायत की प्रार्थना पर और मंत्रालय, संसद के अनुसूचक पर लोगों की आवश्यकता को देखते हुए पंचायतों के भवनों में तुरन्त खोल दिए गए ताकि लोगों की विकलांग सुविधा आसानी से उनके नजदीक ही प्राप्त हो सके। तभी से यह कोशिश की जा रही है कि इसके लिए भूमि उपलब्ध करा दी जाए ताकि सरकार उस पर भवन निर्माण कर सके। इसके लिए मेरे पास सूचना उपलब्ध है। उसके अनुसार गुड़ा ग्राम पंचायत ने तो जमीन द्रांसफर करने के लिए निर्देशक पंचायत को प्रार्थना भेज दी है और टाटका गांव की जमीन का अभी कोई जवाब नहीं मिला है। 30-1-96 को उत्तर पूछने हेतु सिविल सर्जन को अनुसूचक किया गया था। मीटी वत यह है कि जमीन जब हमारे नाम द्रांसफर हो जाएगी तब इस पर सरकारी भवन बनाने के बारे में तुरन्त विचार किया जाएगा क्योंकि जो स्वास्थ्य का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, हरियाणा प्रान्त गिने चुने प्रान्तों में से है जिसने राष्ट्रीय नीति के अनुसार निर्माण के लिए अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने राबौर सी०एच०सी० के बारे में भी पूछा है। स्पीकर साहब, नौमंज तो वहां पर पूरे होते हैं और लगभग सब साख की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है। इसलिए यह अपेक्षा कर दिया गया कि लेकिन इसके लिए 4 एकड़ जमीन चाहिए। 4 एकड़ जमीन जहां यह बिल्डिंग बनी हुई है, वहां अवैलेबल नहीं है। उसके अन्दर हमने काफी बिल्डिंग बनाई हुई है लेकिन फिर भी कि 30 बिस्तर आराम से उसमें लग सकें उस संबंध में भी पिछले दिनों मैं राबौर गई थी। यह देखाते हुए कि इतना सुन्दर भवन जो बना

[बहिन करसार देवी]

हुमा है, इसको इस्तेमाल न करके दूसरी जगह बनाए तो 4 एकड़ पर तो इससे भी दुगुना खर्चा होगा और लोगों को जो बिल्कुल शहर के बीच में है यह बिल्डिंग बनने से सुविधा भी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इसी जमीन पर ड्राईंग तैयार करवा कर के, जिसमें इस वक्त 15 बिस्तर लगे हुए हैं और 15 बिस्तरों का एक और वार्ड वहाँ पर बन सके। इस प्रकार की ड्राईंग तैयार करने के लिए अनुरोध किया हुआ है। साथ ही माननीय सदस्य ने जो यह जानना चाहा है कि क्या भारत सरकार से कोई ऐसा पैसा भवन बनाने के लिए मिलता है? तो इस बारे में माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहूँगी कि गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए जिसके अन्तर्गत हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सी०एच०सी० और सब सैन्ट्रल बनाते हैं, तो इसमें पैसा भारत सरकार से भी मिलता है और इसमें हरियाणा सरकार का भी योगदान होता है। इससे देहाती इलाकों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए भवन बनाने के लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ यह है कि इसके लिए अभी तक बहुत सारे भवनों की जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है। फिर भी दो सौ के लगभग पी०एच०सी० जो हैं सरकारी भवनों में इस वक्त चल रही हैं।

श्री अजयत खर्वा : स्पीकर सर, मन्त्री महोदया बहुत काबिल हैं। जैसे यह यहाँ का सवाल नहीं है लेकिन ये हरियाणा के बारे में शायद कुछ जानती होंगी कि हमारे हल्का ह्यीन में सरकार ने 1986 में नांगल जाट और उटावड़ में दो पी०एच०सी० खुलवाए। 1986 में खोले गये इन पी०एच०सी० के लिए 6 एकड़ तथा 4 एकड़ जमीन भी दे दी गई। मेरे ज्वाल में पिछले साल मुझे बताया गया था कि पैसा भी काफी दे दिया गया है लेकिन अभी तक काम उटावड़ और नांगल गांव में शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा जो मलाई भेंट गांव में सरकार ने एक बिल्डिंग स्वास्थ्य केन्द्र के लिए बनाई है, लेकिन वहाँ ए०एन०एम० नहीं है। मेरे इस अपने गांव के बारे में मैंने ग्रीजिसिज कमेटी की मीटिंग में और यहाँ भी पिछले साल कहा था और अब फिर कह रहा हूँ कि बिल्डिंग बने आज 10 साल हो गए। दस साल से आज तक इस बिल्डिंग में कोई ए०एन०एम० नहीं है। मलाई मेरा अपना गांव है वहाँ पर बिल्डिंग की दीवारें खराब हैं, सारा सामान गांव से बाहर चला गया है। फिर भी वहाँ पर पैसा क्यों लगाया गया और क्यों आज तक उसको टेक ओवर नहीं किया। उसको हूब ओवर करने के लिए पी०डब्ल्यू०डी० वाले तैयार हैं लेकिन आज तक हेल्थ डिपार्टमेंट ने वह टेक ओवर नहीं की। मैं चाहता हूँ कि वह बिल्डिंग सरकार अपने कन्ट्रोल में ले।

बहिन करसार देवी : स्पीकर साहब, जहाँ तक ए०एन०एम० न होने का सवाल है यह ठीक है कई जगहों पर इन सैटर्ज में ए०एन०एम० नहीं है। इसका कारण यह है कि गांवों के बाहर जो सैटर बने हुए हैं उनमें सड़कियाँ

जाना पसन्द नहीं करतीं। वे 18 साल की उमर के बाद ट्रेनिंग लेती हैं और ए०एन०एम० लग जाती हैं? उनकी मजबूरी है कि वे गांव के बाहर नहीं ठहर सकतीं। हमने बार बार पंचायतों को अनुरोध किया है कि थोड़ी सी जमीन सब सेंटर के लिए गांव में दे दें। फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत कम गांव हैं जहाँ ए०एन०एम० उपलब्ध नहीं है। पिछले दिनों हमने नई भर्ती करके इनको लगाने की कोशिश की है ताकि सभी जगहें भर दी जाएं। हमें मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दे रखे हैं कि इनकी एडहोक भर्ती करके लगा लिया जाए? इसके अलावा एक और बात है कि मेवात के एरिया में महिलाओं की शिक्षा कम होने के कारण उस एरिया की लड़कियाँ आगे नहीं आईं हालांकि सरकार ने वहाँ पर एक स्पेशल स्कूल खोल दिया है कि वहाँ पर इसी इलाके की लड़कियाँ ट्रेनिंग लें ताकि वे उसी गांव में रह कर अपनी सेवाएँ दे सकें। लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ता है कि उस इलाके में अभी तक महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दिया गया। एक मेट्रिक लड़की तो आराम से मिल जानी चाहिए। फिर भी सरकार ने कोशिश की है कि इनकी नियुक्ति सभी जगहों पर की जाए। जहाँ तक मलाई की बिल्डिंग टेक ओवर न करने का सवाल है, इस वक्त मेरे पास उसके कारण नहीं है लेकिन फिर भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जो दस साल से बनी हुई हो और उसे टेक ओवर न किया गया हो। थसेड़ा की बिल्डिंग को हमने टेक ओवर करके वहाँ पर काम शुरू किया है। यह भवन सरकारी पी०एच०सी० के परंपज के लिए बनाया गया है तो सरकार उसे जरूर टेक ओवर करेगी और वहाँ पर काम शुरू करवाएगी।

श्री अशमभत खी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि मेवात में लड़कियों की तालीम नहीं है इस वजह से वहाँ ए०एन०एम० नहीं लग सकतीं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मेवात की लड़कियों को आज ए०एन०एम० कोर्स करने के लिए दाखिला नहीं मिलता। वहाँ पर लड़कियों की 0ए० और एम०ए० तक पढ़ी हुई हैं न उनको नौकरियाँ मिलती हैं और न ही उनको ट्रेनिंग करने के लिए दाखिला मिलता है। अगर उनको मेवात बोर्ड की तरफ से या सरकार की तरफ से दाखिला दिलवाने का बन्दोबस्त करवाएँ। उसके बाद देखें कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं या नहीं। जहाँ तक मलाई की बिल्डिंग की बात है तो सच यह है कि इस बिल्डिंग को टेक ओवर नहीं किया गया है। वह बिल्डिंग स्कूल के नजदीक है, अगर आप उसे टेक ओवर नहीं करना चाहते तो हमें वह बिल्डिंग इस जमा दो स्कूल की प्लासों के लिए दे दें।

अहमद अस्ताख़ देवी : स्पीकर साहब, मैंने यह नहीं कहा कि हम उस बिल्डिंग को टेक ओवर नहीं करना चाहते हैं। मैंने यह कहा था कि अगर वह सरकारी बिल्डिंग है तो जल्दी टेक ओवर करके काम शुरू करवाएँ। जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है गुडगाँव के अन्दर इस एरिया के लिए स्पेशल स्कूल खोला गया है ताकि

[बहिन करतार देवी]

वहाँ पर मेवात की लड़कियों को एडमिशन मिल सके और उसके बाद वे उस इलाके की सेवा कर सकें।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, लोहारू हल्का बहुत बैकवर्ड है। वहाँ पर कोई ए०एन०एम० नहीं है। वहाँ की दो लड़कियों का ए०एन०एम० के लिए मिले-क-शन हो गया है लेकिन उनको अप्वायंटमेंट नहीं मिला है। मेरे हल्के के नकीपुर गांव में सी०एच०सी० में कोई डाक्टर नहीं जाना चाहता है। जो डाक्टर वहाँ पर गए उन्होंने लिख लिख कर उसको पी०एच०सी० बनवा दिया। उसकी बिल्डिंग हमारे एक लाला जी ने बनवाई थी। वह बहुत अच्छी बिल्डिंग है क्या उसको दोबारा सी०एच०सी० बनाने के बारे में बहिन जी विचार करेंगी और उन दो लड़कियों को ए०एन०एम० का अप्वायंटमेंट देगी। लोहारू में कोई डाक्टर नहीं है। वहाँ पर एक डाक्टर डरगिस्ट था उसका हमने ट्रांसफर करवा दिया लेकिन इस समय वहाँ पर कोई डाक्टर नहीं है। क्या लोहारू में डाक्टर भेजने के बारे में बहिन जी विचार करेंगी ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर साहब, इस बारे में इस वक्त तो पूरी सूचना मेरे पास नहीं है कि कितने डाक्टरों की कमी है। कल इससे संबंधित एक सवाल था उसको मैंने बड़ी गौर से देखा था। जिन डाक्टरों की एच०पी०एस०सी० से मिलेक-शन हुई है उसके अनुसार रोहतक, सोनीपत और सिवानी जिलों में डाक्टरों की कोई कमी नहीं है यानि कोई सीट खाली नहीं है और ए०एन०एम० की भी कोई कमी नहीं है। बहिन जी, हो सकता है वहाँ की ए०एन०एम० गांव में रहती हों, उस सब सेंटर में न रहती हों। नकीपुर सिवानी के बिल्कुल पास है ज्यादा दूर नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती : नकीपुर सिवानी से 40 किलोमीटर दूर है।

बहिन करतार देवी : बहन जी, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहती हूँ। नकीपुर बिल्कुल हरियाणा के एक कोने में है, अगर वहाँ पर सी०एच०सी० की आवश्यकता है तो उसको दोबारा सी०एच०सी० बनाने के बारे में और करेंगे।

श्री सुरजमल : स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ को बंद करने का प्रोग्राम है। उस हॉस्पिटल के सभी डाक्टरों का थोक के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया गया। उस हॉस्पिटल के काम को इन्होंने ठप्प करके छोड़ दिया है। उस हॉस्पिटल के लिए 6 डाक्टरों को बड़ी मुश्किल से तैयार किया था उन सभी को ट्रांसफर कर दिया गया था। उनमें से पांच डाक्टरों का मुख्य मंत्री द्वारा देखल देने पर तबादला वापिस किया है; बाकी सारा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। अगर उस हॉस्पिटल को बंद करना ही तो दूसरी

बात है। वहाँ से सभी डाक्टरों का ट्रांसफर करके उस होस्पिटल के साथ एक मजाक किया गया है।

बहिन करतार देवी : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य सुरजमल जी ने अभी जिस गुस्से की भाषा का इस्तेमाल किया है मैं उसका कोई कारण नहीं समझती। जहाँ तक डाक्टरों के तबादलों का सवाल है, तो वह या तो डाक्टर की रिक्वेस्ट पर किया जाता है या किसी डाक्टर के खिलाफ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड बनता हो तो उसको चेतावनी दे कर उसका तबादला किया जाता है। माननीय सदस्य ने कहा कि सी० एम० साहब के दखल देने के बाद वहाँ पर पाँच डाक्टरों को दोबारा लगाया गया है। वह होस्पिटल 30 बेड का है और नार्म के अनुसार वहाँ पर पाँच डाक्टर होने चाहिए, वे वहाँ पर हैं। अभी पिछले दिनों सी० एम० साहब बहादुरगढ़ गए थे। उस समय इन्होंने वहाँ पर एक नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी थी। उसके लिए पैसा दे दिया गया है और टेंडर लग चुके हैं। हम उसकी खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि गोहाना सिविल होस्पिटल में डाक्टरों के कितने पद खाली पड़े हैं। वहाँ पर कोई सर्जन नहीं है। एक राठी साहब होते थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि गोहाना सिविल होस्पिटल में डाक्टर कब तक भेज दिए जाएंगे ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर साहब, सभी सिविल होस्पिटल के खाली पदों के बारे में मैं इस समय जुबानी कैसे बता सकती हूँ कि कहाँ-कहाँ पर कितने पद खाली हैं। जहाँ तक राठी साहब की बात है, उनका ट्रांसफर कैबिनेट कर दिया गया है।

श्रीधरी शोम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, फरवरी, 1993 में इसी सदन में 10.00 बजे मंत्री महोदय ने बेरी के सिविल हस्पिटल को 1-4-93 से 20 बेड की बजाये 30 बेड का और 1-4-94 से 30 बेड की बजाये 50 बेड का हस्पिटल बनाने जाने का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि हाउस में दिए गए आश्वासन को क्या ये पूरा करेंगे और करेंगे तो कब तक ?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, बेरी हस्पिटल की बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और वह बहुत पुराना हस्पिटल है। वह रोहतक मेडिकल कालेज के अधीन आता है। उस हस्पिटल में सारी सुविधाएँ हैं और बाहर से भी डाक्टर वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। वहाँ पर होस्टल और दूसरी सारी सुविधाएँ हैं। जो डाक्टर मेडिकल कालेज से रूरल एरिया में ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो वहीं पर आते हैं। वहाँ पर 35 बेड का हस्पिटल बनाने की सारी फार्मल्टीज पूरी कर दी गई है। वहाँ पर डाक्टरों की कमी नहीं है और जितनी सुविधाएँ बेरी के होस्पिटल

[बहिन करतार देवी]

में हैं, शायद हरियाणा के और किसी अन्य हॉस्पिटल में नहीं है। सारा काम वहाँ पर मेडिकल कॉलेज, रोहतक के तहत होता है। यदि वहाँ पर हमें और नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता हुई तो वह भी बना देंगे।

श्री अमीर खन्द मन्कड़ : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिन एम्बों में लोगों ने बिल्डिंग बना रखी है या सरकार ने बना रखी है क्या वहाँ पर कांक्टर्ज और दूसरा सामान भेजने की कृपा करेंगे क्योंकि मेरे हल्के में काजमपुर और बटोलेजटान में बिल्डिंग है लेकिन कांक्टर्ज नहीं है। क्या मंत्री महोदय जताने की कृपा करेंगे कि इन हस्पतालों की हालत को कब तक सुधार देंगे ?

बहिन करतार देवी : सरकार की तरफ से जो बिल्डिंग है वहाँ पर तो हम पूरा स्टाफ लगाने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक पुष्पी मंगल में पत्थर लगाया था वहाँ पर बिल्डिंग बनाकर हॉस्पिटल चालू करवा दिया गया है। आप जिन जिन गांवों में यह सुविधा चाहते हैं, लिख कर दे दें, उस पर विचार कर लेंगे और जो नामर्ज को पूरा करते होंगे उनको प्री०एच०सी० में भी कन्वर्ट कर देंगे।

Death occurred in Police Custody

*1273. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state the number of deaths, if any, occurred in police custody in district Faridabad during the period from 1995 to February, 1996 together with the reasons thereof ?

मुख्य मंत्री (श्रीधर अजन लाल) : एक मौत हुई है। रामगोपाल मुक्त टिपेर चन्द निवासी जुनहड़ा ने दिनांक 7-2-96 को पुलिस चौकी संपटर 6 याना सिद्ध फरीदाबाद के शौचालय में तेजाब पी लिया, जिसकी बाद में हस्पताल में मौत हो गई।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो खात सदन में बताया है वह सही हो सकती है कि उसकी मृत्यु हस्पताल में जाकर हुई। उसकी इन्कवायरी एस०डी०एम० से करवाई गई। उसमें लिखा है—

"...It can be safely concluded that Shri Ram Gopal died while being in police custody after consuming corrosive material."

अध्यक्ष महोदय, इनके एस०डी०एम० कहते हैं कि उसकी मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। अध्यक्ष महोदय, राम गोपाल एक गरीब ब्राह्मण का और पुलिस कस्टडी

की वजह से उसकी मौत हुई है। राम गोपाल धार इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में काम करता था जो कि फरीदाबाद में है। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में फेक्टरी मालिकों ने एक ऐसी प्रथा सी बनाई है कि वे जो आदमी लेते हैं, ठेकेदारों के जरिये से लेते हैं ताकि मजदूरों को उन्हें ज्यादा पैसा न देना पड़े। यह ठेकेदारी की प्रथा वहां पर चल रही है। (विघ्न एवं मोर) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या राम गोपाल की मौत पुलिस कप्तान की ज्यादतियों की वजह से हुई है? अगर हाँ, तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गई। देवेन्द्र गुप्ता जो कि राम गोपाल का फेक्टरी मालिक था, वह एफ० एस० पी० से मिला तब उसकी एफ० आई० आर० दर्ज हुई है। यह पुलिस कप्तान उद्योगपतियों से पैसा लेता है। मजदूरों को तंग करता है तथा उनको मारता पीटता है, क्या उस पुलिस कप्तान के खिलाफ ये कार्यवाही करेंगे?

श्री श्री भवान्न शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पुलिस कस्टोडी में हुई मौतों के बारे में जानकारी मांगी थी। जहां तक एफ० एस० पी० के कहने से एफ० आई० आर० दर्ज करने का तालुक है, इस बारे में मैं जतना चाहूंगा कि एफ० आई० आर० दर्ज करवाने वह क्या होगा और हो सकता है कि वह एफ० पी० के मास भी चला गया होगा। एफ० एस० पी० ने एफ० आई० आर० दर्ज करने वाले कह दिया होगा और इसका प्रमाण करने के लिए लिख दिया होगा। पुलिस ने उसको जोरी के केस में पकड़ा था और उससे 4 जोरों भी जमानत करवा ली। उसको रात में ले जाना था। अध्यक्ष महोदय, सम्भावना यह भी हो सकती है कि उसको रात में ले जाने से अपनी बेइज्जती होने का एहसास हुआ होगा, इसलिए लैट्रिन के चहाने वह लैट्रिन में चला गया। वहां पर जो तेजाब सफाई करने वाला होता है उसमें वह तेजाब पी लिया। यह तेजाब बाथरूम की सफाई के लिए वहां रखा हुआ था। तेजाब पीने के कारण वह बेहोश हो गया। बेहोश होने का पता लगते ही उसको फौरन बी० कै० अस्पताल, फरीदाबाद में ले गए और वहां जा कर उसकी मौत हो गई। यह जो घटना हुई है उससे यही अन्दाजा लगाया जा सकता है।

श्री कर्ण सिंह बलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा। जेल के रजिस्टर में साफ लिखा हुआ है कि कैदियों की पहुंच में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसके खाने से अथवा इस्तेमाल करने से उनकी मौत हो जाए। (विघ्न) क्या पुलिस कप्तान का इसमें दोष नहीं है। (विघ्न एवं मोर) मैंने पहले भी आपको बताया है कि पुलिस कप्तान दोषी है। पुलिस कप्तान द्वारा मजदूरों पर ज्यादतियों की जाती है उनको मार पीटा जाता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह कोई क्वेश्चन नहीं है, आप सवाल पूछें।

श्री कर्ण सिंह बलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि चारू इलक्ट्रिकल लिमिटेड के मालिक देवेन्द्र गुप्ता के इन्टरवीन करने पर एस0 आई0 आर0 दर्ज हुई। एस0 डी0 एम0 ने इस बारे में अपनी इन्वॉयसी में साफ लिखा है। इसमें जो तथ्य सामने आए हैं क्या मुख्य मन्त्री जी इस बारे में कोई नई जांच दोबारा से करवाएंगे तथा क्या दोषी पाए गए ठेकेदारों और मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर कर्ण सिंह बलाल के घर में चोरी हो जाएगी तो क्या इनके खिलाफ ही कार्यवाही होगी। अब ये उस मालिक को गिरफ्तार करने की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस गरीब ब्राह्मण के छोटे-छोटे बच्चे थे और हमने फ़ैक्टरी के मालिक से उनके परिवार को अढ़ाई लाख रुपये दिलवाए हैं।

श्री कर्ण सिंह बलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर उसने चोरी की भी तो उसके परिवार को वैसे क्यों दिलवाए ?

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने उन बच्चों के लिए पैसे दिलवाए हैं। जहां तक एस0 पी0 का सवाल है तो वह बहुत ही अच्छा आदमी है और बदभाऊ लोगों को अपने पास फटकने ही नहीं देता है। कर्ण सिंह जी, कोई काम करवाने के लिए उसके पास गए होंगे और उसने इनका काम नहीं किया होगा इसलिए ये उस एस0 पी0 के खिलाफ बोल रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। हमारी नौलेज के हिसाब से सारी स्टेट में दो बच्चों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, वहां की पुलिस और एस0 पी0 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि मरने वाला राम गोपाल, पुत्र श्री टिपेर चन्द है। इनका परिवार मेरा अच्छा स्पोटर है। रतन भी बल्भगढ़ का है। मुझे बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि कर्ण सिंह बलाल जैसे भले आदमी भी लोगों की लाशों पर राजनीति करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब हम वहां पर लाश लेने के लिए गए तो इन लोगों ने उसकी लाश को ले जाने नहीं दिया। राम गोपाल के पिता ने लिखित रूप में दिया हुआ है कि इन्होंने उसे कहा कि आप हमारे साथ चलें, हम जी0 टी0 रोड बंद करेंगे। भजन लाल सरकार से आपको पैसा दिलवाएंगे। इन्होंने उसको धंटा भी किया कि अगर हमारे साथ नहीं चलेंगे तो वह ठीक न होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र सिंह जी आप बैठ जाएं। यह कोई प्रश्न नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह बल्लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का ठीक जबाब नहीं आया है। इसके विरोध में हम वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित हरियाणा विकास पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

तारंकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Handing over the distribution of electricity to Private Sectors

*1247. Chaudhri Om Parkash Beri : Will the Minister for Power be pleased to state whether any decision has been taken by the Government to hand over the distribution of electricity to private Companies in the districts of Gurgaon, Rewari and Mahendergarh; if so, the details thereof?

बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार या बिजली बोर्ड के पास क्या इस किस्म का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि प्राईवेट कम्पनियों को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम सौंप दिया जाएगा। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है तो अब तक कौन-कौन सी कम्पनियों को अधिकार देने का विचार है? इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार के पास ऐसा भी कोई प्रस्ताव है कि इस बिजली बोर्ड को दो हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि इसका एक हिस्सा तो पावर जनरेशन का काम करे और दूसरा हिस्सा बिजली के वांटने का काम करे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैंने कल भी कालिंग अटेंशन मोशन का जवाब देते हुए काफी कुछ इस बारे में बताया था कि हमने वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस बारे में कंसल्टेंसी ली है कि पावर सेक्टर को कैसे मजबूत और बढ़िया किया जाए। कंसल्टेंट ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, जो कुछ उन्होंने रिकमेंड किया है, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रिंसिपली मान लिया है कि जो सुझाव उन्होंने हमें दिए हैं वह हम करें। उस रिपोर्ट में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग-अलग करने की बात है। उस रिपोर्ट में यह भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन को प्राईवेट हाथों में दिया जाए। लेकिन सर, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो पायलट प्रोजेक्ट है उसकी मॉडेलिटी तय की जा रही है। यह भी तय किया जा रहा है कि इस सिस्टम को किस प्रकार से चलाया जाए। केवल इतना ही अभी सोच विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी फैसला नहीं लिया गया है।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो सर्वे करवाया है वह लोगों की सुविधा के लिए करवाया है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो। लेकिन इन्होंने यह सर्वे केवल महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी या गुडगांव जिलों से ही क्यों शुरू करवाया है। क्या इनको वही शरीर इलाके मिलते हैं? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सर्वे पूरे हरियाणा का करवाया गया है या केवल इन तीन जिलों का ही करवाया है? स्पीकर सर, एक ये ही तो इस सरकार में मंत्री हैं जो पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं। ये योग्य भी हैं तथा इनको बिजली के मामले में पूरा अनुभव भी है। ये बिजली पैदा भी ज्यादा कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक तरह से कर सकते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा में बिजली की समस्या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। हरियाणा में बिजली कमी है, उसकी जनरेशन कम है, उसकी मांदा कम है। यह लोगों की कंजर्वेशन के हिसाब से बिजली कम है। अध्यक्ष महोदय, बिजली वितरण की समस्या है तो क्या है, मैं यह जानना चाहता हूँ?

श्री अध्यक्ष : आपका यह क्वेश्चन तो दूसरा है।

प्रो० राम बिलास शर्मा : सर, ये हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं।

श्री वीरेंद्र सिंह : स्पीकर सर, राम बिलास जी को शायद बेरी साहब के सवाल की वजह से भ्रम हो गया है कि महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी या गुडगांव में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट हाथों में देने की योजना है लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि अभी तक इस बारे में कोई भी एरिया स्फैसिफाई नहीं है। न महेन्द्रगढ़, न हिसार, न रिवाड़ी और न ही रोहतक, इसलिए ये इस बात से निश्चिन्त रहें कि महेन्द्रगढ़ या रिवाड़ी पर कोई इस तरह की बात आने वाली है। जो भी इस बारे में एरिया स्फैसिफाई होगा, अभी उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने पूछा कि बिजली की कमी क्यों है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि कुदरती तौर पर ही बिजली की मांग बहुत ज्यादा है जबकि इसकी प्रोडक्शन कम है। इसलिए जैसा मैंने कल भी कहा कि मौजूदा सरकार ने बहुत सारी योजनाओं पर फैसला लिया है। वे योजनाएँ कुछ दीर्घकालीन हैं और कुछ शीर्षक उन्हें शीघ्रता से हैं। दीर्घकालीन योजना वह है जिसमें हम थर्मल प्लांट से और कोयले से बिजली पैदा करेंगे। शीर्षक उन्हें योजना वह है जिससे हम डीजल से बिजली पैदा करेंगे। बिजली की कमी को दूर करने के लिए हमने 1200 मीगावाट बिजली पैदा करने का फैसला लिया है। डीजल से जो प्रोडक्शन होगी 18 महीने में वह बिजली बनकर तैयार हो जाएगी। जब यह बिजली तैयार हो जाएगी तो इसमें हम और 1200 मेगावाट बिजली एड कर लेंगे। तब हरियाणा बिजली के सेक्टर में आत्मनिर्भर होगा और 24 घंटे बिजली मिलेगी।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मोटे हों, ऐक्साइज एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर मोटे हों लेकिन बिजली मंत्री जी के मोटे होने की बात समझ में नहीं आती है, एक तो यह स्पष्टीकरण दें। दूसरे, इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन को अलग करने का कोई पॉलिसी डिस्सीजन नहीं हुआ है। इस पॉलिसी डिस्सीजन के बारे में मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या प्राइवेट सैक्टर में जनरेशन का कटौत करने के बारे में आपने सोच रखा है या कर दिया है। जो 1200 मेगावाट बिजली का डीजल से जनरेशन कराएंगे उसके बारे में आप अपना पॉलिसी डिस्सीजन बताइए। बिजली की बोरी इंडस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है। इंडस्ट्रीब्यूशन आप अपने हाथ में रखे हुए हैं और जनरेशन प्राइवेट सैक्टर में दे रहे हैं। आप यह भी बताएँ कि निकट भविष्य में जहाँ जनरेशन कराएंगे उनको इंडस्ट्रीब्यूशन देंगे या नहीं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, पहले तो मैं चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को अपने मोटे होने के बारे में बता दूँ। जब इनकी माता जी का निधन हुआ और मैं अफसोस जताने के लिए गया था तो वहाँ भी इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मोटे नजर आते हो। तो मैंने इनको बताया कि मुझे आजकल दवाई लेनी पड़ रही है, उससे मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया है। फिर भी इनको तसल्ली नहीं हुई और आज फिर पूछ लिया। आप शाम को मेरे घर आ जाएँ तो वह दवाई मैं आपको दिखा दूँगा। (हंसी) स्पीकर सर, जहाँ तक इनकी दूसरी बात का सवाल है तो मैंने इस बारे में राम विलास जी के सवाल के जवाब में भी बताया था कि सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर यह निर्णय लिया है। जो कंसलटेंट ने रिक्मेंडेशन दी है, जो उनकी रिपोर्ट आई है उसमें इंडस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन तीनों को प्राइवेट सैक्टर में देने की रिक्मेंडेशन है। तीनों के बाद री-स्ट्रक्चरिंग चालू होगी। जब भी फैसला होगा तो आहिस्ता-आहिस्ता तीनों पर ही अमल किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन तीनों को ही सुधारा जाएगा।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : विद्युत मंत्री जी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो कंसलटेंट्स हैं जिनसे कि रिपोर्ट आती है, हमने खूब अच्छी तरह से देखा है कि वे लिबरलाइजेशन के अप्रदूत हैं। वे ऐसी ही आपसे सिफारिश करेंगे जिससे राज्यकोष पर बोझ पड़े। यह तो राजनीतिक फैसला है, आप लेंगे या नहीं, यह बतायें ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : इस बारे में मैंने कह दिया है और हमने फैसला ले लिया है कि हम इस रिपोर्ट को लागू करेंगे। किस तरह से करेंगे, फेजिबल में करेंगे। कितना समय लगेगा, that decision has not been taken but this decision has definitely been taken by the State Government कि कंसलटेंट ने जो रिपोर्ट दी है हमने सैद्धांतिक तौर पर उसको लागू करने का फैसला किया है।

Providing of Sewerage System in villages

*1274. **Shri Karan Singh Dala** : Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide sewerage facilities in all the villages of the State during the year 1996?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : जी नहीं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन जी से यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1996 के दौरान राज्य के सभी गांवों में जल-निकास की सुविधाएँ देने के बारे में कोई प्रस्ताव हरियाणा सरकार के विचाराधीन है? अध्यक्ष महोदय, हमारी समझ में यह नहीं आता कि सदन से बाहर अखबारों में इन्के मुख्य-मन्त्री और मन्त्री महोदयों का क्या बयान देते हैं कि हरियाणा के गांवों में सीवरेज सिस्टम लागू करने जा रहे हैं और सदन के अन्दर कहते हैं कि ऐसी कोई स्कीम इनके विचाराधीन नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदयों से यह अश्वसित चाहता हूँ कि आज गांवों में रहने वाले लोगों की जिन्दगी नरक बन चुकी है तो क्या मन्त्री महोदयों ने बेहतर बानी करके और लोगों की दिक्कतों को समझते हुए सीवरेज सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगी। आज गांवों में बहुत-बेटीयों को जंगल-पानी के लिए तीन-तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिए सीवरेज सिस्टम लागू करना बहुत जरूरी है। आप जयते-जयते यह काम करने की कृपा करें।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय भाई ने यह पूछा है कि वर्ष 1996 में देहात में जल-मल-निकास का कोई प्रावधान करेंगे। मैं इसकी यह बताना चाहूँगी कि फिलहाल बड़े शहरों में यह काम हो रहा है। इसके बाद कस्बों में यानि छोटे शहरों में यह काम किया जायेगा। उसके बाद हमारी लोकप्रिय सरकार ने निर्णय लिया है कि पांच हजार की आबादी वाले गांवों और उससे ज्यादा आबादी वाले गांवों को इस योजना में लेंगे। कृपया आप यह भी सोच लें कि जल-मल-निकास के लिए 110 लीटर पानी का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पहले प्रावधान करना पड़ेगा ताकि उसकी निकासी सुचारू रूप से की जा सके।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा है कि पांच हजार की आबादी वाले गांवों में सीवरेज सिस्टम लागू करने की सोच रहे हैं। तो बहन जी कृपा करके यह बता दें कि हरियाणा राज्य के अन्दर पांच हजार से ऊपर की आबादी के कितने गांव हैं?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, ऐसी डिटेल्स में मैं इस समय को नहीं दे पाऊँगी इनके पास होंगी। इसके लिए मैं लिखकर दे दूँगी तो जवाब इनकी दे दिया जायेगा।

श्री 0 राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जिन गांवों की पंचायतों के पास अपना काफ़ी पैसा है, यानि जो गांव शहरों के नजदीक लगते हैं, जिनकी जमीन एकदम ही गई है उनकी पंचायतों के पास करोड़ों रुपया है, जैसे उमरी गांव है। क्या ऐसे गांव जो अपने खर्च से ऐसी स्कीम लागू करना चाहें तो क्या सरकार उनको ऐसा करने देगी। उनके पास बेशुमार बचा हुआ पैसा पड़ा है। क्या उनको इसके लिए फेजिज में सहायता प्रदान की जायेगी? अध्यक्ष महोदय, ये जो पैसा फेजिज में उन गांवों को दें। मैं दो गांवों के बारे में कोट कर रहा हूँ कि मेरे हल्के का एक उमरी गांव और दूसरा लाडवा की बगल में डेहरा गांव है, उनका पैसा तो बचत स्कीमों में पड़ा है और गांवों की गलियों तथा नालियों इत्यादि की हालत बहुत खराब है। वह पैसा बचत स्कीमों में से निकालकर के गांवों को दें ताकि वे सीवरेज सिस्टम को ठीक करवा सकें और जो भी इस तरह के गांव हैं वहां पर भी यह काम हो सके। अध्यक्ष महोदय उमरी गांव 5 हजार की अम्बाली वाला है और इनके अनुसार इस गांव में सीवरेज सिस्टम लागू हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि क्या इस गांव को सीवरेज सिस्टम लागू करने की इजाजत दी जाएगी और जिन गांवों का पैसा जमा है वह उन्हीं गांवों पर खर्च करेंगे ताकि बचत स्कीमों में जिस गांव का पैसा परमानेंटली बेकार पड़ा हुआ है वह न पड़ा रहे बल्कि उस गांव को उस पैसे का फायदा पहुंचे।

श्रीमती शशी देवी राठी : मेरे माननीय सदस्य भाई श्री 0 राम प्रकाश जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया है। मैं इनको यह बताना चाहूंगी कि आज की सरकार बेहात वालों के विरुद्ध नहीं है। अगर कोई ऐसा गांव है जिसके पास अतिरिक्त पैसा है और ऐसा प्रस्ताव आप देने को तैयार हैं तो इस बार पूरी गंभीरता से हम विचार करेंगे और मैं समझती हूँ कि उनके हक में ही फैसला करेंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं कि गांव अच्छे हों और सुन्दर हों (विष्णु)

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल खत्म होता है।

ग्रामाकार्षण प्रस्तावों/स्थान प्रस्तावों/नियम 84 के अधीन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री 0 राम बिलास शर्मा : स्पीकर महोदय, 46 दिन से अध्यापक आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में जंतर-मंतर रोड पर अध्यापक आभरण अन्वशन पर बैठे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 80 हजार अध्यापकों के हितों के लिए सरकार क्या कर रही है। इस समय आंदोलन चल रहा है जबकि परीक्षा का समय है। अध्यापक आंदोलन के रास्ते पर हैं तथा सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष : कृपया इसे बार-बार रिपीट मत कीजिए क्योंकि इस बारे में जिक्र कई दफा किया जा चुका है।

श्री 0 राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। एक तो मैंने फरीदाबाद जिले में खानों की जो अन्-अथोराईज्ड खुदाई हो रही है, उस बारे में दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह गवर्नमेंट के पास कमेंटस के लिए भेज दिया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पलवल के ग्रामों के किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। नील रायों फसलों को खा जाती हैं, उसके लिए सरकार ने क्या किया है।

श्री अध्यक्ष : यह भी कमेंटस के लिए भेज दिया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव के अन्दर जो बहुमंजिले भवन बन रहे हैं, वहाँ पर आग से सुरक्षा का कोई प्रावधान किया गया है या नहीं, उस बारे में भी कृपया बताएं।

श्री अध्यक्ष : यह अडर-कंसिडरेशन है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, एक हमारा काम रोको प्रस्ताव था। हरियाणा के अध्यापक दिल्ली में भूखहड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनके नुमाइंदे हमारे पास आए थे। उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि अगर उनकी मांगें गलत हैं तो सरकार के कोई मंत्री महोदय हमें एक बार आकर के मिल लें। अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षकों * * * * * (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही कहा कि इसको बार-बार रिपीट न करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, यह जो हवाला कौण्ड के बारे में बात कही गई है * * *

श्री अध्यक्ष : आपका वह प्रस्ताव रिजैक्ट हो चुका है ।

श्री कर्ण सिंह बलाल : * * * * *

श्री अध्यक्ष : यह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए ।

श्री 0 राम प्रकाश : स्पीकर साहब, एक व्यक्ति ने गरीबों को बड़ा अनुदान दिया है और उसकी इतनी मान्यता है कि उसकी बात को लोग सच्चा मानते हैं । प्राईम-मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर द्वारा कही गई बात को सच्चा नहीं माना जाता । मैं समझता हूँ कि ऐसे आदमी को पदम विभूषण से सम्मानित किया जाए । उनका मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ । उनका नाम है एस0 के0 जैन, हवालाल फेम * * * * *

श्री अध्यक्ष : यह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए । मैंने पहले ही बता दिया है कि आप तीनों का यह प्रस्ताव रिजैक्ट कर दिया गया है ।

श्री 0 राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मेरे दो काल अटैन्शन मोशन थे । एक तो मैंने कल दिया था कि हरियाणा की 24 हजार बहिनें जी आंगन वाड़ी हैल्पर, वर्कर हैं और सुपरवाइजर की कैटेगरी की हैं; उनको महीने का केवल दो चार सौ रुपया मिलता है । उनका दिल्ली में बान्दोलन चल रहा है । उनको सरकारी कर्मचारियों की हैसियत प्राप्त नहीं है । वे दो सौ रुपए महीने में सारा दिन काम करती हैं । दूसरा मेरा मोशन यह था कि हरियाणा में मिट्टी का तेल जिलों के वितरकों द्वारा सीधा पेट्रोल पम्पों को दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : यह अंडर कंसिड्रेशन है और गवर्नमेंट को कमेंट्स के लिए भेजा हुआ है । यह किसी भी दिन लग सकता है ।

श्री किलाब सिंह : स्पीकर साहब, मेरे दो काल अटैन्शन मोशन हैं । एक तो यह है कि गोहाता में एक पटवारी से हजार रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया ।

श्री अध्यक्ष : वह आपने आज साठे आठ बजे दिया था और अंडर कंसिड्रेशन है ।

श्री किलाब सिंह : दूसरा मेरा काल अटैन्शन मोशन यह था कि गरीब लोगों को डेढ़ लाख रुपए के कम्बल बांटे गए थे । ये पानीपत से खरीदे गए थे । यह कम्बल 118 रुपए प्रति कम्बल के हिसाब से खरीदे गए जबकि एक कम्बल की कीमत लगभग 60 रुपए है ।

श्री अध्यक्ष : यह भी अंडर कंसिड्रेशन है ।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, जो मिड डे मील की स्कीम हमारे प्रधान मंत्री जी ने चालू की है, यह बात तो बहुत अच्छी थी लेकिन वह यहां के लिए संगत नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस पर 2.44 रुपए प्रति बच्चे पर खर्च किए जाते हैं, इसकी बजाए बच्चों को 80 रुपए महीना बजीका दे दें। ऐसा करने से उसमें कोई बेईमानी की गुंजाईश नहीं रहेगी और पढ़ाई भी ठीक होने लगेगी, बच्चों के आ-काप भी खोजी होंगी। अभी सुमासों का समय आ रहा है, इसलिए हमें भी उसका फायदा होगा। उस मिड डे मील में टारिफ खराब होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों को जो खाना दिया जाता है उसके हिसाब से 80 रुपए महीना प्रति बच्चा खर्च आता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि खाने की अजायब बच्चों को 100 या 120 रुपए महीने का बजीका दे दिया जाए। उससे गरीब बच्चों को फायदा होगा तथा वे कॉपियाँ और पुस्तकें खरीद लेंगे।

श्री अध्यक्ष : वहन जी, यह तो सेंटर की गवर्नमेंट का जवाब है, इसमें हरियाणा सरकार क्या कर सकती है।

श्री० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैंने 27 तारीख को आपकी सेवा में एक काल अटेंशन मोशन दिया था कि फ्लड रीलीफ में बहुत धांधलियाँ हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : वह आपका भी है और उस बारे में कर्ण सिंह दलाल का भी मोशन है। आपका मोशन दलाल साहब के मोशन के साथ ब्रेकिट कर दिया है। उसका जवाब मंत्री जी 7 मार्च को देंगे। उस वक्त आप अपना मोशन पढ़ें।

श्री० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में रुल 84 के तहत दो मोशन दिये हैं। एक तो सिपाहियों की भर्ती के बारे में है। उसके बारे में सारे हरियाणा प्रदेश की जनता में बड़ा भारी रोष है। यह जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है। (शोर)

Mr. Speaker : That has already been discussed on the Governor's Address.

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, पुलिस के जो 1700 कर्मचारी निकाले गए हैं यह सरकार पर एक स्ट्रिक्चर है। * * * * * (शोर)

श्री अध्यक्ष : वह डिस्अलाऊ कर दिया गया है। (Interruptions) Nothing to be recorded.

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, एक मेरा काल अटेंशन मोशन डेवोली अग्नि कांड के बारे में था। (शोर)

श्री अध्यक्ष : वह भी डिस्अलाऊ कर दिया गया है। (शोर)

श्रीधर श्रीम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, दिल्ली के अन्दर 14 जनवरी से दो अध्यापक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है।

* * * * * (शोर)

श्री अध्यक्ष : यह रिकार्ड न किया जाए।

श्रीधर श्रीम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, मुझे आपकी प्रोटेक्शन चाहिए।

श्री अध्यक्ष : क्या आपको कोई खतरा हो गया है।

श्रीधर श्रीम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, मुझे जिस्मानी कोई खतरा नहीं है। आपने बी० ए० सी० की रिपोर्ट हाउस में पेश की थी उसके अनुसार नॉन-ओफिशियल डे को यों का यों बरकरार रखा गया था। आपने कहा था कि नॉन-ओफिशियल डे यों का यों बरकरार रखा जाएगा। जब बी० ए० सी० कोई फैसला करती है और उस पर लीडर श्रीम दि हाउस जो अयोरेंस देते हैं, वह अयोरेंस सारे हाउस की तरफ से होती है, अदरवाइज उसको भी सदस्य कंटाक्ट कर सकते हैं। लीडर श्रीम दि हाउस ने यह कहा था कि नॉन-ओफिशियल डे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नॉन-ओफिशियल डे में हम ओफिशियल बिजनेस नहीं कर सकते। इनके छूट आई गूह मंत्री एक एम० पी० को डिफेंड कर रहे थे। (शोर)

श्री राज्य मंत्री (श्री सुभाष बतस) : स्पीकर साहब, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। (शोर) * * * * *

श्री अध्यक्ष : बतस साहब, आप इतने एजीटेड न हों, शांति रखें। जब मैं बड़ा हूँ तो आप बैठ जाएँ। Nothing should be recorded.

वाक-आउट

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, आप इनको कहें कि ये अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह बल्लभ : अखबार में लिखा है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री ने * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो कुछ भी मेरी परमिशन के बगैर बोला जाये वह रिकार्ड न किया जाये।

श्रीधर श्रीम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, * * * * *

डॉ० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, * * * * *

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्रीधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, यदि आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो हम वाक आऊट करते हैं।

(इस समय श्रीधरी ओम प्रकाश बेरी तथा डा० राम प्रकाश सदन से वाक आऊट कर गए)

श्रीधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरी बात पूरी नहीं हुई।

Mr. Speaker : The House is master of its own. The whole House has taken the decision in this regard. Now we cannot go back from its decision, which has already been taken. (Noise) You were not present in the House yesterday. (Interruptions) It was a unanimous decision of the whole House. All the members except you were present in the House yesterday. (Interruptions)

Ch. Birender Singh : Sir, I want your ruling that if the House decide every time to convert the non-official day into an official day then why there is a provision in the rules for non-official day. You should scrap it also. (Noise & Interruptions).

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

(इस समय कई सदस्य एक साथ बोलने लग गए) (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप अपनी सीट पर जाएं। (विघ्न एवं शोर)

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded.

श्री कर्ण सिंह बजाल : स्पीकर सर, * * * * *

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप को मैं वार्न कर रहा हूँ। (विघ्न) आप बगैर इजाजत के बोल रहे हैं। (विघ्न एवं शोर) यह आलरेडी डिस्अलाऊ हो चुका है, इसलिए आप बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्रीधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, * * * * *

(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker Nothing to be recorded on this issue. (Noise & Interruptions). Ch. Birender Singh Ji, you please sit down. Ch. Birender Singh, it has already been disallowed. (Interruptions) Nothing is to be recorded. Every thing is expunged.

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने श्री कल अटेंशन मोशन दी और ये जो काम रोकने प्रस्ताव लेकर आए वह जिस अलाऊ हो चुका है। अब ये फिर भी बोल रहे हैं इस तरह से ये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें तो बाक-आउट करना है। इसी तरह से इन्होंने कल भी किया और परसों भी किया था जोकि ठीक बात नहीं है। मेरी आपके माध्यम से विपक्ष से प्रार्थना है कि वह सही ढंग से सदन को चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी मैम्बर्स को कल बोलने का मौका दिया था और आप सब अपने-अपने समय पर बोले थे। कल यह तय हुआ था कि आज मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, इसलिए आप सब बैठ जाएं। You should behave as a good opposition members and hear him decently. अब इतका जवाब आपको आराम से बैठकर सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम प्रकाश : * * * * *

श्री अध्यक्ष : यह सब जिस अलाऊ हो चुका है। इसको रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह जो अखबार में छपा है अगर यह गलत है तो अखबार वालों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, इनको कल भी टाईम दिया गया था। ये पहले दोपहर तक बोलते रहे और फिर 2.30 से लेकर 5.30 तक बोलते रहे। अब जैसा कि तय हुआ था की आज मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। इनको बैठकर उनका जवाब सुनना चाहिए। अगर हमारी कुछ ऐसी मशा होती कि इनको न बोलने दिया जाए तो हम कल भी जवाब दे सकते थे। लेकिन हमने इनको बोलने का समय दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम सदन से बाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित हरियाणा विकास पार्टी के सभी सदस्यगण, अल-अटेंडन्स सदस्य, श्री वीरेन्द्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री 0 राम बिलास शर्मा सदन से बाक-आउट कर गए।)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री जगदीश मेहरा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो वाक-आउट ही करना था और ये कभी किसी चीज का और कभी किसी चीज का महाना बसा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आप हमें यह बताएं कि अपोजीशन वाले फिंत्सम टाईम बोले और हमारे मैम्बर कितना बोले तर्कि हमें पता रहे कि कौन कितना-कितना टाईम बोला है ?

श्री अध्यक्ष : सभी पार्टीज को बोलने के लिए जो टाईम दिया गया है वह इस 11.00 बजे 1 प्रकार से है—एच० वी० पी० 174 मिनट, वी० जे० पी० 42 मिनट, अनअटेंचंड 84 मिनट और इंडीपेंडेंट्स 25 मिनट जबकि कांग्रेस की तरफ से 105 मिनट का समय लिया गया है। (विष्णु)

श्री० छतर पाल सिंह : मेरा एक और कालिंग अटेंशन मोशन है। (विष्णु)

Mr. Speaker :- Now the discussion on Governor's Address will be resumed. (Noise & Interruptions). Zero hour is over. Prof. Chhattar Pal Singh Ji please sit down.

श्री० छतर पाल सिंह : सर, यह हुआ वाक्य मोशन नहीं है बल्कि मेरा यह मोशन दूसरा है। (विष्णु)

श्री अध्यक्ष : छतरपाल सिंह जी, आप बैठिए क्योंकि अब जीरो होवर बत्त हो गया है। ये अब जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड में किया जाए।

श्री० छतर पाल सिंह : स्पीकर सर, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह बलार : सर, मेरा भी एक कालिंग अटेंशन मोशन था उसका क्या बना ?

श्री अध्यक्ष : आपका यह मोशन आज तारीख को लया दिया गया है।

श्री० छतर पाल सिंह : सर, इसका क्या मतलब है कि रिकार्ड में किया जाए ?

श्री अध्यक्ष : मतलब है। It does not behave you. Please do not insist.

श्री० छतर पाल सिंह : स्पीकर सर, * * * *

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) अब सी० एम० साहब बोलेंगे।

श्री० छतर पाल सिंह : सर, * * *

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : छतरपाल जी, आप बैठिए, वरना मुझे आपको नेम करना पड़ेगा।

श्री० छतरपाल सिंह : सर, आप मेरे को ही क्यों नेम कर रहे हैं। मुझे अपनी बात तो कहने का मौका दें। (विघ्न) पहले भी तो आपने किसी को नेम नहीं किया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार इंट्रप्ट करे। अगर आप दोबारा से इंट्रप्ट करोगे तो मैं आपको बानिगा देता हूँ कि फिर मुझे आपको नेम करना पड़ेगा।

श्री० छतरपाल सिंह : * * * *

श्री अध्यक्ष : आप इनका भी इमैक्रिटिक राइट छीन रहे हैं। (विघ्न)

श्री० छतरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। (विघ्न) अगर आप मेरी बात को सुनना नहीं चाहते तो मैं एज-ए-प्रोटेस्ट वाक बाजट करता हूँ।

(इस समय माननीय सदस्य श्री० छतरपाल सिंह सदन से वाक-बाजट कर गए)

श्री अध्यक्ष : अब सी०एम० साहब बोलेंगे। (विघ्न)

श्री जगदीश तेहरा : सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं कहना चाहता हूँ कि छतरपाल सिंह ने जो बातें कही हैं वह रिकार्ड में नहीं आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में अपना एक रेजोल्यूशन भूव करे।

श्री जगदीश तेहरा : रेजोल्यूशन तो हम भूव करे ही लेकिन ये बातें भी इनकी रिकार्ड में नहीं आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उनकी ये बातें तो पहले ही रिकार्ड से निकलवा दी गयी हैं।

श्री जगदीश तेहरा : स्पीकर सर, आपको याद होगा कि इन्होंने कल भी, परसों भी और उससे पहले दिन भी कैंसी कैंसी बातें कही और कल तो ये सदन की बेल तक भी आ गए थे।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, आप बैठ जायें। मुख्यमंत्री जी अब आप अपना जवाब दें।

मुख्य मंत्री (चीधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिन से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने सारे प्रदेश के बारे में पूरे तथ्यों के साथ एक-एक बात को पूरी तरह से उजागर किया है, पूरी रोगनी झाली है लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों का प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि सामने की बैच खाली पड़ी हुई है लोगों ने उनको चुनकर भेजा था कि वे असेम्बली में जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में बात करें, बाढ़ की बात करें, पीने के पानी की बात कहें, नहर और बिजली की बात करें एवं जो भी बात उन्हें कहनी हो, कहनी चाहिए। आखिर लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा था लेकिन उन्होंने कितनी सस्ती लोकप्रियता दिखाई कि इस्तीफा देकर चले गए। जिस तरह कोई आदमी ब्लेड लगाकर शहीद होना चाहता है उस तरह की बात हमारे सजपा के भाइयों ने की जो कि खेद जनक बात है। लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि इस तरह से इस्तीफा देने वालों को क्या द्वारा चुनकर भेजना चाहिए। प्रदेश की जनता कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। जनता ने उन्हें अपने हितों के लिए चुनकर भेजा था मगर उनके हितों की रक्षा को बजाए द्वारा से राजगद्दी कैसे मिले इस नजरिये से चले गए। इस प्रकार से बंसी लाल जी की पार्टी के लोग हैं उन्होंने कुछ बातें ठीक कहीं हैं। जो ठीक कहीं हैं उसको हम ठीक कहेंगे। उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं लेकिन सारे एवरेज को देखा जाए तो इन्होंने बड़ी आलोचना वाली बात की है। इस प्रकार राम विलास शर्मा जी हैं बड़ा लम्बा चीड़ा इनका डील-डौल है और बहुत अच्छे विद्वान हैं, काबिल हैं (विष्णु) पहले अच्छी भाषा का प्रयोग करते थे मगर इनको भी नजर लग गई। कल इनकी भाषा भी कुछ बदली सी नजर आ रही थी क्योंकि ये कभी सजपा वालों की तरफ देखते हैं और कभी हविपा की तरफ देखते हैं। आपने एक दफा नरवाना व कालका के चुनावों में हविपा से समझौता कर के देख लिया दोनों जगह जमानत जप्त हो गई। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ। (विष्णु)

प्रो० राक विलास शर्मा : स्पीकर साहब, यह बात कर रहे हैं राजनीतिक सगाई और तलाक की। एक किस्सा मुझे याद है। एक औरत थी जब उसके बच्चों से पूछा कि तुम्हारा गौत-नात क्या है ? तो बच्चे बेचारे कहने लगे कि हम पहले जीम जुलाहे थे फिर हो गए दर्जी और आजकल राजपूत के घर हैं आगे मां की मर्जी। सर, जिस राजनीतिक खानदान की यह हालत है और

वह हमारी संगीर्ण-तलाक की बात करें तो यह अच्छी बात नहीं है । मुख्यमन्त्री जी ने इस तरह की बात की हैं ।

श्रीधरी भजन लाल : शर्मा जी, थोड़ी अपने पीछे की याददास्त की ताजा कीजिए । आप ने बात कही है तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा । जब श्रीधरी देवीलाल जी ने आपको नारनौल के रैस्ट हाउस से बाहर भेजा था तो भजनलाल ही आपकी मदद के लिये आया था । आप उस बात को इतनी जल्दी भूल गए । थोड़ा सा अहसान तो भातों । (विष्णु) तब आपकी आर० एस० एस० कहाँ गई, फिर जनता पार्टी बनाई, जनता दल बनाया और फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई । आप क्या कहते हैं । इस देश में क्या कोई बात किसी से छिपी हुई है । आप जानते हैं कि मुझ को लगातार मेम्बर बनते हुए 28 साल हो गए । और एक-एक का इतिहास एक-एक की हिस्ट्री भजनलाल जानता है । ये कृपा करके कम बोलें तो अच्छा रहेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि * * * * * (शोर) फिर जिन्दल ही बता देगा मुझे बताने की क्या जरूरत है ? इन्होंने राज्य सभा की सीटों के चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं करी । ठीक क्या था ठीक यह था कि ये विपक्ष में थे और विपक्ष को ही वोट दिया हमको वोट नहीं दिया । ये यह कहलवाना चाहते हैं कि वोट हमको दिया लेकिन इन्होंने वोट हमको नहीं दिया । (व्यवधान) ।

श्री० राम बिलास शर्मा : श्रीधरी साहब आप वहाँ पर काउन्टिंग एजेंट थे । श्रीधरी साहब आप कहाँ थे मैं दोबारा नहीं दोहराता । (विष्णु)

श्री० राम प्रकाश : मुख्यमन्त्री जी ने खुद किसी समय रामबिलास जी को वोट के बारे में कहा था (विष्णु)

श्रीधरी भजन लाल : मैंने कुछ नहीं कहा । मैं इमानदारी के साथ कहता हूँ कि मैंने बिल्कुल नहीं कहा था ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

श्री० राम बिलास शर्मा द्वारा

श्री० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ । श्री० राम प्रकाश जी बड़े विद्वान हैं और उनका जो अंदाज है, उनका जो सिलसिला है, उसके मुताबिक ही वे यहाँ कहना चाहते हैं कि राज्य सभा

* वेपर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

[प्रो० रामबिलास शर्मा]:

के चुनाव में मैंने किसी तरह का उनका फेवर किया है। मैं इस माननीय सदन का सदस्य हूँ और रहूँगा। राजनीति में बहुत से रचनात्मक निर्माण का काम हुआ है। इसने जो स्थिति पैदा की है। एक दूसरे पर आरोप लगाने की यह एक परम्परा सी बन गई है। यदि राम प्रकाश जी यह कहना चाहते हैं कि वे कांग्रेस में थे कांग्रेस से निकाल दिए गए, यह उनका अपना अलग हिसाब किताब है। मैं इस माननीय सदन का 15 साल से लगातार सदस्य रहा हूँ। मैंने इधर उधर के राज्यसभा के चुनाव देखे हैं। यदि किसी चुनाव की चर्चा करना चाहते हैं जैसा कि यहाँ कई बार लोग कहते रहते हैं तो राज्यसभा के हर चुनाव का रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है। यदि राम प्रकाश जी कोई बात सिर्फ हसने के लिये, ताली बजाने के लिये कहें तो उनके कहने से मेरे राजनीतिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं भगवान शंकर जी के प्रति जवाब देह हूँ। मेरा लगातार पिछले बीस साल का राजनीतिक जीवन बे-लाग और बे-दाग है। मैंने राज्यसभा के एक चुनाव में नहीं बल्कि दसों राज्यसभा चुनावों में हिस्सा लिया है। जब हमने रमेश जोशी जी को चुनाव लड़ाया था तो उस समय हमारे पास 17 एम० एल० ए० थे लेकिन 35 एम० एल० एज० के वोट्स हमारे डिब्बों में से निकले थे। तो स्पीकर सर, यदि कोई इस तरह की बात है तो आप राज्यसभा का रिकॉर्ड निकलवाकर देख सकते हैं, नहीं तो डा० राम प्रकाश जी को अपनी बात वापिस लेनी चाहिए।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्रीधर भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, आप अब इस विषय पर और डिस्कशन न करें क्योंकि वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। डा० राम प्रकाश जी, यह एकशन रिएक्शन इस तरह से ही होता रहता है। कृपया आप बैठिए।
You were saying sarcastically and pointing the other way. (Noise)

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी व प्रो० रामबिलास शर्मा जी की आपस में क्या दोस्ती है, यह भी ये बता दें।

श्रीधर भजन लाल : मैं बता देता हूँ। आपको इस बात की क्या तकलीफ हो रही है। (विघ्न) अगर आपको कोई तकलीफ हो तो बताओ ? आपका कोई क्या ले गया ? (विघ्न) आप बैठिए तो सही। मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी बात तो सुनिए। अध्यक्ष महोदय, रामबिलास शर्मा जी पर यह बिल्कुल बेबुनियाद और गलत इल्जाम है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष डा० साहब, ऐसा है कि ऐसी बातें गवर्नर एड्रेस से कोई कंसर्न नहीं रखती हैं। अगर कोई सीट्टी बहुत छूमर के हिसाब से बात हो जाती है तो वह अलग बात है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब किसी आदमी का इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर उस आदमी का यह जिक्र कर देना कि राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ तथा रामविलास जी ने कांग्रेस को वोट दे दिया होगा, ठीक बात नहीं है। ऐसी बातें कहने के कोई मायने नहीं हैं। न ही रामविलास जी का इस बात से कोई संबंध है। रामविलास जी अपनी पार्टी में अपनी जगह हैं और हम अपनी पार्टी में अपनी जगह पर हैं। न तो रामविलास जी ने हमें कोई वोट दिया है और न ही हमने उनसे कोई वोट मांगी थी। ऐसी गलत बात कहने के कोई मायने नहीं हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठिए और अब मुख्यमन्त्री जी को अपनी बात कहने दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने शराबबंदी के बारे में बड़े जोर-शोर से बात की है और कहा है कि प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस भी इस बात के हासरी हैं कि पूरी तरह से शराब प्रदेश के अन्दर बंद होनी चाहिए लेकिन यह कहना चाहेंगा कि जब सारे मुक्त में शराब बंद होगी तो हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले शराब बंद होगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमने इस बारे में कदम उठाए हैं और फैसला किया है कि हम पहली अप्रैल से हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में शराब का ठेका नीलाभ नहीं करेंगे और न शराब का ठेका खोलेंगे। इसके अलावा हमने इस डिपार्टमेंट का नाम भी बदलकर विशेष आवश्यकताएं एवं कराधान विभाग रख दिया है। शराब विशेष के लिये हमने कदम उठाए हैं कि शराब ठीक नहीं है तथा यह बन्द होनी चाहिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इससे आप जानते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा? लगभग 200 करोड़ रुपये का सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, जिसको हमने सहन किया है। लेकिन चौधरी बंसी लाल जी तो प्रदेश के अन्दर गांव-गांव में घर-घर में खुली शराब विक्रवाते थे। इन्होंने प्रदेश के अन्दर सब जगह दूरिस्ट कम्प्लेक्स खलवाए चाहे कोई एक तीला से लो, चाहे कोई आधा पैग ले लो, चाहे कोई पूरा पैग ले लो। उस समय शराब प्रदेश में में खुले रूप में मिलती थी। यह किसने किया। अब चौधरी बंसी लाल जी ने किया था। आज जिस तरह से जगह-जगह चाय की दुकानें हैं, वैसे ही शराब की दुकानें जगह-जगह चौधरी बंसी लाल जी ने खुलवा दी थी। यह सब बंसी लाल जी ने किया।

श्रीधरी बंसी लाल : मुझे पहले मुख्यमंत्री जी बता दें कि मेरे वक्त में शराब के ठेकों की नीलामी की अदायगी कितनी थी और आज कितनी है तथा शराब के कारखाने किसने लगवाए ? हिसार में शराब का कारखाना किसने लगवाया और बाकी स्टेट में किसने लगवाए और यह कब लगे, कृपया मुझे यह भी बता दें ?

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है और पहले ही यह बीच में बोल रहे हैं। इनकी यदि किसी पर्सनल बात का जवाब देना है तो ये इकट्ठे ही दें। अभी तो बहुत बातें आनी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप यह भी बता दें कि पानीपत में शूगर मिल कब लगे ?

वैयक्तिक स्पष्टीकरण— श्रीधरी बंसी लाल द्वारा

श्रीधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि यह आज सदन के उठने से पहले ही चैक करके यह बता दें कि पानीपत का कारखाना कब लगे ? जब आपने प्वायंट आऊट किया ही है तो आप यह जरूर बता दें कि यह कारखाना कब लगे ?

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कह दिया कि मेरे वक्त में कितनी इन्कम थी और अब वह कितनी हो गई। सर, आप जानते हैं आबादी बढ़ी है और उसके साथ साथ भाव भी मंहगे हो गए। इनके जमाने में 7 रुपये की बीतल थी और आजकल 40-45 रुपये की हो गई। इसलिये एक्साईज डिप्टी भी बढ़ेगी।

श्रीधरी बंसी लाल : आप यह भी बता दें कि मेरे वक्त में टोटल कितने ठेकों की नीलामी हुई थी और आज कितनी की हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप यह भी बताएं कि जो शराब अहाँ आपके कारखानों में बनती है, वह यहीं पर बिकती है या बाहर भी जाती है ?

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अहाँ बिकने के अलावा बाहर भी जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने शराब को बंद करने के मामले में बहुत कदम उठाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाढ़ का भी जिक्र किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में बड़ी भयंकर बाढ़ आई। पिछले सौ साल

के इतिहास में भी इतनी बरसात नहीं हुई होगी जितनी इस बार हुई है। हरियाणा में सारे साल में बरसात 300 या 350 मि०मी० एवरेज के बीच में रही है लेकिन इस बार तीन दिनों में 1600 मि०मी० बरसात हो गई बड़ा भारी तूफान मच गया। भिवानी बंसी लाल जी का जिला है जहां पर पांच-पांच कोस से लोभ पानी लाया करते थे क्योंकि वह रेतीला इलाका है और वहां पर भयंकर टिब्बे हैं।

चौधरी बंसी लाल : मैंने तो अपने राज में इसका इलाज कर दिया था लेकिन जब आपका राज आया उसके बाद फिर लोगों को पांच-पांच किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है।

चौधरी भजन लाल : चौधरी साहब, आपको हमने बीच में नहीं टोका इसलिए आप भी हमारी बात ध्यान से सुनें। मैं अर्ज कर रहा था कि आज उन टिब्बों में भी 12—12 फुट पानी खड़ा हुआ है। उधर तो दादरी शहर, भिवानी शहर, रोहतक शहर, इधर बरवाला हांसी तथा सोनीपत का एरिया तथा कैथल का एरिया यानी हरियाणा प्रदेश का कोई जिला नहीं बचा। कहीं थोड़ी और कहीं ज्यादा बाढ़ आई। इन्होंने कहा कि 15 दिन तो सरकार जागी ही नहीं। कितने दुख की बात है, कम से कम सच तो बोलो।

चौधरी बंसी लाल : इसे आप दुख की बात कहते हैं लेकिन दुख की बात तो यही है कि सरकार जागी नहीं।

चौधरी भजन लाल : आप मेरे से उम्र में बड़े हो इसलिये मुझे ज्यादा कहना अच्छा नहीं लगता। आप जगा देते। लेकिन सरकार को तो नीन्द ही नहीं आई।

चौधरी बंसी लाल : अगर सरकार को नींद नहीं आई तो जागी क्यों नहीं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस वक्त प्रधान मन्त्री जी से टेलीफोन पर बात की कि हरियाणा प्रदेश में बड़ी भारी बाढ़ आ गई। उन्होंने कहा कि भजन लाल जी जिस चीज की आवश्यकता हो आप बताएं। मैंने कहा कि हमें एयर फोर्स के हेलीकाप्टर चाहिए। उन्होंने कहा जितने चाहिये मिलेंगे आप चाहे चण्डीगढ़ से लें, चाहे दिल्ली से लें यानी जहां भी अवैलेबल होंगे, मिलेंगे। बड़ी भारी बाढ़ में उन्होंने हमारी मदद की। उसके बाद अगले दिन चौधरी घमण्ड जी, वीरेन्द्र सिंह जी, सरदार हरपाल सिंह जी और नेहरा साहब ने मेरे साथ हेलीकाप्टर में बैठ कर सारे हरियाणा प्रदेश का सर्वेक्षण किया। उस समय हमने देखा कि पूरी हरियाणा स्टेट में बाढ़ से

[चौधरी भजन लाल]

बड़ी भारी तबाही हुई। लोग बाढ़ के पानी में फसे हुए थे। उस समय फौरन हेलीकॉप्टरों से राशन गिरेवाया गया। पानी की बोतलें गिराई गईं। दवाईयां गिराई गईं। पशुओं के लिये दवाईयां गिराई गईं। बाढ़ बहुत भयंकर आई लेकिन हमने कोई बीमारी नहीं फैलने दी। बीमारी की वजह से एक भी आदमी नहीं मरा, एक भी पशु नहीं मरा। जो 2033 पशु मरे, वह बाढ़ के पानी में डूबने की वजह से मरे। लेकिन बीमारी से एक भी पशु नहीं मरा और एक भी आदमी बीमारी से नहीं मरा। रोहतक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों एवं सब की ड्यूटी लगी। सभी जगहों पर हमारे सभी साथी, सारे एम०एल०ए०, सारे मंत्रीगण की ड्यूटी लगी और सबने अपने-अपने इलाकों में दिन रात कच्चे पहन कर पानी के अन्दर जा कर लोगों की सेवा की। सभी साथियों ने उस समय लोगों की बड़ी भारी मदद की। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री बलराम जाखड़ जी, कर्नल राम सिंह जी, कुमारी शीलजा और दूसरे एम०पी० हेलीकॉप्टर में आए और सारे हरियाणा प्रदेश का उन्होंने ऊपर से सर्वेक्षण किया। चौधरी बंसी लाल जी, आप भी मुख्य पंजी रहे हैं क्या इतनी जल्दी सेंटर की टीम आ सकती है जितनी जल्दी इस वफा हरियाणा प्रदेश में आई। आप जानते हैं कि यदि सेंटर की टीम न आए और नुत्तान की रिपोर्ट न आये जाए तो सहायता नहीं मिलती। आप तो जानते हैं लेकिन आपके पड़ोस में जो बड़े हैं इनको क्या पता ये तो इतिहास से पहली वफा चुन कर आ गए। (शोर) अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सारे एम०एल०ए० और सारे मंत्री तथा सारे अधिकारियों के सरकारी अधिकारीगण चीफ सैक्रेटरी से ले कर नीचे तक के सारे अधिकारीगण दिन और रात लोगों के बीच में गए। सभी ने लोगों के बीच में जा कर उनकी देखभाल की। लोगों की पूरी सहायता की। जहां पैदल जा सकते थे वहां पैदल चल कर गए और जहां किशती से जा सकते थे वहां किशती से गए। बाढ़ के दौरान मैं चौधरी बंसी लाल जी के घर के आगे से गया तो वहां पर चार-चार फुट पानी खड़ा था और आगे शहर में गया तो आगे भी काफी पानी खड़ा था। वहां पर श्रीमान जी राम भजन, अग्रवाल और चौहान साहब सौ सवा सौ लड़कों को लिए खड़े थे। ये कह रहे थे भजन लाल वापिस जाओ, भजन लाल मुर्दाबाद। हम जाएं लोगों की मदद करने के लिये और ये कहें कि वापिस जाओ। लोगों ने इनके मुंह पर थूका। हम सभी अधिकारियों को साथ ले कर लोगों की मदद करते जाएं और ये कहें कि वापिस जाओ। उन्होंने वहां पर आड़ियों पर लस्कर फिक्रवाए। मेरी साकी तो आगे निकल गई थी लेकिन पत्थरों से हमारे एक दो शरीरसर्जनों को जोड़ें भी नहीं आइए। इनका यह हाल है। (शोर)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

प्रो० छतर सिंह चौहान द्वारा

प्रो० छतर सिंह चौहान : मान्य परसोनल अफेयर्स मिनिस्टर। उन्होंने अभी बोले हुए मेरा और राम भजन जी का नाम लिया कि हमने इनके ऊपर पत्थर फिक्रवाए थे। मैं इनसे

पूछना चाहता हूँ कि क्या उसी दिन दूसरी अन्ध चारू जगहों पर इनके ऊपर पत्थर नहीं फेंके गए थे ? रोहतक में जो पत्थर फेंके गए थे क्या वे, करतार देवी ने, डांगी ने या हुब्डा साहब ने फेंकवाए थे ? सर, इनको इस तरह की गलत बात कहना शोभा नहीं देता । सरकार ने बाढ़ के बाद लोगों को कोई राहत नहीं दी ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, रोहतक में कोई पत्थर नहीं फेंका गया । वहाँ पर 40-50 लोग इकट्ठे जकर थे लेकिन वहाँ 0ज0पी0 के थे और बतरा साहब के खिलाफ बोल रहे थे ।

चौधरी बंसी लाल : क्या दुर्गा मन्दिर में अण्डे और टमाटर नहीं फेंके गए थे ? उनसे किसी को चीठ तो नहीं आई थी लेकिन फेंके तो थे ।

चौधरी भजन लाल : बंसी लाल जी, मैं आपको ही जज मुकरर करता हूँ और आप ही इकवायरी करके जब सेशन अगले सप्ताह लगे तो रिपोर्ट दे दें और बता दें कि क्या भजन लाल झूठा है । मैं आपकी बात को मानूँगा ।

चौधरी बंसी लाल : मैं जज वज नहीं बनता ।

चौधरी भजन लाल : फिर आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए । स्पीकर साहब, रोहतक में कोई पत्थर नहीं फेंका गया बल्कि वहाँ पर तो लोग भजन लाल जिन्दावाद के नारे लगा रहे थे । लोगों ने वहाँ पर हमारा बड़ा भारी स्वागत किया और वहाँ पर बड़ी भारी हमारी सीटिंग हुई जो जितनी सहायता हमारे लोगों की तो लोग कहने लगे कि इतना अन्दाजा हमें नहीं था कि भजन लाल हमारी इतनी अधिक सहायता करेगा । रोहतक शहर का मैंने हमने निकलकर था । चौधरी वीरेश सिंह जी की माता जहाँ पर रह रहीं थी जहाँ पर भी 7-8 फुट पानी खड़ा था । अध्यक्ष महोदय परमात्मा के आगे किसी का बस नहीं चलता लेकिन हमारी तरफ से जितनी जल्दी और जितनी मदद हो सकती थी वह हमने की । जिन लोगों का नुकसान हुआ उसका हमें बेहद दुःख है । मैं भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी को वहाँ के वित्त मंत्रालय को व कृषि मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमें बड़ा भारी सहयोग दिया । साथ ही साथ हम हरियाणा की जनता के भी आभारी हैं कि उन्होंने बड़े संयम से काम किया और वे बड़ी मजबूती से इस दुःख की चड़ी में टिके रहे । यदि सरकार का सहयोग नहीं मिलता तो बीसरी फलने का अंदेश रहता और न जाने कितने लोग मारे जाते । आपको पता है कि 22 लाख एकड़ में पानी खड़ा था और उसमें से 18 लाख एकड़ में फसल खड़ी हुई थी । सवा दो लाख गरीब लोगों के, मजदूरों के व किसानों के घर बरबाद हो गए थे लेकिन सरकार ने उनकी पूरी मदद की है ।

चौधरी बंसी लाल : चौधरी साहब, बाढ़ को खत्म हुए छः मास हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिवानी शहर में पीने का पानी अब भी पीटेबल नहीं है, बेशक आप इसको चेक करवा लें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पीने के पानी का ताल्लुक है चौधरी बंसी लाल जी ने भिवानी में कुछ इस तरह की स्कीमें बना दी जिस कारण यह समस्या आई। इन्होंने सीवरेज और पीने के पानी की पाईपें साथ साथ बिछवा दी जिस कारण यह समस्या आई। इन्होंने पटिया माल लभवा दिया था। अब हमने वो सारा ठीक करा दिया है। अब वहाँ पर पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है।

चौधरी बंसी लाल : मैं यह कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो वाटर वर्क्स का स्टोरेज टैंक है उसमें जो पानी खड़ा है वह पीने के लायक नहीं है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, टैंकों में बरसात का गन्दा पानी भर गया था। उस वक्त पीने के पानी में कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी लेकिन उसके बाद सारी स्टेट में जितने भी स्टोरेज हैं उनका पानी निकलवा कर नहरों में डाला गया और जितने भी वाटर टैंक थे, स्वच्छ पीने लायक पानी डाल कर उनको भरवाया। पानी भरवाने से पहले टैंकों की सफाई भी करवाई गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत ही अच्छा इत्तजाम किया है। जहाँ तक बिजली की सप्लाई का सवाल है, सारे के सारे पावर हाउस डैमेज्ड हो गए थे और खम्भे गिर गए थे लेकिन डिपार्टमेंटने रात-दिन लगकर वार फुटिंग पर काम करके बिजली की सप्लाई को ठीक किया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में करीब साढ़े बीस हजार किलोमीटर सड़कें हैं जिनमें से करीब साढ़े सात हजार किलोमीटर सड़कें बाढ़ के कारण बिल्कुल तबाह और बरबाद हो गई थीं। इन सड़कों की मरम्मत करने के लिये आदमी रात-दिन लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि 3 महीने नेशनल हाईवे बन्द रहा। नेशनल हाईवे के बन्द होने की बात को मैं मानता हूँ कि कुछ जगह पर दो-तीन दिन के लिये नेशनल हाईवे बन्द रहा इसका कारण यह है कि यह सड़क बहुत ही पुरानी बनी हुई है और काफी नीची है, पानी बहुत ज्यादा आ गया। पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। उस पानी को निकाल कर कहाँ डालते? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत ही शानदार तरीके से काम किया और एक जगह नहीं बल्कि 4-4 जगह से पानी को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरी, तीसरी जगह से चौथी जगह लिफ्ट करके नहर में पानी को डाला गया। अध्यक्ष महोदय, जनता सब बातों को अच्छी तरह से जानती है। लोगों को गुमराह करने के लिये ये ऐसी-वैसी बातें कहते रहते हैं लेकिन लोग इनकी बातों को सुन कर हँसते हैं। सरकार ने बहुत ही शानदार और बढ़िया काम किया है। (विष्ण)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, लोग इनकी बातों पर हँसते हैं क्योंकि जो ये कह रहे हैं उसके ठीक विपरीत ये कार्य करते हैं।

श्रीधरी मजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये तो कुछ दिन पालियामेंट में भी रहे हैं और इत्तफाक से यहाँ पर मुख्य मन्त्री भी रहे हैं। मुझे बीच में बार-बार टोक कर मेरा टैम्पो खराब कर देते हैं। आप इनसे कहिए कि ये सारी बातों को नोट कर लें और एक बार ही उनको कह लें। इनको बोलने की पूरी छूट रहेगी। (विष्णु)

श्रीधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में इसलिये बोलना पड़ता है ताकि इनकी बात का जवाब इनको साथ ही मिल जाए क्योंकि बाद में तो ये भाग जाते हैं।

श्रीधरी मजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम लोग भागने वालों में नहीं हैं। जब इनकी गवर्नमेंट भी तो ये दो दिन का सेशन कर लिया करते थे और हमें तो मजबूरी में इनके साथ भागने पड़ता था। (हंसी) हम लोग तो मैदान में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं; भागने वाले नहीं हैं। प्रदेश के अन्दर लोगों को जितनी राहत इस सरकार ने दी है उतनी किसी भी अन्य सरकार ने नहीं दी है। पहले कच्चा मकान गिरने का 1200 और पक्का मकान गिरने का 2500 रुपये मुआविजा मिलता था लेकिन उसकी जगह हमने बाढ़ के कारण पक्के मकान गिरने पर 10 हजार और कच्चा मकान गिरने पर 5 हजार तथा पक्के मकान की मुरम्मत के लिये 5000 रुपये और कच्चे मकान की मुरम्मत के लिये 2500 रुपये का मुआविजा दिया है। (मेजें थपथपाई गई) जितनी भी फसल बरबाद हुई उसका 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआविजा किसानों को दिया है। 18 हजार एकड़ जमीन में पानी खड़ा हो गया था जिसके लिए किसानों को 72 करोड़ रुपये दिए गए हैं, किसी और सरकार ने इतनी राहत नहीं दी। (मेजें थपथपाई गई) अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर खेतों से पानी नहीं निकला वहाँ पर 3 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआविजा दिया जा रहा है जो कि अन्य किसी सरकार ने नहीं दिया। (मेजें थपथपाई गई) अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार भी रही है और श्रीधरी देवी लाल की भी सरकार रही है लेकिन 3 हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआविजा जिस जमीन में फसल नहीं बोई जा सकेगी, का किसी ने नहीं दिया है। एक लाख ट्यूबवैल्व बरबाद हो गए जिनके लिये सरकार ने 5 हजार रुपये ट्यूबवैल्व के हिसाब से मुआविजा दिया है। अगर किसी सरकार ने पहले इतना मुआविजा दिया हो तो कोई भाई बता दे। इसके अलावा जहाँ पर पशु मर गए थे वहाँ पर भी हमने चाहे वह गाय, बौड़ा, भैंस, खच्चर या सूअर था उसके लिए नार्मल फिक्स करके 4 हजार से 5 हजार तक पैसा दिया। (विष्णु) अध्यक्ष महोदय, शहरों में आज तक किसी सरकार ने कोई सहायता नहीं की होगी लेकिन हमने शहरों में भी जो छोटे और गरीब दुकानदार थे जिनकी दुकानों में पानी घुस गया था, उनकी भी 5 से 25 हजार रुपये तक की मदद की है। जैसे कि रोहतक में, भिवानी में, दादरी में और ह्रांसी में सरकार ने लोगों की मदद की है।

श्री किराबे सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ़ आर्डर है। यह बात तो ठीक है कि जितनी इसकी मुआवजा दिया गया है उतना आज से पहले कभी नहीं दिया गया था लेकिन गोहाना के अन्दर के एरिया को छोड़कर जीद, भूदर, दरोदा और सोनीपत रोड पर 8-7 फुट तक पानी था और वहाँ के दुकानदारों की दुकानों में पानी घुस आया था, वहाँ उनकी लकड़ी पानी में बह गई लेकिन वहाँ पर कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक गोहाना का तालुक है, हमने शहरों में जहाँ पर पानी आया था वहाँ मदद करी है। गोहाना शहर में पानी ही नहीं आया था। अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो हम उसको देख लेंगे। जहाँ तक लकड़ी का सवाल है, दुकानदार तो लकड़ी पानी में पा कर रखता है ताकि वह और मजबूत हो जाए और बाकायदा उस पर दुकानदार ने नम्बर लिखा होता है। अध्यक्ष महोदय, हमने हर तरह से बाढ़ में लोगों की मदद करी है। इस बात के लिये प्रदेश की जनता बहुत खुश है और हरियाणा सरकार की शुक्रगुजार है। वे यह भी कहते हैं कि अगर बसी क्षति की या दूसरी कोई सरकार होती तो न जाने हमारा क्या होता। (विष्णु)

श्री 0 छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ़ आर्डर है। इनकी गवर्नमेंट 5 साल से है और आज तक जो भी पैसा फ़ैल्ड कंट्रोल के लिए रखा गया है वह कहाँ पर खर्च हुआ है ये बता दें उसमें से आज तक एक भी पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनके दिमाग में हमेशा खाने की बात रहती है। इन्हें ठीक बात कहनी चाहिए। ये एक भी पूफ़ दे दें कि हमने गड़बड़ की है तो हम इनको मान जाएंगे। यहाँ पर सारे भाई बैठे हैं और प्रेस वाले भी बैठे हैं तो मैं आप सबको यह बताना चाहूँगा कि जो पैसा बांटा गया था वह डी 0 सी 0, एस 0 सी 0 एच 0, सीनियर आफिसरज, और चुने हुए नुमायंदों की मौजूदगी में बांटा गया था। (श्री एच एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह बलाल : मेरा प्वायंट आफ़ आर्डर है। सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सारे प्रदेश में इनके डी 0 सी 0 और अधिकारियों ने गाँवों गाँवों में जो मुआवजे का पैसा ज़ीपाओं पर बैठकर बांटा है वह असल में उन को नहीं बांटा जिनका जरूरत थी या जिनके मुकाम गिर गए थे बल्कि यह पैसा उन्होंने उन लोगों को बांटा जो इनकी अपनी पाटों के लोग थे। (विष्णु)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो इनकी अपनी सोच है लेकिन जैसे भी सारी स्टेट में लगभग सारे कांग्रेसी ही हैं इसलिए इनको तो इस बात का फोविसा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमने चण्डीगढ़ से भी ओफिसरज की टीम बनाकर भाँवों में भेज करने के लिये भेजी है। साथ ही चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में

भी रोजाना दो दो बार इस बारे में मीटिंग हुई है और रोजाना अप्पोजिट की टीब ने वहाँ पर जा-जाकर जेक किया है कि पैसा वहाँ पर आया है या नहीं। आक्रायवाहन में तीसरी नम्बर् 0ए0एस0 अप्पोजिट की टीब बनाकर गांवों में भेजी है और उनसे कहा गया था कि आप वहाँ पर देखें कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है मर कहीं पर किसी आदमी को पैसा कम तो नहीं मिल रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी को पैसा दो हजार रुपयों मिल रहा हो और उससे अब खत-पाने हजार रुपये लेने के करार जा रहे हों। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात इस उम्र में बताते हुए बड़ी भारी असंतोष हो रही है कि एक जगह से भी हमारे पास कोई फंडिंग की सिफारिश नहीं आयी कि फलाने जगह पर ऐसे के मामले में गड़बड़ हुई है। कुछ ऐसी सिफारिशें तो हमें मिली हैं कि फलाने आदमी का अकाउंट खोल गयो लेकिन उसको फिर भी मुआवजा अभी तक नहीं मिलता। (विष्णु) आप सुनिश्च तो अध्यक्ष महोदय, एक आध सिफारिश हमारे पास यह भी आई कि फलाने आदमी का नुकसान तो हुआ नहीं था लेकिन फंडिंग भी वह मुआवजा ले गया है। (विष्णु) कुछ सिफारिशें आई हैं कि फलाने का नुकसान तो हुआ और वह मददवासी से मिलकर मुआवजा ले गया लेकिन हमने इस बात की जांच करवायी है और जेके लीग भी मुआवजा लेने से खुशगुम है उनको भी मुआवजा दिया जाएगा हमने कमिश्नर एच 0 एस 0 बी 0 एम 0 की डेयूटी अगवाई हुई है। साथ ही हमने जेके गेट से भी अप्पोजिट गांवों में भेजे हैं कि कहीं पर कोई आदमी मुआवजा लेने से रुक रहे तो नहीं गया है लेकिन अध्यक्ष महोदय जो आदमी नुकसान होने के बाद जूद भी मुआवजा ले गया है उससे अब अप्स लेना तो कठिन काम है। कहीं कहीं पर यह भी सिफारिश आयी है कि फलाने अकाउंट से सिर्फ बरार ही आई थी लेकिन उसको मुआवजा पूरा मिल गया है। यह नहीं कहता कि हमारे पास सिफारिशें नहीं आई हैं। मैं इस उम्र में खड़ा होकर आपकी तरफ से झूठ नहीं बोलता। हिस्सा में जो अर्थकर जाद आदी थी उसके बाद सरकार की तरफ से पूरे तरह से मदद करने की कोशिश की गई। जिले लोगों के बैंकों का लोन लेकर था उसको हमने लॉन्ग टर्म लोन में बदल दिया। (विष्णु) मेरे पास सकारपसील है और मैंने लाज खायरी भी लेकर है। (विष्णु) आप सुनने की कृपा तो करें। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक बहुत बड़ा हादसा खबरवाली में हो गया था। यह हादसा कोई छोट नहीं था बल्कि मैं तो यह कह सकता हूँ कि यह हादसा दुनिया में सबसे बड़ा था इस तरह से जल कर सरने का हादसा तो पहली बार ही इतना बड़ा हुआ है। बहुत पहले काम में सिनेमा से एक बड़ा जलके का हादसा हुआ था और तब वहाँ 250 आदमी मरे थे। (विष्णु) जहाज के खबरवाली का एक का सवाल है यह बहुत ही खबरवाली है लेकिन इसमें सरकार का कोई खेप नहीं है क्योंकि न तो वह सरकारी क्विलिटी ही थी और न ही वह सरकारी अकाउंट था। खबरवाली उस पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं था। अध्यक्ष महोदय जैसे आम तौर पर अप्पोजिट किया हो गया है कि आदमी के सौके पर एक बहुत ही सुन्दर महल बना दिया जाता है जिसमें प्लास्टिक के कपड़े लगा देते हैं और उसमें एक ही रास्ता निकलने का खेप देते हैं। यदि एक ही रास्ते से बसती आए और उसी से चले जाएं तो खेपते हैं कि अगर

[चौधरी भजन लाल]

एक रास्ता होगा तो इससे इसके अंदर जो खाने पीने का साभान होगा उसमें कोई भड़बड़ी नहीं फैलेगी। इसलिये एक रास्ता बनाते हैं और उसमें उन्होंने एक शादीतुभा पैलेस बना रखा था। वह डी०ए०बी० संस्था वालों ने किराए पर ले लिया और उसमें उन्होंने फंक्शन कर लिया लेकिन इत्तफाक से वहाँ पर आग लग गई। उसकी रिपोर्ट अभी डिटेल् से हमारे पास नहीं आई है लेकिन ज्यों ही हमें पता लगा हम मौके पर पहुंचे। हमारे मंत्री और विधायक श्री लखमन दास अरोड़ा, जगदीश तेहरा, मनीराम केहरवाला और श्रीमती संतोष सारवान सब लोग वहाँ पहुंचे और हम सभी जगह गए। हास्पिटल में गए लाशें पड़ी हुई थीं और बहुत बुरी हालत थी। कई जगह पति-पत्नी दोनों मर गए। सरकारी अधिकारी एस०डी०एम० और डी०एस०पी० बुरी तरह से झुलस गए। डबवाली में ही क्या सारे जिले और सारे हरियाणा प्रदेश में इस घटना के बाद मातम छाया रहा। कुदरत के आगे किसी का धोर नहीं चलता लेकिन सरकार जो कर सकती थी वह हर तरह से किया। जैसे उनको घर भिजवाया पोस्ट मार्टम का काम किया। जहाँ तक भवद करने की बात है 4 करोड़ 38 लाख रुपये, एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सात दिन के अंदर बांट दिया। 75 लाख रुपये इथाइयो के लिये दिए। लगभग 30 के करीब मरीज लुधियाना के एक बहुत अच्छे अस्पताल में भर्ती थे। वहाँ भी हमने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। लुधियाना में सरदार हरपाल सिंह जी की ड्यूटी थी, रोहतक में बहन करतार देवी की ड्यूटी सिरसा में लखमन दास अरोड़ा जी की ड्यूटी, डबवाली में जगदीश तेहरा जी की ड्यूटी और बिल्ली में मांगे राम गुप्ता जी की ड्यूटी थी। सभी जगह हमने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों सभी की ड्यूटी लगाई और सभी मौके पर गए और जो सहायता कर सकते थे वह की। प्रधान मंत्री जी को इत्तलाह दी तो उन्होंने कहा कि भजन लाल जी मैं चलूंगा। प्रधान मंत्री जी खुद आए और भी बहुत से लोग आए। चौधरीबंसी लाल जी भी आए, राम बिलास जी भी आए। सबने देखा। सरकार की तरफ से कोई कमी, कोई कोताही नहीं रही। बंसी लाल जी ने इस बारे जो सुझाव दिया वह बहुत अच्छा सुझाव है जिससे भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटेगी। उसके लिए बाकायदा हमने नार्म बना दिया कि कोई भी ऐसे मरिज पैलेस में शादी करेगा तो वह पहले एस०डी०एम० से इजाजत लेगा। एस०डी०एम० जाकर पंडाल देखेगा कि क्या पंडाल के चारों तरफ रास्ते हैं और उसमें कहीं प्लास्टर वाला कपड़ा न लगा हो उसकी देखभाल करने के बाद ही एस० डी० एम० उसमें शादी की इजाजत देगा। ऐसा हमने आदेश जारी कर दिया है ताकि कहीं भी कोई दुबारा घटना न घट जाए। इसी तरह से बाढ़ के लिए हमने हाई पावर कमेटी बना दी है वह देखेगी कि कैसे बाढ़ आ गई, क्यों आ गई और नहर साफ हुई कि नहीं। किधर से पानी आता है और उसकी रोकथाम कैसे की जाए। ज्यादा नुकसान तो पंजाब के पानी ने किया है, राजस्थान के पानी ने किया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि लोकल बरसात ज्यादा हो गई। बड़ा भारी नुकसान हो गया लेकिन कुछ जिलों में काम अच्छा हुआ। जैसे यमुना कंताल है, अम्बाला

जिला है, यमुनानगर है, उसके बाद कुश्नत है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है इस इलाके में जो बॉर्डर के साथ लगते एरिया हैं जो लाखों एकड़ जमीन बाढ़ से बर्बाद हो जाती थी, उसके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। रेत के कट्टे भरकर लगाए ताकि यमुना का पानी उफनेकर गाँवों में न आ जाए। इस वजह से बहुत मामूली नुकसान हुआ है। यमुना के इलाके में बहुत अच्छा बन्दोबस्त किया है। मैं इसके लिए सारे अधिकारियों और डिप्टी कमिश्नरों को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन भविष्य में बाढ़ न आए इसके लिए पूरा इंतजाम करने में हमें लगें हैं। तीन मीटिंग्स इसके लिए हो गई हैं और फाइनल रिपोर्ट आने पर हमें इस पर कार्यवाही करनी है। सिवाई महकमों ने 50 करोड़ रुपये इसके लिए अलग से माँगा है ताकि जितनी भी ड्रेनेज है उनकी कंपैसिटी डेढ़ गुनी या डबल हो जाए, उसके लिए हमने उनकी 50 करोड़ रुपये अलग से दे दिया है ताकि नहरों को जो पतली पतल है वह ऊँची हो जाए और बीच में से मिट्टी निकालकर उनको गहरा किया जाए या कहीं पेड़ पीछे, झाड़ बोझे उसमें न रहें। हर तरह से सरकार ने पूरा इंतजाम किया है ताकि फिर से प्रदेश में बाढ़ न आए।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं डबवाली कांड के बारे में आपको बता रहा था कि सब जगह जहाँ मरीज इलाज करवा रहे हैं, हमने पूरे दवा पानी का इंतजाम किया है। अब मरीज लगभग ठीक हो गए हैं। 5-6 मरीज लुधियाना में अभी बाकी हैं, अन्य सब मरीज अपने घर चले गए हैं। दूसरी बात इन्होंने कानून और व्यवस्था के बारे में कही। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 23 जून, 1991 को जब मैंने मुख्यमंत्री की शीय ली थी, उस समय इस प्रदेश को कानून और व्यवस्था की क्या हालत थी? आप भी जानते हैं, सारा सदन भी जानता है, चौधरी बंसी लाल जी भी जानते हैं और राम बिलास जी भी जानते हैं कि उस समय कानून नाम की इस प्रदेश में कोई चीज नहीं थी। किस तरह से ग्रीन विप्रोड के वदमाशों ने लोगों की जमीन पर कब्जे, लोगों के घरों पर कब्जे और शहरों में पड़ोसियों की जमीन पर कब्जे किये थे। श्रीम. प्रकाश चौटाला ने ग्रीन विप्रोड को लाइसेंस दे रखा था और कह रखा था कि कोई पूछे तो यह मेरी जिम्मेदारी देना। ऐसे ही कब्जे इन्होंने म्युनिसिपल कमेटियों के इलेक्शन में बूथों पर किए। जितना जुल्म और अन्याय लोगों पर उस राज में हुआ था उतना उससे पहले कभी नहीं हुआ था। इनके डर की वजह से प्रदेश की फैक्ट्रीज उठकर बाहर चली गई थी क्योंकि उनको ये कहते थे कि या तो इतने पैसे लाओ या फैक्ट्रीज प्रदेश से बाहर ले जाओ। इस प्रदेश के अन्दर इन्होंने क्या हालात पैदा कर रखे थे यह सबको पता है। हमने शीय ली ही फैसला किया कि हम अमन के साथ विकास करेंगे। चौधरी बंसी लाल जी कहते हैं कि हमने कहा था कि हमारे समय में राम राज्य होगा। अध्यक्ष महोदय, राम राज्य तो राम जी के युग में भी नहीं था। उस समय भी रावण जैसे राक्षस हो गए थे और सीता जी का हरण हो गया था। राम राज्य को

[श्रीधरी भजन लाल]

बात में नहीं कहता लेकिन सरकार की तरफ से अगर कोई कमी रही हो, कोई कोलाही रही हो, किसी बदमाश आदमी की सरकार ने मदद की हो तो कोई भाई कह सकता है। किसी भी गलत आदमी को हमने मुंह नहीं लगाया। किसी भी गलत आदमी को हमने नजदीक इसलिए नहीं फटकने दिया ताकि हमारे पास फटक कर वह बेईमानी गुण्डागर्दी या बदमाशी न करे। हमने कहा था कि ग्रीन बिग्रेड की जगह जेल में है। आज आपकी ग्रीन बिग्रेड का आदमी प्रदेश के अन्दर नहीं मिलेगा। आपको धार होगा कि जब ये लोग रोहतक में जलसा करने आते थे तो रेहड़ियों और दुकानों को लूट कर ले जाते थे या दुकान पर माल तुलवाया, बिनाले की बोरी तुलवाई, कपड़ा फड़वाया और दुकानदार जब पैसे मांगता था तो कहते थे कि ताऊ के नाम लिख लो। प्रदेश के अन्दर उस समय किस तरह का माहौल बना हुआ था यह आपको पता ही है। (विधन)

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, आप बीच में इंटरुप्ट न करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। जितने बलात्कार, हत्याएं, लड़कियों के रेप इनके समय में हुए उतने आज तक किसी के समय में नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप बीच में इंटरुप्ट न करें। (विधन)

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको सदन का कोई कायदा-कानून समझना चाहिए और सदन में कायदे की बात कहनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये तोट कर लें कि ये दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आएंगे। गोहाना से गंगा राम और संत कंवर होते थे, उनको भी मैंने यही बात कही थी। उनका भी अगर आपने सदन में दोबारा मुंह देखा हो तो बताएं। यह बात आप सबके 12.00 वजे सामने है। मैंने उनको कहा था कि आप दोबारा नहीं आओगे। अब यह बात है कि क्या उन्होंने दुबारा असेम्बली का मुंह देखा है? परमात्मा भी इस बात को देखता है कि यह आदमी एम0 एल0 ए0 बनने के लायक है या नहीं। अगर कोई काबिल होता है तभी लोग उसको एम0 एल0 ए0 बनाकर भेजते हैं। ऐसे ही लोग नहीं बनाते। इसलिए कृपया आप शांति से सुनिए। अगर हम किसी के बारे में कहें, आपकी पार्टी के बारे में कहें या आपके बारे में कहें तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं। अंधर में आपको कोई ऐसी बात कहूँ तब भी आप बोलें। (विधन) ... मैं कब कहता हूँ कि कत्ल नहीं हुए, कत्ल भी हुए हैं, बलात्कार भी हुए हैं, चोरी भी हुई है, लूटपाट भी हुई है। इस बात को क्या कोई रोक सकता है? क्या बंसी लाल जी के राज में ये घटनाएं नहीं हुई थीं? किसी का भी राज रहा हो क्या उसके राज में ये घटनाएं नहीं हुई थीं। राम के राज में भी यह बात नहीं रखी थी।

डॉ० रामप्रकाश : स्पीकर सर, यहाँ पर राम राज की बात नहीं होनी चाहिए। यह हमारा जजवाती मामला है।

चौधरी भजन लाल : यह आपका जजवाती मामला कैसे है। भगवान राम तो सभी के थे।

श्री अध्यक्ष : यह कोई जजवाती मामला नहीं है इसलिए रामप्रकाश जी आप बंठिए। (बिधन)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जितने भी सगड़े हुए, जितने भी करल हुए, चाहे बलात्कार के हैं या चोरियाँ हैं। 85 प्रतिशत चोरी का माल हमारी पुलिस ने बरामद किया है। करल के मामलों में इक्का दुक्का मामले हैं जहाँ पर मुल्जिम पकड़े नहीं गए हैं लेकिन उनको आईडेंटिफाई कर लिया गया है। सभी जगह उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। चाहे वह मयुनानगर की बात है या दूसरी बात है। लेकिन आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, कॅनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके कातिलों का भी अभी तक कोई पता नहीं चला, वह अभी तक नहीं पकड़े गए। हमने कह दिया है कि अगर हमारी कोई कोताही है, या हमारी फोर्स में कोई कोताही है तो ये कह सकते हैं। हम पूरी तरह से इस बात के लिए लगे हैं कि जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाए। हम रात दिन लगे हुए हैं। बहुत से पकड़े गए हैं और जैसे मैंने चोरी और लूट के बारे में कहा। 85 से 90 प्रतिशत तक माल बरामद हो चुका है। इस बारे में कल एक सवाल आया था लेकिन वह लग नहीं पाया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि 90 प्रतिशत तक माल हमने बरामद कर लिया है चोरों को भी पकड़ा है और इस बात के लिए हम लगे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा और आप भी जानते हैं कि अभी कितना भयंकर हादसा हो सकता था। सरदार बंशंत सिंह जी भी इस देश से चले गए, वे बड़े बहादुर व्यक्ति तथा देशभक्त थे। उनको भी लोगों ने मार दिया। आज तो एक नया आर० डी० एक्स० चल पड़ा है। पता नहीं यह क्या बिमारी है। लेकिन हमारी पुलिस फोर्स ने अकेले अम्बाला जिले में साढ़े 83 किलो विस्फोटक आर० डी० एक्स०, दो मानव बम, जैकेट और भी दूसरा असला बरामद किया और मुठभेड़ में एक सिपाही मारा गया, एक ए० ए० आई० जखमी हो गया। इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया था। पड़ोस में पंजाब में आग लगी हुई थी। इसलिए आप जानते हैं कि अगर पड़ोस में आग लगी हो तो अपना घर बचाकर रखना बहुत कठिन काम है। हमारी पुलिस फोर्स ने, सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हरियाणा प्रदेश में इक्का दुक्का घटना को छोड़कर के कहीं कोई ऐसी बारशात, कोई ऐसी घटना नहीं होने दी। बड़ा भारी कुत्तर कंट्रोल किया, फिर भी यह कहते हैं कि पुलिस ने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया। फिर इन्होंने पुलिस भर्ती की बात कह दी। चौ० बंसी लाल जी और यह श्रीमान चौधरी छतर सिंह चौहान जी भी बार-बार खड़े होते थे। चौहान तो बहुत समझदार हुआ करते हैं। यह पता

[चौधरी भजन लाल]

नहीं कौन से जौहान हैं। पृथ्वी राज जौहान जैसे व्यक्ति भी इस देश में हुए। (विष्णु) श्री राम प्रकाश जी, मुझे आपसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना पढ़कर तो भजन लाल भूल गया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुलिस भर्ती की बात है उन्होंने कह दिया कि पुलिस की भर्ती में बड़ी भारी गड़बड़ हुई, बेईमानी हुई। चौधरी बंसी लाल ने कहा कि भजन लाल के घर पर लिस्ट लगी हुई है और वहां नौकरी विकती है। ये कम से कम कुछ परमात्मा को हाजिर ताजिर रखकर बात करें। आप बड़े समझदार आदमी हैं।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। मैंने यह कहा था कि हाई कोर्ट ने उस भर्ती को सैट असाइड कर दिया। उन्होंने कहा है कि पुलिस की भर्ती में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म हुई है। मैंने भजन लाल के घर का या दरवाजे का जिक्र नहीं किया।

चौधरी भजन लाल : अपने किसी स्टेज पर यह बात कही थी।

चौधरी बंसी लाल : मैंने किसी स्टेज पर भी यह नहीं कहा। जो पहले भर्ती हुई थी उस वक्त मैंने इसी हाउस में कहा था कि आपका लड़का आपके घर पर भर्ती करता है।

श्री कर्ण सिंह बलाल : चन्द्र मोहन का अखबार में ब्यान आया है कि पुलिस भर्ती में हेराफेरी हुई है।

चौधरी भजन लाल : मेरे लड़के ने कल इस बारे में कलौरी फाई कर दिया था कि उसने कोई ब्यान नहीं दिया है। उन्होंने पर्सों नव भारत टाइम्स पंपर को हिला हिला कर कहा कि एक सिपाही ने ब्यान दिया है। उन्होंने यह भी कह दिया कि इस खबर का शीर्षक है "अपराध दै और गुस्ता छिपा है उनके दिलों में"। उस खबर में 1700 पुलिस कर्मियों की भर्ती को जज्ज क्लब द्वारा रद्द करने के बारे में लिखा है। उसमें साकेब, राज कुमार, खतबीर, संजय, विमोद और सुनील के नामों का जिक्र किया गया है। यह खबर रोहतक से छपी थी कि इन नामों के लोग रोहतक में 1995 में भर्ती हुए थे। जब इनसे तथा उनके परिवार के सदस्यों से पता किया गया तो सभी ने कहा कि भर्ती के लिए किसी को कोई प्रीस नहीं बिसा और नहीं हमने अखबार वालों को ऐसा ब्यान दिया है। प्रैस रिप्रेटर्स से जब पूछा गया तो उस से बताया कि मैं तो सुनी सुनाई खबर छाप दी, मैंने किसी का ब्यान नहीं लिखा। आज के अखबार में उसकी तरहीद आ जानी थी लेकिन कल जतकी छुट्टी हो गई इसलिए वह खबर नहीं आ सकी। चौधरी बंसी लाल जी को कुछ कहने से पहले इसकी तरह में जानना चाहिए था कि सही बात क्या है। या को लोग सिख कर देते कि वे पैसे के कर लगे हैं।

श्री० छतर सिंह चौहान : आपका बुद का लडका कह रहा है कि इसमें खडबड हुई है ।

श्रीधरी भजन लाल : मेरे लडके ने कल हाउस में क्लैरिफाई कर दिया था कि मेरा ऐसा कोई ब्यान नहीं है । मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस केस में हाई कोर्ट के कोई सिट्टकर नहीं हैं ।

श्री० राम प्रकाश : आप हाई कोर्ट के फैसेले की कापी संगवा ले फिर पता चल जाएगा ।

श्रीधरी भजन लाल : अभी तक हमें फैसेले की कापी नहीं मिली है, उम्मीद है कि कल तक मिल जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : कापी तो आप भी ले सकते हैं ।

श्रीधरी बंसी लाल : आपने कहा कि मुझे तसल्ली करनी चाहिए श्री । मैं नव भारत टाइम्स को काफी रिजलयेबल अखबार मानता हूँ वरना मैं उसको पढ़ता ही न । उसने बाकायदा नाम दिए हैं कि दो तीन जगह तो पैसे तीन परसेंट पर भी उठाए हैं । हमारी बात गलत नहीं है उनको पैसा वापिस दे कर ब्यान लिखवा लिया होगा । हमने किसी को कुछ नहीं कहा । यह मेरी व्यक्तिगत राय है । उनको पैसा वापिस दिला कर ब्यान लिखवा लिया होगा । अगर गरीब आदिमियों को पैसा वापिस मिल गया होगा तो आप उनसे कुछ भी कहलवा लो । (शोर)

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, जो ऐजेंट हैं वे नीचे से खबर भेजते हैं वह कौन सा बैरीफाई करते हैं ।

श्रीधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा अन्दाजा यह है कि अगर किसी ने पैसा लिया होगा तो वह वापिस दे दिया गया होगा और पैसा वापिस दिलाने के बाद उनसे ब्यान ले लिया होगा ।

श्रीधरी भजन लाल : श्रीधरी साहब, यह हाउस है यहाँ पर आप अन्दाजे की बात न कहो यहाँ पर तो ठोस बात कहो । ऐसा कहना ठीक नहीं कि पैसा वापिस दे दिया होगा उसके बाद ब्यान लिख दिया होगा । मैं कहता हूँ कि यह बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलैस एलीमिशन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है । (शोर) अध्यक्ष महोदय हाई कोर्ट ने यह बताया है कि जो पुलिस की भर्ती हुई है वह कायदे के मुताबिक नहीं हुई है । पुलिस की भर्ती का कायदा क्या है । वह यह है कि एकसे ले कर बीस तक राज्य हैं । उन राज्य के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू, कश्मीर में और दिल्ली में भी पुलिस की भर्ती होती है । पुलिस की भर्ती ऐसा नहीं है कि एस० एस० एस०

[चौधरी भजन लाल]

बोर्ड में इंट्रूज्यू लिया और लगा दिया, ऐसा रूल में नहीं है। न ही आज तक ऐसा हुआ है। चाहे चौधरी बंसी लाल जी मुख्य भर्ती रहे हैं और चाहे चौधरी देवी लाल जी मुख्य भर्ती रहे हैं किसी के टाईम में भी ऐसा नहीं हुआ। जब पुलिस की भर्ती की जाती है तो उसके बारे में लोगों को पहले ही पता लग जाता है और पांच पांच हजार कंडीडेंट्स हर जिले में आते हैं और एस० पी० की देख रेख में उनकी पैमाइश होती है। पूरे नॉर्म के अनुसार भर्ती की जाती है। पहले तो पुलिस की भर्ती के लिए लोग मिलते ही नहीं थे और आजकल इतने आ जाते हैं कि सब को लगा ही नहीं सकते (शोर)

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, * * * * *

(शोर)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded without my permission.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको बीच में न बोलने दें। या तो आप इनको पहले बुलवा लें उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा या इनको बीच में बोलने से रोकें। (शोर) ये इस तरह से न बोलें यदि मैं कुछ कहूंगा तो मामला खराब हो जाएगा। जो लीबी में दर्शक बैठे हुए हैं उनकी धर्म करो, अखबार वालों की धर्म करो। अपने किरदार को देखें। (शोर)

चौधरी बंसी लाल : आप अखबार वालों को तो कुछ समझते ही नहीं हैं। (शोर)

चौधरी भजन लाल : मैं अखबार वालों की बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आपकी बात जिसने छपी है, वह राजेन्द्र सिंह आपका बड़ा भारी स्पोर्टर है।

चौधरी बंसी लाल : आप जिस अखबार वाले का नाम ले रहे हैं मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता ही नहीं हूँ। वह मुझे आज तक कभी मिला भी नहीं है।

चौधरी भजन लाल : अच्छी बात है अगर वह आपको नहीं मिला है लेकिन वह आपका बड़ा भारी स्पोर्टर है।

अध्यक्ष महोदय, रूल के तहत पुलिस भर्ती की जाती है। किसी आवामी से कोई पैसा नहीं लिया गया। कहीं पर ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई। डी० आई० जी० ने जो लैटर लिखा है उसकी हॉम सैक्रेटरी इन्वॉयरी कर रहे हैं। जहाँ तक 1700 पुलिस कर्मचारियों को निकालने की बात हाई कोर्ट ने कही है, उसको हम दुबारा एडवर्टाईज करके और जैसा हाईकोर्ट ने कहा है, के अनुसार भर्ती करेंगे और यदि

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता हुई तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। जब हम द्वारा भर्ती करेंगे तो हाई कोर्ट के मुताबिक एक कमेटी बना देंगे। यह कमेटी किसी डी० आई० जी० की अध्यक्षता में हो सकती है। उनकी ही निगरानी में भर्ती हो सकेगी। हम यह भर्ती जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आगे इलैक्शन आने वाले हैं और उनमें पुलिस फोर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। (विधन) अब तक जो भर्ती की जाती रही है वह आज से नहीं बल्कि जब से पंजाब और हरियाणा एक थे, उस वक्त भी यही नियम था। जो अब भर्ती की गई है इसके लिए भी कोई नया नियम नहीं बनाया गया था। मैं फिर कहता हूँ कि हम सारी भर्ती कायदे कानून के मुताबिक करेंगे।

चौधरी बंसी लाल : आपने लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में जवाब नहीं दिया। गवर्नर एड्रेस में भी गवर्नर साहब ने कहा है कि मेरी सरकार ने लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को कन्ट्रोल में किया है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब हिसार के दो आई० पी० एस० अधिकारियों को जिनमें एक एस० एस पी० व एक एस० पी० था, को सुप्रीम कोर्ट ने कैद की सजा सुना दी हो, और एक रेलवे के एस० पी० को कैद हुई हो तो फिर आपने उनको कैद के बाद कैसे ड्यूटी पर लगा दिया? आपने कैद काट चुके अधिकारियों को बड़ी अच्छी पोस्टिंग पर लगाया है। एक को जीन्द का एस० पी० लगा दिया और दूसरे को रेलवे पुलिस में एस० पी० लगा दिया। आप यह विश्वास दिला सकते हैं कि जिन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मान कर सजा सुना दी हो और आप फिर उनको अच्छी पोस्ट पर लगा दें तो क्या वे लोगों को न्याय दे पाएंगे? जिन लोगों ने कायदे कानून को तोड़ा हो क्या वे रिस्पॉसिबिलिटी ठीक प्रकार से निभा पाएंगे? एक एस० पी० रिवाड़ी की तलाशी सी० बी० आई० ने ली और उसका केस अन्डर इन्वेस्टीगेशन है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि हिसार के एस० पी० को सजा क्यों हुई, किस हाल में हुई और उसकी सजा होने का कारण क्या था?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हिसार के एस० पी० की बात इन्होंने कह दी वह भी मैं इनको बता देता हूँ। हिसार की बात ये क्यों पूछ रहे हैं यह भी बता देता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे दामाद की फैक्टरी है और इनको उसका फोबिया हो गया है इसलिए ये उसके बारे में हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई आदमी ठगी करके उनसे साढ़े चौदह लाख रुपये ले गया। उसने कहा कि वह उनको मशीनरी देंगे। उन्होंने ड्राफ्ट बना दिया और 6 महीने का समय ले लिया लेकिन 6 महीने तक भी उसके पैसे नहीं दिये। उसने फिर कहा कि पैसे दो या सामान दो लेकिन उसने 3 महीने का समय फिर ले लिया और तीन महीने तक भी उसने मशीनरी नहीं दी। उन्होंने फिर कहा कि मशीनरी दो या पैसे वापिस दो। उनको वह चैक दे गया जो डिस्ऑनर हो गया। उन्होंने उसके खिलाफ 420 का

[चौधरी भजन लाल]

केस दर्ज करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, क्या किसी आदमी के खिलाफ केस दर्ज करवाना कोई गुनाह है, क्या वे केस दर्ज नहीं करवा सकते थे? अध्यक्ष महोदय, मैं ओंला ओंला कहता हूँ। (विष्णु) गंजाजल उठाकर कहता हूँ कि पुलिस वहाँ पर उनको पकड़ने के लिए आई। (विष्णु) अध्यक्ष महोदय, ये क्या * * * * * बात कहते हैं।

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गलत शब्द कहा है, वह अन पालियामेंटरी है। इसलिए उसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वे लोग ग्राए थे लेकिन उनका असली मालिक नहीं आया। जब उन्होंने वहाँ पर कोर्ट में जमानत करवाई तो असली मालिक ने बीमारी का सर्टिफिकेट दे दिया और वह नहीं गया। उन्होंने दो लोगों को भेजा। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की और उनको रोक लिया। उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रिट वायर कर दी कि पुलिस ने हमारे आदमियों को छः घण्टे, 12 घण्टे या एक दिन तक बिठा लिया। मुझे सही वक्त का पता नहीं है। उसने कोर्ट से अपील की कि हमारे आदमियों को वगैर कानूनी कार्यवाही के हिरासत में रखा। कोर्ट ने सी० बी० आई० से जांच करने को कहा। सी० बी० आई० ने यह जांच करके रिपोर्ट दी कि पुलिस ने उन आदमियों को 6 घण्टे पूछताछ के लिए वहाँ पर बिठाया। एस० पी० से कोर्ट ने एफिडेविट देने को कहा। एस० पी० के एफिडेविट में कोई कमी रह गई। आदमियों के बारे में एस० पी० ने कहा कि उसने आदमियों को नहीं बिठाया। कोर्ट ने इसी बिनाह पर कि एस० पी० द्वारा दिया गया एफिडेविट ठीक नहीं था, उसको 3 महीने की कैद कर दी साथ ही दो महीने की कैद इन्स्पेक्टर को भी हुई और दो महीने या तीन महीने की सजा सब इन्स्पेक्टर को हुई। इस बारे में मुझे पक्का पता नहीं है। कोर्ट ने उनको सजा कर दी लेकिन अब वे लोभ सजा काट कर आ गए हैं। तो क्या उनको वापिस घर भेज देते। उनको नौकरी पर वापिस लिया गया है और वाक्यांश डिपार्टमेंटल जांच की जा रही है। डिपार्टमेंटल जांच करके उनको वापिस भी दी गई है कि भविष्य में वे इस बात का ध्यान रखें कि किसी प्रकार गलत एफिडेविट न दें। (विष्णु)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, एफिडेविट में क्या कमी रह गई थी, ये वह भी बता दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, पुलिस वालों ने उन आदमियों को बिठा लिया, सी० बी० आई० की जो इन्वार्थरी हुई थी उसमें रिपोर्ट में यह बात कही

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

नहीं थी और कोर्ट ने उसको ठीक मान लिया। उनके खिलाफ हमने भी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की है और उनको बर्निंग दी है जो कि बाकायदा उनके रिकार्ड पर लगेगी। इससे ज्यादा हम और क्या सोच सकते थे? इसके अलावा इन्होंने फरीदाबाद के एक और एस० पी० के बारे में कह दिया। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही तो हमें उसे सिर झुका कर मानना ही चाहिए और यह हमारा कर्तव्य भी है। असल में सब क्या है वह मैं आपको बताता हूँ कि एक गिरोह फरीदाबाद में लोहे की चोरी रेलवे स्टेशन पर करता था वहाँ की पुलिस ने उस गिरोह के 2-3 लोगों को तो पकड़ लिया लेकिन 4-5 लोग नहीं मिले तो पुलिस उनके बच्चों को उठा कर ले आई। वे लोग कहते हैं कि पुलिस हमारे नाबालिग बच्चों को उठा कर ले गई और पुलिस वाले कहते हैं कि वे बालिग हैं। बच्चों के मां-बाप इस मामले को हाई कोर्ट में ले गए। इसके लिए कोर्ट से इन्क्वायरी हुई और कोर्ट ने एस० पी० से इस बारे में एफिडेविट मांगा था। एस० पी० ने क्या गलती की कि उसने हवलदार या सिपाही को उस एफिडेविट पर अपने दस्तखत करने को कह दिया था क्योंकि वह वहाँ पर नहीं था। हाई कोर्ट ने इस बात को पकड़ लिया तथा इस बिनाह पर उसको सजा हो गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या ये सजा काटने वाले को भी नौकरी पर लगाएंगे ?

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उनको उनके गुनाह के हिसाब से सजा मिल गई है, अब हम उनको 100 प्रतिशत नौकरी पर लगाएंगे।

श्रीधरी बोरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इललीगल कन्फाइटमेंट की वजह से इन आफिसर्स को सजा सुनाई गई थी, क्या ये उसको भी वायलेशन आफ ह्यूमन राइट्स मानते हैं? यदि हाँ, तो अगर ये उसको नौकरी देते हैं तो ठीक बात नहीं है। उनको सर्विस में रहने का कोई राइट नहीं है। अगर मुख्य मंत्री जी इसको लाईटली लेते हैं तो यह गलत बात है। बात यह नहीं कि उन्होंने 6 महीने की सजा काटी है या 3 साल की सजा काटी है, बात तो यह है कि उन्होंने सजा काटी है इसलिए उनको नौकरी में नहीं रखना चाहिए। अहलाबत का भी यही केस है। अगर आप इसको भी लाईट-वेट से लेते हैं तो ठीक है।

श्रीधरी भजन लाल : यह लाइट वेट की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने गुनाह किया था उसकी सजा तो उनको मिल गई और हमने उनकी फाईल के साथ बर्निंग भी लगा दी है। अब इससे ज्यादा उनकी क्या सजा हो सकती है? अब क्या हम उनको फाँसी पर लटका दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। मुख्य मंत्री जी आप बोलें।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : अगर आप इसे इन्टेंसिटी डाउट नहीं मानते तो आप यह पता करें कि वह एस० पी० जहाँ से पटना क्या करने जाता है और वह कितनी बार जाता है ? यह तो आप पता करके बता देंगे ।

चौधरी भजन लाल : हम आपको पता करके बता देंगे ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली है तो क्या ये इसे मोरल टरपीच्यूट मानते हैं या नहीं ? इस बारे में आप हमें बताएं ।

चौधरी भजन लाल : चौधरी साहब, जो उनको सजा सुप्रीम कोर्ट ने देनी थी वह दे दी गई है ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में रॉग ऐफिडेविट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिन अफसरों को सजा दी है तो क्या हरियाणा सरकार इसको मोरल टरपीच्यूट मानती है या नहीं ?

चौधरी भजन लाल : हम जो मान सकते हैं उसके हिसाब से हमने सजा दे दी । हमारी बुद्धि के मुताबिक जो हमारी समझ में आया वह हमने मान लिया । (विष्णु)

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर सर, वे सुप्रीम कोर्ट से सजायाफ्त हो चुके हैं । (विष्णु)

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, आप अब बैठिए । अब आपके लीडर भी बैठ चुके हैं ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से सिर्फ इतनी सी बात का जवाब चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में गलत ऐफिडेविट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सी० बी० आई० से इन्क्वायरी करवाकर जिन ऑफिसरों को सजा दी है तो क्या हरियाणा सरकार उसको मोरल टरपीच्यूट मानती है या नहीं मानती है, इतना सवाल हम इनसे जानना चाहते हैं ।

विजयी मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, एस० पी० के खिलाफ चांजिज लगे हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति को रॉग तरीके से 6 या 8 घंटे जेल में रखा और जब सुप्रीम कोर्ट ने एस० पी० से इस बारे में ऐफिडेविट मांगा तो एस० पी० ने कह दिया कि मैंने उनको जेल में नहीं रखा लेकिन सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट को शक हो गया और उसने सी० बी० आई० से इस मामले की इन्क्वायरी करवाने का हुक्म दिया । सी० बी० आई० ने जांच करके कह दिया कि रॉग तरीके से उनको जेल में रखा गया है । अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतना एस० पी० साहब ने कहा था तो इसमें क्या बात हो सकती है ? He gave a false evidence in the Court.

श्री० छतर सिंह चौहान : क्या आप इस बात को कोई भी बात नहीं मानते ?
(विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : लेकिन आप इस तरह से श्रुत करके क्या कहना चाहते हैं ? आप मेरी बात तो सुनिए । (विघ्न) एस० पी० ने सुप्रीम कोर्ट में गलत ऐफिडेविट दिया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को शक हो गया और उसने सी० बी० आई से इन्क्वायरी करवाकर उसको एक महीने की सजा दे दी । लेकिन गवर्नमेंट उसको कितना गलत मानती है यह गवर्नमेंट की अपनी जजमेंट है और गवर्नमेंट ने उसको अपनी जजमेंट के हिसाब से सजा दे दी । फिर अब क्या ज्ञात रह गयी और इसमें मोरल टरपीच्यूट क्या रह गया ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीधरजी बंसी खाल : वहां पर कहने से इतनी आसानी से काम थोड़े चल जाता है । आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो मर्जी आए थोड़े ही कह सकते हैं कि हमसे इतनी सी गलती हो गयी । यह क्या बात हुई ? इसी तरह से मैं मुख्यमन्त्री जी से एक और बात जानना चाहता हूँ ।

श्रीधरजी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, ये हवाला काण्ड के बारे में भी बताएं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, आप बैठिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीधरजी भजन लाल : आप सुनिए तो । मैं हवाला की बात पर ही आ रहा हूँ । (विघ्न) आप सुनने की कृपा तो करें । (विघ्न)

श्रीधरजी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो एस० पी० सिरसा लगा हुआ है क्या वह गुजरात कैडर का है और क्या कोर्ट से उसको वापस गुजरात जाने का हुक्म नहीं ही चुका है और क्या भारत सरकार ने भी उसे वापस गुजरात जाने के लिए नहीं कह दिया है ? लेकिन सर, अभी तक हरियाणा सरकार ने उस एस० पी० को इन्क्वायरी के लिए वहां पर लगाया हुआ है ।

श्रीधरजी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये इनका क्या तरीका है ? उसको कहां पर लगा रखा है कहां पर नहीं लगा रखा है यह तो सरकार का काम है और यह तो प्रशासन चलाने की बात है । जो अफसर अच्छा है हम उसको रखेंगे और इसलिए हमने उस अफसर के बारे में भी भारत सरकार को लिख दिया है कि हम उसको यहीं पर रखेंगे । वैसे भी उसकी धर्मपत्नी यहीं पर सर्विस में हैं ।

श्री० राम बिलास शर्मा : लेकिन वह तो डिस्मिस हो गयी है ।

श्रीधरजी भजन लाल : मुझे नहीं पता कि वह डिस्मिस हो गयी है या नहीं ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उसकी पत्नी रामबिलास जी के खिलाफ कैंडीडेट है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। (विष्ण)

श्री० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्लायंट आफ ऑर्डर है। मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि वह एक प्लायंट क्लीयर कर दें कि अगर किसी कास्टेबल या हेड कास्टेबल को आप उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज होने पर सस-पैन्ड करते हैं और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट से सजा भी हो जाती है तो क्या आप उस कास्टेबल या हेड कास्टेबल को रिइस्टेट करते हैं ?

श्रीधरजी भजन लाल : जूम को देखकर करते हैं। सजा उन्होंने काट ली तो क्या करेंगे। या तो उनको टर्मिनेट करें या वापस लें। (विष्ण)

श्रीधरजी बंसी लाल : आपने जी सिरसा का एस० पी० लगा रखा है उसके बारे में कोर्ट के और भारत सरकार के जो लेटेस्ट ऑर्डर हैं उनके बारे में आप बता दें।

श्रीधरजी भजन लाल : मेरे पास ऑर्डर नहीं है और सरकार द्वारा बहाना जहरी भी नहीं है।

श्रीधरजी बंसी लाल : भारत सरकार ने कुछ लिखा नहीं है। (विष्ण)

श्रीधरजी भजन लाल : मुझे याद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रदेश में ऐग्रीकल्चर का टाल्लुक है बेपनाह तरक्की प्रदेश में हुई है। 110 लाख टन अनाज गए साल में पैदा हुआ और 45 लाख टन अनाज हमने सैन्ट्रल पूल में दिया। जहाँ तक सिंचाई का टाल्लुक है अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एस० वाई० एल० कैनाल के बारे में जिक्र किया। (विष्ण)

श्री० ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी शर्मा जी से कहा है कि मिसयूज ऑफ पाँवर अक्टूयारात का नाजायज इस्तेमाल करना और बड़बुलाकी दोनों अलग-अलग चीजें हैं इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। उस एस० पी० ने अपनी पाँवर का नाजायज इस्तेमाल किया। (विष्ण)

श्रीधरजी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एस० वाई० एल० हरियाणा की जीवन रेखा है इसलिए हम इसके लिए लगे हैं बड़ी भारी कोशिश की है और मैं बार-बार बड़ी बात दोहराऊँ तो अच्छा नहीं लगता। एस० वाई० एल० का 95 परसेंट काम आज की सरकार करवा कर गई थी केवल पाँच परसेंट बाकी रह गया था लेकिन पंजाब के हालात खराब हो गए। (विष्ण)

श्रीधरजी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कम्प्यूटर एण्ड ऑडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट पढ़कर सुना दी तो फिर भी ये यही बात कहते रहें तो हम क्या करें ?

चौधरी भजन लाल : बंसी लाल जी, आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। मैंने कांग्रेस की बात कही है। मैंने कहा है कि 95 परसेन्ट नहर कांग्रेस बनाकर गई जिसमें बंसी लाल भी शामिल हैं और भजन लाल ज्यादा है।

चौधरी बंसी लाल : मगर अब तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है। अब वह क्यों नहीं बन रही? यह व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि कौन काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है।

चौधरी भजन लाल : जब यह नहर का फैसला हुआ था, आप उस समय देश में सर्वोच्च थे और आपको एमरजेंसी का हीरो लोग कहते थे। आप एमरजेंसी के हीरो थे और इन्दिरा जी के, संजय गांधी के बड़े भारी सलाहकार थे। आपने कहा था कि जब मैंने बछड़े की काबू कर रखा है तो गाय तो पीछे आती ही रहेगी।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वह सब गलत है, असत्य है, इसमें कोई बात सच नहीं है। सच इनको बोलना आता ही नहीं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वहां गलत फैसला करवाया। नहर वहां से शुरू होनी थी जहां से पानी आता है लेकिन इन्होंने उसे वहां से शुरू नहीं किया। उस नहर को बने हुए पन्द्रह साल हो गये हैं अब वह सारी की सारी बर्बाद हो गई। अगर ये उसको वहां से बनवाते जहां से पानी शुरू होता है तो ठीक था। उस वक्त चौधरी बंसीलाल भी वहां चीफ मिनिस्टर थे और सेंटर में भी वे डिफेन्स मिनिस्टर थे। उस वक्त पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर इन्होंने यह नहर क्यों नहीं बनवाई? आज ये मुझे कहते हैं, मेरे जिम्मे लगाते हैं। हमने इसका फैसला करवाया था और वाक्यावदा ट्रिब्यूनल मुकर्रर करवाई। ट्रिब्यूनल ने हरियाणा प्रदेश को पहले से ज्यादा पानी दिया था 3.83 एम० ए० एफ० पानी दिया। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस काम को मैं लटका कर गया। हकीकत यह है कि 24 मार्च 1976 को सेंटर में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसका मैं भी मੈम्बर था। उस मीटिंग में एस० वाई० एल० का फैसला करवाया गया। एस० वाई० एल० का जो फैसला मैंने करवाया था उसमें 3.5 एम० ए० एफ० पंजाब, 3.5 एम० ए० एफ० हरियाणा 1 एम० ए० एफ० राजस्थान, .65 जे० एण्ड के० और .23 दिल्ली को पानी देना तय हुआ था। इस प्रकार टोटल 15.85 एम० ए० एफ० पानी का फैसला हुआ था। मैंने इंदिरा जी को कहा कि 15.85 नहीं बल्कि 19 एम० ए० एफ० पानी पंजाब के पास है, तो इंदिरा जी ने कहा कि फालतू पानी हरियाणा से लेना। हम फैसले में पंजाब पर सीलिंग लगा देते हैं हरियाणा पर सीलिंग नहीं लगाते। जो फैसला किया गया वह यह था :- That the State of Haryana

[चौधरी बंसी लाल]

will get 3.5 M. A. F. and the State of Punjab will get the remaining quantity of water not exceeding 3.5. M. A. F. Mind it Mr. Speaker, here it says that Punjab will get from the remaining water not exceeding 3.5. M.A.F. बाद में चौधरी भजन लाल जी तशरीफ ले आए, इन्होंने क्या किया कि 31 दिसम्बर, 1981 को पंजाब के मुख्य मंत्री श्री दरबारा सिंह और राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री शिव चरण माथुर के साथ एक समझौता किया। तब चौधरी भजन लाल ने क्या माना कि पंजाब को 3.5 के बजाय 4.22 एम० ए० एफ० और हरियाणा को 3.5 एम० ए० एफ० तथा राजस्थान को इन्होंने किया 1.60 एम० एफ० ए०। इन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। तो फिर आप बताएं कि पानी इन्होंने क्याया कि मैंने। उसके बाद इराड़ी ट्रिब्यूनल बना। उसकी प्रोसीडिंग मेरे होते हुए हुई। मैं इराड़ी साहब से दो-तीन बार मिला और मैंने उनसे कहा कि सेंट्रल कैबिनेट में ऐसा हुआ था तो इराड़ी साहब ने मेरे से कहा—
"Mr. Bansi Lal, you know that I am a sitting Judge of the Supreme Court, I will go by the law and your predecessor came to me two or three times, he could not follow me and I could not follow him and he has already accepted that your share is 3.55 M. A. F. and the Punjab share is 4.22, so, will give you water according to that because this rule of rejudicata is applicable on both States." भट्टा तो सारा इन्होंने बैठाया, मैं क्या करूँ ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि पानी की कम मैंने करवा दिया। श्रीमान जी, 3.5 एम० ए० एफ० पानी आप लेकर आए थे, हमने तो 3.83 एम० ए० एफ० पानी करवाया है।

चौधरी बंसी लाल : यह कहाँ से बढ़ गया। फिर यह सेंट्रल क्यों लिखा गया That the State of Haryana will get 3.55 M. A. F. and the State of Punjab will get the remaining quantity of water not exceeding 3.5 M. A. F.

चौधरी भजन लाल : फिर आप बढ़े हुए में से फालतू पानी दिला देते। (विघ्न) श्रीमान जी, 3.55 एम० ए० एफ० पानी आप लेकर आए थे। बाद में पानी बढ़ गया। हमने सोचा कि नहर किसी तरह से अनार्ई जाए। इसलिए बढ़े हुए में से हमने पानी पंजाब को दे दिया।

चौधरी बंसी लाल : पहले पानी तो बहुत ही ज्यादा था।

चौधरी भजन लाल : फिर ज्यादा पानी लिखा क्यों नहीं, पानी 3.5 एम० ए० एफ० ही क्यों लिया ?

चौधरी बंसी लाल : यह सेंट्रल लिखा हुआ था "The State of Haryana will get 3.55 M. A. F. and the State of Punjab will get the remaining quantity not exceeding 3.5 M.A.F."

जोधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में ट्रिब्यूनल बना। ट्रिब्यूनल ने हमारा 3.5 से बढ़ाकर 3.83 कर दिया। यह ट्रिब्यूनल पालियामेंट ने बनाया था और ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता है। उसको कोई इधर-उधर नहीं कर सकता। न उसकी कोई अपील है, न वलील है। उसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ट्रिब्यूनल का फैसला हो गया। फिर इन्होंने कहा कि एक बार जब पहले सुप्रीम कोर्ट से आपने केस वापिस ले लिया था, अब दोबारा क्यों किया। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इनको इस बात का पता नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट में किस लिए गए हैं। पहली बार तो सुप्रीम कोर्ट से पंजाब ने भी फैसला वापिस ले लिया था और हमने भी वापिस ले लिया था क्योंकि दोनों ने ट्रिब्यूनल का फैसला मान लिया था। आपको पता है कि उसके बाद पंजाब का माहौल बिगड़ गया। इसलिए इन्होंने नहर नहीं बनवाई। उसके बाद माहौल ठीक होने पर इंदिरा गांधी जी ने उस नहर की आधारशिला रखी और नहर बननी शुरू हुई। लेकिन अभी भी 5 प्रतिशत नहर अधूरी पड़ी है। इसे कम्प्लीट करवाने के लिए बंसीलाल जी ने भी जोर लगाकर देखा लिया और हमने भी देखा लिया। हमें भी इस बारे में कोशिश करते हुए 5 साल हो गए और इस असे में हमने कोई कोशिश नहीं छोड़ी। मैं आपसे कोई गलत बात कह दूँ कि यह नहर आज बनाएंगे, कल बनाएंगे तो वह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शुरू में मैंने कहा था कि हम इस नहर को एक साल में बनाएंगे। यह बात हमारे चुनाव मैनीफेस्टो में भी थी कि हम नहर को बनाएंगे लेकिन कैसे बनाते? पंजाब के हालात दिन-प्रति दिन और खराब होते गए। बेअंत सिंह जी के आने के बाद जब हालात ठीक हो गए तो इस बारे में बेअंत सिंह जी से बातचीत हुई। सरदार बेअंत सिंह ने इस बारे में कहा और आपने अखबारों में उनका ब्यान भी पढ़ा होगा। उन्होंने कहा था कि नहर तो हमने बनानी है, पानी हरिभाणा को हमने देना है और बात नजदीक भी लग गई थी। नहर का काम शुरू होने वाला था लेकिन उनकी हत्या हो गई। इस वजह से काम बीज में रह गया।

जोधरी बंसी लाल : सरदार बेअंत सिंह के दूसरी तरह के ब्यान आते रहे हैं जिनमें किन्तु परन्तु लगे होते थे।

जोधरी भजन लाल : वे भी तो एक राजनीतिक आदमी थे। उनके सामने भी तो पंजाब का सवाल था, पंजाब के हितों का सवाल था। इसलिए वे भी किन्तु परन्तु तो लताएंगे ही। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद पंजाब के नये मुख्यमंत्री बराड़ साहब बन गए। हमने उनसे बातचीत की। एक दफा वे मेरे घर आए और 5 बार मैं उनके घर गया। मैंने उनसे कहा कि मेहरबानी करके यह नहर बना ली। बराड़ साहब कहने लगे कि भजन लाल जी, यह मेरे बस की बात नहीं है। मैं अभी नया-नया बना हूँ, बड़ी मुश्किल है, देखेंगे। जैसे कि आदमी टालने की बात करता है, इन्होंने भी उसी तरह की टालने की बात की। जब इन्होंने टालने की बात की तो हमें मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में हम पानी कम ब्याँटा

[चौधरी भजन लाल]

करने के लिए नहीं गए हैं बल्कि इसलिए गए हैं कि जो इराडी ट्रिब्यूनल का फैसला था, उस फैसले को लागू किया जाए यानि हम नहर बनाने के लिए वहां गए हैं।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि पंजाब के राज्यपाल ने 27 फरवरी, 1996 को असेम्बली में अपना अभिभाषण पढ़ा। वह अभिभाषण उनकी असेम्बली में पास होगा, उसके बदले में इस हाऊस में भी कोई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि नर्मदा और कावेरी का भी ऐसा ही मामला था। उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि दो दिन के अन्दर-अन्दर पानी दिया जाए और उनको देना पड़ा। यह बात आपके सामने है। हमने कोर्ट में कहा है कि पंजाब सरकार नहर नहीं बनाएगी इसलिए या तो उसको भारत सरकार टाईम-बाउंड बनाए या पंजाब सरकार बनाए। इसके लिए टाईम फिक्स करो थो फिर हरियाणा को यह नहर बनाने की ईजाजत दी जाए। हम नहर बनाने के लिए कोर्ट में गए हैं और कोई मसला नहीं है (विधन) अध्यक्ष महोदय, हम कोर्ट में इसलिए गए हैं कि वहां से हमें पूरा इन्साफ मिलेगा क्योंकि नहर हर हालत में बनानी है। पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, यह ट्रिब्यूनल का फैसला है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। इस पर भारत सरकार का पांच सौ करोड़ रुपया लग चुका है लेकिन आगे नहर खाली पड़ी हुई है। इसलिए यह नहर जरूर बनेगी तथा हरियाणा के क्षेत्रों में पानी आएगा। मैं आज भी कहता हूँ कि पानी लाने वाले का नाम भजन लाल होगा और उसकी ही सरकार होगी। उसमें आपका नाम नहीं होगा। अब यह क्या यमुना का समझौता। यह बीस साल से लटका हुआ था। सभी मुख्य मन्त्रियों ने जोर लगा लिया। इसमें बंसी लाल जी भी थे तथा और सब थे।

चौधरी बंसी लाल : मेरे वक्त में यह एग्जिस्टेंट ओपन नहीं हुआ।

चौधरी भजन लाल : इस फैसले से मैं पहले से ज्यादा पानी लाया हूँ। इसकी कंपेसिटी भी डबल करवा दी। हथनी कूड बैराज का डिजाइन सी० डबल्यू० सी० से मंजूर करवा दिया है और इसको विश्व बैंक की मंजूरी के लिए भेज दिया है। एक दो दिन में मंजूरी मिलने की उम्मीद है और उसके बाद इसके टैंडर फ्लोट कर दिए जाएंगे।

चौधरी बंसी लाल : मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हम पहले से ज्यादा पानी लाएंगे। पहले का जो एग्जिस्टेंट है उसमें लिखा है कि 10200 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी होने पर 2/3 पानी हरियाणा को और 1/3 यू० पी० को मिलेगा। यह पैरा हमें दिखा दें। इसके अलावा हम देश की राजधानी दिल्ली को पानी देने से

इस्कार नहीं करते लेकिन हम कहते हैं कि दिल्ली को हिन्दुस्तान का पानी दो। भाखड़ा का दो, राजस्थान और यू० पी० के हिस्से में से दो। यू० पी० से भी 1.62 जा सकता है। मैं मानता हूँ कि नेशनल कैपिटल को पानी मिलना चाहिए, वहाँ पर दूसरे देशों के अम्बेस्डर रहते हैं और सारी चीजें हैं लेकिन उनको पानी हर प्रदेश के हिस्से में से मिलना चाहिए। यह नहीं कि हरियाणा के हिस्से में से मिलना चाहिए। नए एग्रीमेंट में पैरा 1.5 कहीं भी नहीं है।

श्रीधरी राजन लाल : आज तक कभी भी हरियाणा को 4 बी० सी० एम० से ज्यादा पानी नहीं मिला, लेकिन अब 5.73 बी० सी० एम० का एग्रीमेंट है। ताजे वाला हूड वर्कल पर 14 हजार क्यूबिकस पानी था अब हमने उसको 25 हजार किया है और तीन हजार और बढ़ कर यह 28 हजार क्यूबिकस का बनेगा। यह बहुत शानदार फैसला किया गया है। यह बरूई बैंक की सहायता से परियोजना शुरू की गई है। इस पर 1858 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विभव बैंक 6 वर्षों की अवधि के लिए 975 करोड़ रुपए देगा। इसके अलावा आगरा नहर पर कन्ट्रोल की बात आई। श्रीधरी बंसी लाल मुख्य मन्त्री रहे, देवी लाल तथा दूसरे रहे लेकिन इसका कन्ट्रोल हमें नहीं मिला। इसके बारे में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही। हमने इसके लिए बार-बार लिखा कि इस पर या तो सौझा कन्ट्रोल होना चाहिए या भारत सरकार का कन्ट्रोल हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक भारत सरकार ने उस बात को माना नहीं है लेकिन पानी के मामले में कोई कमी नहीं आने दी। जितना हमारा राइट है, जितना पानी हमें मिलना चाहिए उतना हम पैसाइश करके लेते हैं। कम पानी होगा तो कम मिलेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : जब तक इस तरह का नियन्त्रण हरियाणा के हाथ में नहीं आएगा, तब तक हमें पूरा पानी नहीं मिल सकता।

श्री अध्यक्ष : वह तो यू० पी० वाले नहीं मानते।

श्री कर्ण सिंह दलाल : हरियाणा सरकार यू० पी० सरकार से यह तो प्रार्थना कर सकती है कि उनके अधिकारी दजाए मथुरा में बैठने के पलवल या फरीदाबाद में बैठें ताकि वहाँ के लोगों को धक्के न खाने पड़ें।

श्रीधरी राजन लाल : जहाँ तक दादुपुर नलवी स्कीम का तात्लुक है, उसके बारे में इन्होंने कह दिया कि उसके लिए जमीन एक्वायर् की थी, इह जमीन किसानों को वापिस दे दी है। मैं इतको बताना चाहूंगा कि सरकार ने वह 180 एकड़ जमीन छोड़ी नहीं है और न ही किसानों को वापिस दी है। वह जमीन सरकार के कब्जे में है। (शोर)

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मैंने कल जो लैटर कोट किया था। (शोर)

Mr. Speaker : Mr. Ram Parkash Ji you are speaking without my permission. आप मेरे से इजाजत ले कर बोलें।

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से ही बोलूंगा। कल मैंने कहा था कि इनके चीफ इंजीनियर ने 14-11-1991 को एक पत्र लिखा कि उस नहर के लिए जो जमीन एक्वायर की गई थी वह किसानों को वापिस दे दी जाए और उनसे मुआवजे का पैसा वापिस ले लिया जाए। वह यमुनानगर के 8 गांवों की 180.12 एकड़ जमीन है। उन गांवों के लोग सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गए क्योंकि वे लोग यह चाहते हैं कि वह जमीन एक्वायर ही रहे और वह नहर बने। इसलिए उन 8 गांवों के लोग हाई कोर्ट में गए। इनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वह एक्वायर्ड जमीन किसानों को वापिस की जा रही थी, इसलिए लोग इनके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या इनके चीफ इंजीनियर ने 14-11-1991 को वह लैटर लिखा था या नहीं। सैक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 7-9-1992 को इसी जमीन के बारे में यह लिखा था कि यह जमीन किसानों को वापिस कर दी जाए। उन्होंने यह लैटर लिखा था या नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब मेरी दोनों बातों का जवाब दे दें कि दोनों लैटर लिखे गए या नहीं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। (शोर)

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, वह दो लैटर लिखे गए या नहीं, मुख्य मन्त्री जी इसका जवाब दे दें। (शोर)

चौधरी भजन लाल : वह जमीन सरकार के कब्जे में रहेगी। सरकार उस जमीन को छोड़ेगी नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप यह अशरार कर दें कि वह जमीन सरकार के कब्जे में रहेगी और वह नहर बनाने के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वह जमीन सरकार के कब्जे में ही रहेगी, वापिस नहीं की जाएगी। (शोर)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो बात डॉक्टर राम प्रकाश ने पूछी है उसका जवाब मुख्य मन्त्री जी दे दें, उसमें क्या फर्क पड़ता है।

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे दोनों लैटर लिखे गए या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : डाक्टर राम प्रकाश जी, आपका मतलब हल हो गया। मुख्य सचिव जी ने यह अर्थोत्तर किया है कि वह जमीन किसानों को वापिस नहीं की जाएगी, सरकार के कब्जे में ही रहेगी।

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में बिजली मन्त्री श्रीधरी श्रीरेन्द्र सिंह जी ने जवाब दे दिया है। इस बारे में कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप यह बता दें कि वह जमीन उसी परपत्र के लिए इस्तेमाल की जाएगी जिस परपत्र के लिए एक्वायर की गई है।

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वह जमीन सरकार के कब्जे में रहेगी और जिस परपत्र के लिए एक्वायर की गई है, उसी परपत्र के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उसी नहर को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे।

श्रीधरी श्रीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य सचिव जी से जानना चाहता हूँ कि वह नहर बनेगी या नहीं ?

श्रीधरी भजन लाल : वह नहर तब बनेगी जब एस०वाई०एल० नहर बन कर तैयार हो जाएगी।

श्री० छतर पाल सिंह : एस० वाई० एल० नहर कब बनेगी ?

श्रीधरी भजन लाल : वह जल्दी ही बनेगी।

श्री० राम प्रकाश : अब ये कह रहे हैं कि जब एस०वाई०एल० नहर बनेगी तब वह नहर बनेगी। (विष्णु)

13.00 बजे

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आप बैठिये। आप यह कह सकते हैं कि यदि यह नहर बन जाती है तो हयनी कुण्ड बैराज का पानी और बरसात के दिनों का पानी इस नहर के जरिए आ सकता है। इस नहर का बनना एस० वाई० एल० से कर्तविक्रम है। अब आप बैठें।

श्रीधरी भजन लाल : जब एस० वाई० एल० बन जाएगी तो यह नहर भी बन जाएगी। (विष्णु) अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में तफ़्सील में कल श्रीधरी श्रीरेन्द्र सिंह जी ने बताया था कि 1200 मीगावाट के नये यूनिट हम लगा रहे हैं जिससे अगले डेढ़ साल में बिजली पैदा होने लग जाएगी। आज हमें 900 मीगावाट की आवश्यकता है। जब ये प्लांट चालू हो जाएंगे तो हरियाणा प्रदेश में बिजली

[चौधरी भजन लाल]

की कमी नहीं रहेगी और प्रदेश में चाहे इण्डस्ट्रीज हैं या एग्रिकल्चर सेक्टर हैं, उनमें कोई कट नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सड़कों की बात को मैं लेता हूँ। सड़कों की मरम्मत 31 मार्च तक करवा देंगे। जी० टी० रोड पर मधुवन से लेकर कर्ण लेक तक का जो एरिया है उस पर काम होना रहता है। इस काम को हम जल्दी करवा रहे हैं। इस बात का सभी को पता है कि पिछली गवर्नमेंट ने इस पर काम नहीं करने दिया क्योंकि वह पैसे मांगते थे लेकिन हमने पिछले क्वार्टर पर ही काम करवाया। वह ठेकेदार भी रो रहा है कि मंहगाई काफी बढ़ गयी है और पूरे इस पर 18 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है लेकिन फिर भी वह बना रहा है। यदि वह 31 मार्च तक नहीं बनायेगा तो हरियाणा सरकार अपने खर्च से उसे बनायेगी और उस पर जो खर्च आयेगा उसको ठेकेदार के पैसे में से काट लेगी।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर भी विचार कर सकते हैं कि मधुवन से लेकर कर्ण लेक तक एक बाई पास बना दें क्योंकि उस सड़क पर बहुत अधिक ट्रैफिक चलने से प्रदूषण बहुत अधिक रहता है। जो पेड़ सड़क के दोनों तरफ लगे हुए हैं उनके पत्तों पर भी इन वाहनों के धुएँ की परत जमी नजर आती है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी ऑफ द्रैण्ड मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। जहाँ तक इण्डस्ट्रीज की बात है, उस बारे में मैं सदन को बताना चाहूँगा कि पिछले पांच वर्षों में 329 बड़ी और मध्यम दर्जे की इण्डस्ट्रीज हरियाणा प्रदेश में लगीं और 27 हजार लघु उद्योग लगे। इनमें 2 लाख लोगों को रोजगार मिला। जो छोटे उद्योग लगे उनमें 37707 लोगों को रोजगार मिला। प्रधान मन्त्री की नई स्कीम के तहत हमारे पास मध्यम और छोटे दर्जे के उद्योग लगाने के 16490 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें 2 लाख 50 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब जो उद्योग लगेंगे और उनमें जो भर्ती होंगी वे हरियाणा प्रदेश के लोगों में से ही भरेंगे। उनको लिखकर देना होगा कि कितने पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार दे रहे हैं और कितने अनपढ़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय, हमने हिसाब लगाया है कि करीब अठ्ठाई लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। आज हरियाणा से 1800 करोड़ रुपये के औद्योगिक माल का प्रतिवर्ष निर्यात हो रहा है जब कि वर्ष 1990-91 में सिर्फ 450 करोड़ रुपये का निर्यात होता था। त्रावल और साहा में दो ग्रीन सैटर्ज विकसित किये जा रहे हैं। गाँवों के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिलाने के लिए उद्योग कुम्बों की स्थापना की जा रही है जिसमें बने-बनाये शूइंग और विकसित भूखण्डों में युवकों को अपनी-अपनी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्लॉट्स अलाट किए जाएंगे। अब

तक राज्य में 13 उद्योग कुन्ज स्थापित किये जा चुके हैं और अन्य नये उद्योग कुन्ज स्थापित किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सेल्ज टैक्स बैरियर का मामला है। सेल्ज टैक्स बैरियर के कारण प्रदेश के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। चाहे वो दूक वाले भाई हों, चाहे दूसरे लोग हों, उनको बैरियर पर आधा-आधा घण्टा इन्तजार करना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, सारे देश में हरियाणा पहला राज्य है जिसने सारे बैरियर को खत्म करके लोगों को बहुत सुविधा दी है। इसी प्रकार से पेयजल के बारे में भी शांतदाम काम हुआ है। वर्ष 1992 तक हरियाणा प्रदेश के 6747 गांवों को पीने का पानी पहुंचा कर हरियाणा प्रदेश सारे देश में पहला राज्य बन गया है जहां पर सारे गांवों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया गया है। (शम्भू) अध्यक्ष महोदय, यमुना के साथ लगते हुए शहर यमुना नगर, जगधरी, करनाल, सोनीपत, पानीपत गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए 133 करोड़ रुपये की सीवरेज शुद्धिकरण परियोजना शुरू की गई है ताकि यमुना नदी के पानी को दूषित होने से बचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार गंगा की सफाई का प्रोग्राम था उसी प्रकार बाकायदा यमुना जी के पानी की सफाई का यह प्रोग्राम बनाया गया है ताकि इसका पानी दूषित न हो। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत काम हुए हैं। फर्स्ट पोलियो अभियान के दौरान हरियाणा में 3 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की दवाई की अतिरिक्त खुराक दी गई है। इस मामले में हरियाणा सारे देश में नं० 1 पर है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से शिक्षा के बारे में भी हमने हर वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया है। महिलाओं के लिए बी०ए० तक शिक्षा फ्री की है तथा टेक्नीकल एजुकेशन में भी हमने लड़कियों की एजुकेशन फ्री की है। इसी प्रकार से "अरनी बेटो अपना धन" नामक स्कीम भी शुरू की है। अध्यक्ष महोदय, पंजाबी भाषा को लागू करने के बारे में आप जानते हैं कि जब चौधरी बंसी लाल जी का समय था तो उन्होंने तेलगू भाषा लागू कर दी थी लेकिन आज वे पंजाबी भाषा की बात करते हैं। हमने हरियाणा प्रदेश के अन्दर पंजाबी भाषा की शिक्षा लागू कर दी है। चाहे कोई एक लड़का भी गुरुमुखी पढ़ने वाला हो उसको भी हम पंजाबी टीचर देंगे, यह फैसला सरकार ने किया है। (शम्भू) अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसमें प्रवरण, प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन आदि जैसे विषयों की शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रबन्ध किया गया है। हिसार के अन्दर 1995 से गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसकी चौधरी बंसी लाल जी ने बड़ी मुखालफत की। यह उनकी मुतासिब बात नहीं थी। एजुकेशन इन्स्टीच्यूट खुलने से तो फायदा ही होता है चाहे वह कहीं भी खुले। इस विश्वविद्यालय के खुलने से भिवानी जिसे को भी बहुत फायदा हो गया। अध्यक्ष महोदय, भिवानी, हिसार, जीन्द और सिरसा चारों जिले शिक्षा में पिछड़े हुए हैं और इन चारों ही जिलों को इस विश्वविद्यालय से बहुत फायदा ही गया है। अध्यक्ष महोदय, टेक्नीकल एजुकेशन देने के लिए सारे हिन्दुस्तान में एक ही इन्स्टीच्यूट है जो

[बीधरी भजन हाल]

कि साक्षर में मद्रास में है। क्या नार्थ इण्डिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जैसी कि हिस्सर में बनी है। (विष्णु) इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, उनको मदद करने के लिए हमने बहुत कार्य किया है। मैं हाउस में बताया चाहता हूँ कि बैंकवर्ड क्लास के भाइयों के लिए 2 प्रतिशत रिजर्वेशन होती थी लेकिन जिस वक्त हमारी सरकार आई हमने इसको 10 प्रतिशत किया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज हमने इसको 27 प्रतिशत कर दिया है। इसमें 5 और जातियाँ शामिल की हैं जिनमें अहीर (श्रावण), गुज्जर, लोधा, सीनी और श्रेव शामिल हैं। आज से पहले किसी ने भी इस बारे में सोचा तक नहीं था। इन जातियों को भी बी०सी० में शामिल किया गया है ताकि इन लोगों को भी हरियाणा प्रदेश के अन्य लोगों के साथ तरक्की के मौके मिल सकें।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि इसमें सोशली बैंकवर्ड लोगों के लिए किसकी रिजर्वेशन है और बी०सी० के लिए कितने परसेंट रिजर्वेशन है ?

बीधरी भजन लक्ष : अध्यक्ष महोदय, सोशली बैंकवर्ड क्लासिज के लिए 16 प्रतिशत और 11 प्रतिशत रिजर्वेशन ओ०बी०सी० के लिए है। (विष्णु एवं शंकर)

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) जो सवाल मैंने किए थे, उनका मुख्य मन्त्री जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। भजन हाल जी आप खारी रहें। (शोर एवं व्यवधान)

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री लीला कृष्ण बीधरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आक आर्डर है। क्या यह प्रश्न काल है जो ये बार-बार प्रश्न पूछ रहे हैं।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को सुनें। (शोर एवं विष्णु)

श्री अध्यक्ष : नहीं। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाएं।

वाक-आउट

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं, इसलिए मैं सदन से वाक-आउट करता हूँ।

(इस समय असम्बद्ध सदस्य डा० राम प्रकाश सदन से वाक-आउट कर गए)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने पिछड़े वर्ग की श्रेणी 1 और 2 में 10 प्रतिशत आरक्षण रखा। उस के मुकाबले में श्रेणी 1 में 1.7 और श्रेणी 2 में 4.3 प्रतिशत भरा है जो कि पूरा नहीं हुआ है। हमने यह बैकलॉग पूरा करवाने के लिए पूरे प्रयत्न किए हैं। हमने 1-7-91 से 20-6-95 तक जो बैकलॉग पूरा किया है उसमें कुल भरे गए सरकारी पद 29,542 हैं। हमने अनुसूचित जाति के 20 प्रतिशत के मुकाबले में छह हजार पांच सौ इक्यावन पद भरे हैं जो कि 22.17 प्रतिशत बनता है। पिछड़े वर्ग में 10 प्रतिशत के मुकाबले में 4 हजार 84 पद भरे हैं जोकि 13.82 प्रतिशत बनता है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति का कोटा 5080 बनता है, उसकी जगह पर हमने 6551 पद भरे हैं। यानि 20 प्रतिशत की बजाए 22.17 प्रतिशत भर्ती की है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमने पिछड़े वर्ग के लोगों का और एस0सी0 भाईयों का पूरा ध्यान रखा है। हमने जो पिछला 1771 का बैकलॉग था, उसको पूरा करने की कोशिश की है। इसी तरह "झपली बेटी अपना धन" जो हमने योजना बनाई है वह बहुत ही शानदार योजना है। क्योंकि जब भी किसी शरीब के घर लड़की पैदा हो जाती थी तो वह सोचता था कि अब इसको कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे शादी करेंगे इत्यादि-इत्यादि। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने यह योजना बनाई है और जिसके घर भी लड़की पैदा होगी उसको पहले 15 दिन में पांच सौ रुपए के और अढ़ाई महीने के बाद 2500 रुपए के इन्दिरा विकास पत्र खरीद कर दे देंगे। जब लड़की 18 साल की होगी तो उसको 25,000 रुपए मिलेंगे और जब 20 साल की होगी तो 30,000 रुपए मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप यह पैसा मां-बाप को देंगे या बैंक में जमा होगा।

चौधरी भजन लाल : हम उसके मां-बाप को इन्दिरा विकास पत्र देंगे।

श्री अध्यक्ष : वह तो गुम भी हो सकते हैं।

चौधरी भजन लाल : अगर गुम हो गये तो हम दोबारा से दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, देश में यह इस प्रकार की पहली योजना है। जहाँ तक कर्मचारियों की बात है तो हमने यानि हमारी सरकार ने जितनी जितनी मदद इनकी की है, उतनी आज तक किसी भी सरकार ने नहीं की। चाहे वह बंसी लाल जी की या भोम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, किसी ने इतनी मदद नहीं की है। मैं तीसरी बार मुख्य मन्त्री बन कर आया हूँ और आज की ही सरकार ने कर्मचारियों का फायदा किया है। (शोर)

श्री कर्ण सिंह देलास : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जो शिक्षक अनशन पर बैठे हैं, सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्रश्न काल नहीं है ।

श्री कर्ण सिंह बल्लाल : सर, मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि शिक्षकों के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप अब बैठिए । एक ही सवाल को बार-बार न पूछें, यह बात कई बार आ चुकी है ।

श्रीधरी भजन लाल : मैं इसी बात पर आ रहा हूँ, आप बैठिए तो । आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, एक परिवार एक रोजगार योजना के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना में पाँच लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य था और हमने दिसम्बर, 1995 तक तीन लाख 75 हजार लोगों को रोजगार दिया है । अब तक टोटल रोजगार हमने चार लाख बारह हजार लोगों को दिया है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जितनी बार भी हमारी सरकार आसी है हमने उतनी ही बार कर्मचारियों का ध्यान रखा है । बंसीलाल जी का जमाना तो कर्मचारी आज तक भी नहीं भूले हैं । उस समय कर्मचारी अपनी माँगों को लेकर इनसे मिलना चाहते थे लेकिन इन्होंने उनको मिलने का भी समय नहीं दिया था ।

श्रीधरी बंसी लाल : इलैवधान आ जाने दो, कर्मचारी आपको भी बता देंगे ।

श्रीधरी भजन लाल : आप एक बात तो मानो ही कि आप कहते थे कि भजन लाल राजनैतिक हिसाब से ठीक है और भजन लाल की बात कभी गलत नहीं होती ।

श्रीधरी बंसी लाल : मैंने तो आपको राजनीति में कभी भी सही नहीं माना है ।

श्रीधरी भजन लाल : यह बात अगर आप तब कहते जब आप मुख्य मन्त्री थे तब मैं आपको बताता लेकिन अब मैं आपको क्या कहूँ । अध्यक्ष महोदय, जिसका राज चलाया हो वह आज यह बात कहे तो अच्छी नहीं लगती । थोड़ा बहुत तो आदमी को अहसान मानना चाहिए ।

श्रीधरी बंसी लाल : मैंने राज अपने दम पर चलाया था न कि आपके दम पर ।

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जो इस बात के गवाह हैं । जैसे बनारसी दास गुप्ता, बहिन चन्द्रावती और सुबेदार प्रभु सिंह । अगर हम चार-पाँच लोग उस समय न होते तो आपके राज तो तीसरे दिन ही टूट जाता । अब आपके कहने से क्या होता है, इस बात को तो हरियाणा

प्रदेश की जनता जानती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एक लाख लोगों ने दिल्ली में जाकर रैली की लेकिन इन्होंने उनको लाठियों से मरवा-मरवा कर लम्बा कर दिया।

प्रो० छतर पाल सिंह : आपके राज में भी पिछले दिनों भिवानी रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों के ऊपर पानी के फव्वारे छुड़वाए गए थे और पुलिस से पिटाया गया था।

श्रीधर भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उन कर्मचारियों को मरवा-मरवा कर लम्बा बना दिया था लेकिन कर्मचारियों ने भी इनका फातिया पड़ दिया जिसकी वजह से इलैक्शन के बाद इनकी केवल पांच सीटें ही हरियाणा में आयीं। इन श्रीमान जी, बंसीलाल जी का भी पता नहीं चला कि ये कौन सी हवा में उड़ गए। जबकि उन इलैक्शन से तीन महीने पहले ही जो बाई इलैक्शन हुआ था, उसमें 98 परसेंट वोट कांग्रेस को मिली थी लेकिन तीन महीने बाद ही इनके जैसे शोर को लोगों ने क्या से क्या बना दिया, पता ही नहीं लगा। अध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा था कि आज की सरकार की कर्मचारियों के प्रति भारी हमदर्दी है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज की सरकार ने 1991 में सत्ता में आने के बाद से कर्मचारियों को तीसरी बार एक मुक्त राहत देने की घोषणा की है। पहला पैकेज 12 जून, 1992 को जारी किया गया था जिसमें हमने कर्मचारियों को निम्नलिखित राहत दी थी—31-12-92 को दो वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले तदर्थ कर्मचारियों को तथा इसी तिथि को पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित किया गया था। इसके अलावा कर्मचारियों के पदों पर लगे 10 प्रतिशत कटौती के केस के आधार पर समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। बोर्डों को और निगमों को निर्देश दिए गए कि वे अपने कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला करें। तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को 10 और 20 वर्ष की बजाय 8 और 18 वर्ष में वेतन वृद्धि देने का फैसला किया गया। 45 रुपये प्रतिमास फिक्स चिकित्सा भत्ता व 1200 रुपये वार्षिक चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति की छूट दी गई। अगला पैकेज 22 दिसम्बर, 1994 को हुआ जिसमें निम्नलिखित राहत शामिल है—कर्मचारियों को 10 और 20 वर्ष की संतोषजनक नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात् उच्चतर मानक वेतनमान देने का फैसला किया गया बशर्ते कि इस अवधि में उनकी प्रमोशन न हुई हो। सभी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की पद्धति पर 16-9-94 से 100 रुपये प्रति मास की दर से अंतरिम राहत दी गई। वर्ष 1994-95 का बोनस कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया गया। पहली जनवरी, 1994 से चिकित्सा भत्ता 45 रुपये प्रतिमास से बढ़कर 60 रुपये प्रतिमास किया गया। पहली वेतन वृद्धि देने के लिए दोनों टाइप टैरट पास करने की शर्त वापस ली गई। 1985 से 1991 के मध्य इनके राज में जिन कर्मचारियों के खिलाफ केस बनाए गए थे,

[श्रीधरी भजत लाल]

वे वापस लिए गए। तीसरा पैकेज अभी हाल में किया जो 14 फरवरी, 1996 को हुआ। इसके अन्तर्गत कर्मचारियों को दी गई निम्नलिखित रियायतें शामिल हैं— तीसरी और चौथी श्रेणी के तदर्थ कर्मचारियों को 31 जनवरी, 1996 को दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर उनकी सेवाएं नियमित कर दीं। इसी प्रकार दैनिक वेतन भोगी और वर्क-चार्ज कर्मचारियों को पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर उनकी सेवाएं नियमित कर दीं। इसी तरह फरवरी, 1996 से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को 120 रुपये प्रतिमास की अंतरिम राहत दी जाएगी। यह अंतरिम राहत कर्मचारियों को पहले से दी जा रही अंतरिम राहत के अतिरिक्त होगी। यह किस्त किसी अन्य राज्य सरकार ने व. केन्द्र सरकार ने भी नहीं दी है। सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 1994-95 के लिए बीतस भारत सरकार द्वारा संशोधित नार्मर्ज के अनुसार अगले वित्त वर्ष में अदा कर दिया जाएगा। इसका 25 प्रतिशत नकद तथा बाकी कर्मचारियों के भविष्य निधि में जमा कर दिया जाएगा। राज्य के सेवा-निवृत्त हो रहे कर्मचारियों को 1-4-1995 से भारत सरकार के संशोधित नार्मर्ज के अनुसार ग्रेज्युटी दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा फिक्स्ड चिकित्सा भत्ता फरवरी, 1996 से 100 रुपये प्रति मास कर दिया जाएगा। यदि पति-पत्नी दोनों हरियाणा सरकार की सेवा में हैं तो दोनों को यह भत्ता दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को वेतन नियमित तौर पर अदा किया जाए और इस हेतु दी गई राशि किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न की जाए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वर्धी व धुलाई भत्ते को बढ़ाकर फरवरी, 1996 से 75 रुपये प्रति मास कर दिया जाएगा। सारे राज्य में आई0सी0डी0एस0 प्रोग्राम के अधीन कार्य करने वाले अग्रिमवाड़ी वर्कर्स तथा हेल्पर्स का वेतन फरवरी, 1996 से क्रमशः 200 रुपये और 100 रुपये प्रति मास बढ़ा दिया जाएगा। फरवरी, 1996 से सकान किराया भत्ता की प्रत्येक रकम में 25 रुपये प्रतिमास की बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों को 10 व 20 साल की सेवा करने के बाद दी जा रही समयबद्ध उच्चतर मानक वेतनमान की स्कीम में यह गई विसंगतियों को दूर कर दिया जाएगा। पदोन्नति से भरे जाते वाले पदों पर कटौती के आदेश लागू न करने संबंधी हिदायतों की और विभागों का ध्यान पुनः दिलाया जाएगा। राज्य वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट शीघ्र देने के लिए अनुरोध किया जाएगा। राज्य वेतन आयोग से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि वेतन विसंगतियों के बारे में कर्मचारियों और राज्य सरकार से प्राप्त आपनों आदि पर उचित विचार करके अपनी सिफारिशें दें। सवा तीन लाख कर्मचारियों को उपरोक्त सुनिश्चाएं तथा रियायतें देने से सरकारी खजाने पर 137 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अभी हमने 137 करोड़ रुपये की राहत का कर्मचारियों के लिए 14 तारीख को ऐलान किया है जोकि एक रिकार्ड है। अध्यापकों के बारे में आपने जिक्र किया है कि दो अध्यापक वहां बैठे हुए हैं। कुछ लोग राजनैतिक हथों में खेलकर इस तरह

की बातें कर हैं। हमने जो सुविधाएँ दी हैं यह सब पर लागू हैं, इसमें अध्यापक भी शामिल हैं। मुझे पता है कुछ थोड़े से आप जैसे लोग लोगों को गुमराह करते हैं। (विष्णु) अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों के बारे में चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को गैर वित्तीय संस्थाओं में लागू करने के बारे में गवर्नर कमेटी गठित की गई है। जहाँ तक अध्यापकों की वित्तीय मांगों का संबंध है, अन्य कर्मचारियों की भांति उन्हें भी रियायतें दी गई हैं। शेष मांगों पर राज्य वेतन आयोग विचार कर रहा है। (विष्णु)

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, आप इस उद्देश से बात न करें।

श्रीधर भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अपने शासनकाल में तीन दफा कर्मचारियों को राहत प्रदान की है।

श्री० राम बिलास शर्मा : आप जो चट्टोपाध्याय की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं तो जो अध्यापक हड़ताल पर, अनशन पर बैठे हैं क्या आप उनसे अपील करेंगे ?

श्रीधर भजन लाल : हमने इस रिपोर्ट को मानने के लिए नहीं कहा है। हमने एक कमेटी बना दी है, वह कमेटी इस सारी रिपोर्ट को देखेगी। इतना बड़ा पोया है, उसको देखेगी, उसके बाद निर्णय देगी। लेकिन जो हमने कर्मचारियों की बात की है उसमें सारे कर्मचारी आ गये हैं, अध्यापक भी शामिल हैं। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने साढ़े चार साल में 380 करोड़ रुपये की रियायतें कर्मचारियों को दी हैं। (विष्णु)

श्री अध्यक्ष : कृपया विष्णु न बोलें।

श्रीधर भजन लाल : यह एक रिकार्ड है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमने 50 लाख रुपये अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक-एक एम०एल०ए० को दिए हैं उस पर कुछ सदस्यों ने एतराज किया है। श्रीधर साहब पता नहीं कहाँ रहते हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हर जिले में जितने जितने एम०एल०ए० हैं, उनके हिसाब से रुपये हमने भेजे हैं। भिवानी के सात एम०एल०ए० हैं और भिवानी में साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्चा गया है। कम से कम देख कर आया करें। वहाँ पर डी०सी० को तो लिख कर देते नहीं हैं कि यह काम करो। यहाँ आकर इधर-उधर की बात करते हैं बगैर सिर पात्र की बात करते रहते हैं।

श्री० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्चा गया है। मुख्यमंत्री जी अपने डी०सी० से बात कर लें। मेरे पास चिट्ठी है जिसमें डी०सी० ने लिखा है कि आपके काम शुरू करा दिये हैं और पाँच गांवों में काम पूरा भी कर दिया है लेकिन वहाँ एक ईंट भी नहीं लगाई है।

चौधरी भजन लाल : लिखकर दीजिए, हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री० छत्तर सिंह चौहान : यहाँ श्री ए० सी० चौधरी बैठे हुए हैं प्रीवेंसिज कमेटी में हमने इनकी सारी बातें बताई थीं । ये हमें गुमराह कर रहे हैं । पैसा जाता नहीं है । अगर पैसा जाता है तो डी० सी० लगाते नहीं हैं और आप कह देते हैं कि हमने पैसा भेज दिया ।

श्री अध्यक्ष : आप डी० सी० से लिख कर पूछें कि पैसा कहां खर्च होता है ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाऊस की सहमति हो तो हाऊस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : जी हाँ ।

श्री अध्यक्ष : हाऊस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री० राम निलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 1994-95 में विधायकों की डिस्क्रिशनल पर जो 20-20 लाख रुपए दिए थे, उस राशि को भी आप 50 लाख करें यह मेरा सुझाव है ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक चीज की मैं क्लैरीफिकेशन चाहता हूँ जरा मुख्यमंत्री महोदय जी दे दें । जैसे कि पहले चौधरी छत्तर सिंह जी ने तथा लाला रामभजन जी ने बताया है कि ए० सी० चौधरी इनकी जिला प्रीवेंसिज कमेटी के चेयरमैन हैं और ये सारी बातें इन्होंने उनके सामने उठाई हैं । तो इसके बारे में क्या कुछ किया गया है । इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें । इन्होंने कहा कि यह काम इंप्लीमेंट नहीं हुआ । डी० सी०, एस० पी०, एक्सियन और आपके सब अधिकारी वहाँ पर बैठे थे, श्री ए० सी० चौधरी से जरा पूछ लें ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भी माननीय सदस्य को कोई शिकायत है कि मैंने इस 50 लाख रुपए के बदले में ये-ये काम करने के लिए कहा था और वह काम हुआ नहीं तो हमें लिख कर भेजें । लिखकर भेजने में कोई बुराई नहीं है । इस बात से चौधरी बंसी लाल जी को कोई एलगाज न होता । अगर

बे नाराज होते तो आप कई बार मुझे पहले भी क्यों मिले थे। अगर बे नाराज होते तो अमर सिंह से पहले आपका ही नम्बर आने वाला था। (विष्णु) तो मैं कह रहा था कि हमने 1994-95 में यह स्कीम चालू की थी। उस वक्त 20-20 लाख रुपए दिए थे और 1995-96 में 50 लाख दिए थे जो भेजे किए हैं। चौधरी साहब, 1994 के लिए 50 लाख रुपया नहीं मिल सकता है।

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, 1994-95 में जो फंड मेरे हल्के के लिए दिया था वह नहीं पहुंचा है। वह कृपया मुझे दिया जाए। 1994-95, 1995-96 और इस साल का भी 50 लाख रुपया दिया जाए जो कि हमें प्राप्त नहीं हुआ। मैं सत्य कहने लग रहा हूँ कि मैंने कामों की लिस्ट दी है और डी० सी० ने मेरी राशि नहीं भेजी है।

चौधरी भजन लाल : 1994-95 का साल तो पूरा हो गया। 1995-96 का साल पूरा होने जा रहा है और 1996-97 का आगे आएगा। अब 1995-96 का साल चला गया। अगर किसी को पैसा नहीं गया है या किसी को पता नहीं लगा है तो डी० सी० के पास अपना सीमा लिखकर भेजेंगे तो आपको पूरे 50 लाख मिलेंगे।

प्रो० छतर सिंह चौहान : 1994-95 का जो रह गया है ?

चौधरी भजन लाल : वह अब नहीं होगा, वह खत्म हो गया है।

प्रो० छतर सिंह चौहान : बीस लाख रुपए जो आपने अनाउंस किए थे वह अब क्यों नहीं मिलेंगे ?

चौधरी भजन लाल : नहीं वह अब नहीं मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री ए० सी० चौधरी : जी हाँ, स्पीकर सर, अभी-अभी चौधरी बंसी लाल जी ने भिवानी जिले के बारे में कुछ बातें कीं। वहाँ मैं जाता रहा हूँ लेकिन बाढ़ के समय मैं नहीं जा पाया। पिछले दिनों मैं गया था और जो-जो इन्होंने अपनी समस्याएँ रखी थीं, भोके पर ही इनकी मौजूदगी में मैंने प्रशासन को हिदायत दी। बल्कि मैंने तो रिवायत बताई है कि भिवानी जिले में लोगों की जो भी समस्याएँ हैं, जिनके बारे में इनके कहने के मताबिक समाधान नहीं हुआ है उनके लिए खुद गाँवों में अधिकारियों के साथ जाकर भोके पर मुआयना करके समाधान किया है। अगर इसके बावजूद भी इनकी तसल्ली नहीं होती है तो यह मेरी नॉलेज में लाएँ। जो बात इन्होंने मेरे जिम्मे लगाई थी उसके मताबिक बाकायदा प्रशासन को हिदायत देने के बाद तथा हैड-क्वार्टर से भी डिप्यूटियाँ लगाकर उन अधिकारियों को भी इस

[श्री ए० सी० चौधरी]

मामले में शामिल किया है। मेरी तरफ से सरकार का ऐक्शन पूरा है। इनकी तरफ से फालो-अप करने के बारे में कमी रही। वहाँ तो ये कुछ करते नहीं। इस ग्रीवेंसिज कमेटी में छतर सिंह चौहान जी के अलावा कोई विधायक वहाँ मौजूद नहीं था। अब असेम्बली में, फ्लोर ऑफ दी हाउस पर लीडर ऑफ दी हाउस को पता नहीं क्या-बया कहा जाता है। चौधरी साहब, वहाँ के ग्रीवेंसिज की रिड्रेसल का जिम्मेदारी से पूरा तरह से निभाई है और कहीं भी कोई ग्रीवेंसिज को कपलेंट नहीं है।

श्री० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, ए० सी० चौधरी जी ने हमारे जिले में कई साल बिताए हैं लेकिन अब पिछले 6 महीनों से वे वहाँ नहीं जा पाए। पता नहीं ये चीफ मिनिस्टर से नाराज थे, यह इनकी घर की बात है इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता। इन्होंने कहा कि हमने सारे ग्रीवेंसिज को रिड्रेस कर दिया। हम हर महीने ग्रीवेंसिज कमेटी की मीटिंग में कहते हैं कि हमारी सारी नहरें बंदी पड़ी हैं और हमने यह भी कहा है कि हमारे कुछ गांवों में पीने का पानी नहीं पहुँचता।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, आप इनको कंट्रोल करें। ये बार बार बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब ये बोलते हैं तो हम इनको बिल्कुल नहीं टोकते। पार्लियामेंट और असेम्बली के कुछ सिस्टम हैं जिनको इनको अपनाना चाहिए। (शोर)

श्री० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने माना है कि 1994-95 का बीस-बीस लाख रुपया विधायकों का पूरा नहीं पहुँच पाया। तो अब ये 1995-96 में 50 लाख की बजाए एक करोड़ कर दें।

श्री० चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995-96 तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा इसलिए हम इससे पहले साल में कुछ करेंगे। इस वक्त यह पैसा नहीं बढ़ाया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, जबकी बहुत से मुद्दे चौधरी बंसी लाल ने उठाए और उनका उत्तर मैंने दे दिया है। एक बहादुरगढ़ की लड़कियों के साथ बलात्कार करने की बात आई कि कोई आदमी उनके साथ बलात्कार करके बाँध में उनको मार देता था। उस आदमी को पकड़ लिया गया है और वह बाकायदा जेल में है। इन्होंने कहा कि उसका पुलिस में रिमांड नहीं लिया।

श्री० चौधरी बंसी लाल : मैंने बहादुरगढ़ वाले केस की बात नहीं की बल्कि रोहतक वाले केस की बात की थी। पुलिस ने उसका रिमांड नहीं लिया।

श्री० चौधरी भजन लाल : पुलिस को अगर किसी आदमी की जरूरत होती है तभी वह रिमांड मांगती है।

श्रीधरी बंसी लाल : वह इतना संगीन मामला था कि स्कूल जाती लड़की को झपट कर पकड़ लिया। क्या ऐसे केस में पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं होती ?

श्रीधरी भजन लाल : इस केस की रिपोर्ट मैंने मांगी हुई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, पलवल से एक बच्चा उठाया गया था और वहां की पुलिस तमाशा देख रही है। आपने कहा था कि इस बारे में आप बताएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि वह बच्चा कब तक मिल जाएगा ? (शोर)

श्रीधरी भजन लाल : एक श्रीधरी बंसी लाल जी ने कहा कि मल्टी नेशनल कम्पनियों मुनाफा कॅश की बजाए हिन्दुस्तान का सामान ले कर जाएं। आप जानते हैं कि बाहर से जो कम्पनियाँ आती हैं वे सारा सामान ले कर नहीं जा सकतीं। जो आदमी पैसा लगाता है उससे स्टेट को भी फायदा होता है और भारत सरकार को भी उससे टैक्स मिलता है। वह पैसा इसलिये लगाता है कि उसको भी कुछ मुनाफा हो। इसलिये वे जितना सामान ले जा सकता है उतना ले जाएगा और बाकी कॅश की शकल में ले कर जाएगा। वैसे भी यह भारत सरकार का सामान है।

श्रीधरी बंसी लाल : आप एक प्रस्ताव रखकरवा दें कि अगर वह सौ परसेंट मुनाफा कमता है तो उसे 70 परसेंट इंडियन प्रोड सामान ले जाना पड़ेगा और 30 परसेंट कॅश ले जाएं।

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा कि प्लास्टिक के लिफाफों पर बैन लगना चाहिए। हम स्टेट के विषय के बारे में तो सोच सकते हैं लेकिन अगर कोई भारत सरकार का सामान हो तो उसके बारे में मुश्किल है। यह मैं मानता हूँ कि प्लास्टिक के लिफाफे गलत नहीं। एक इन्होंने कहा कि रोडवेज की बसों के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं और ये ड्राइवर्स की गलती से होते हैं। आप जानते हैं कि कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं लेकिन ज्यादा एक्सीडेंट्स मरने वाले की गलती से ही सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि 80 परसेंट एक्सीडेंट ऐसे होते हैं और 20 परसेंट ड्राइवर की गलती से हो सकते हैं।

श्री राम भजन अग्रवाल : बस में बैठने वाला एक्सीडेंट कैसे करवा सकता है ?

श्रीधरी भजन लाल : आपने सैरी बात को सुना नहीं। मैंने यह कहा था कि बहुत से एक्सीडेंट मरने वाले की वजह से होते हैं। कोई गलत तरीके से सड़क क्रॉस करता हो, जैसे ब्राएँ चलना चाहिये, चलता हो दायें तो वह एक्सीडेंट से मरेगा ही। या कोई भाग कर सड़क पार करेगा तो वह चलते हुए वाहन की क्लिप में आएगा। हमारे यहाँ ट्रैफिक सिंस की कमी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने के लिये जाकायदा मुरथल में एक सेंटर है। यह बात आपकी सही है कि ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिये ताकि वे बस ठीक तरह से चलाएँ।

चौधरी बंसी लाल : कितने-कितने दिन की ट्राइवर्ज को ट्रेनिंग देंगे ?

चौधरी भजन लाल : वहाँ पर 15-15 दिन की ट्रेनिंग ट्राइवर्ज को दी जाती है।

चौधरी बंसी लाल : 15-15 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको कितने दिन के बाद दोबारा ट्रेनिंग देंगे ?

चौधरी भजन लाल : उनको दोबारा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है।

चौधरी बंसी लाल : ऐसा है कि आप रोड पर चले जाएँ और देखें। हरियाणा रोडवेज की बसें रोड के बीच में आ रही हैं और दूसरी बस सीधी आ रही है। सामने वाले को बचना ही तो बचे लेकिन बचाने की कोशिश नहीं करते। इस चीज का प्रबंध होना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मोबाईल कोर्ट्स बनाई जानी चाहिए।

चौधरी भजन लाल : चौधरी साहब, सामने तो ट्रक भी आ सकता है बस भी आ सकती है। हम ट्राइवर्ज को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं।

चौधरी बंसी लाल : मैं कल परसों एक बात कहनी भूल गया था कि जी०टी०रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसके लिये मुरथल, पानीपत, करनाल, कुल्सोत्र और अम्बाला के हाँस्पीटल में स्पेशल प्रबंध किया जाए ताकि बायल लोगों को इमिजियेटली रिलीफ मिल सके।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनका सुझाव अच्छा है इस बारे में विचार करेंगे। इसी तरह से राम बिलास शर्मा ने एस०वाई०एल० नहर के बारे में एक प्रस्ताव पास करने की बात कही। मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसी असेम्बली में इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया हुआ है। पंजाब की असेम्बली भी चल रही है अगर हम एस०वाई०एल० नहर के बारे में यह प्रस्ताव पास करेंगे कि उसको जल्दी बनाया जाए तो वह यह प्रस्ताव पास कर देंगे कि उसको न बनाया जाए। इसके अलावा इसका मामला संजजूडिस भी है। एस०वाई०एल० नहर के बारे में मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिये ऐसा कोई प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से राम बिलास शर्मा ने नारनौल के एस०पी० के बारे में कहा। हमने उनको कह दिया कि आप इन्साफ करें और दोबारा फिर कह देंगे कि इन्साफ किया जाए। डबवाली ग्रिन-कांड और बाढ़ के बारे में मैंने तफसील से जवाब दे दिया है दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। कावमा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबका यह कर्तव्य बनता है कि बिजली के बिलों की अदायगी की जाए। आपको पता है कि बिजली बोर्ड 2 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली ले कर किसानों को 1 रुपया 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देता है यानि 80 पैसे का प्रति यूनिट बिजली बोर्ड को घाटा है फिर भी बिजली का बिल रोकने की बात करें यह अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से मैंने

रिजर्वेशन के बारे में बता दिया है। दादूपुर नलवी नहर के बारे में भी बता दिया है। कर्ण सिंह दलाल ने आगरा कौन्सिल के बारे में जिक्र किया था, उसका भी मैंने जवाब दे दिया है। प्रो० छतर पाल ने बाढ़ के बारे में कहा है, वह ठीक कहा है कुछ गांवों में बाढ़ के पानी की दिक्कत रही है। मैंने उन गांवों के बारे में कल ही डी०सी० से कहा है कि आप आगे के लिये ऐसा इस्तजाम करें ताकि उन गांवों में पानी न आए। उसके लिए चाहे आप साईड में कोई ड्रेन बनाएं या कोई और रास्ता निकालें लेकिन उन गांवों को बाढ़ के पानी से बचाया जाए। इसी तरह से मिलिंदी वॉर्पस को भी बाढ़ के पानी से बचाया जाना चाहिये।

प्रो० छतर पाल सिंह : स्पीकर साहब, सिसाय, खोगना और पाली इन गांवों को भी बाढ़ के पानी से बचाया जाए क्योंकि इनमें भी बाढ़ का पानी आ जाता है। इनके लिए आगे के लिए ऐसा इस्तजाम किया जाए ताकि इन गांवों में बाढ़ का पानी न आए।

चौधरी भजन लाल : आपने पटवारी के बारे में जो कहा है उसके एफिडेविट की कापी हमारे पास भिजवा दें उसकी जांच करायेगे। इन्होंने भेड़, बकरी और पोल्टरी फार्म वालों को मुआवजा देने के बारे में भी जिक्र किया। उसको भी देखेंगे। ओलों से जो फसल खराब हुई है उसकी स्पेशल गिरदाजरी के आदेश दे दिए गए हैं और ताम्रज के मुताबिक सभी को मुआवजा दिया जायेगा। एक ग्रोम प्रकाश बेरी जी ने बोलते हुए कह दिया कि इस सरकार की तीन महीने की म्याद बाकी है इसलिये गवर्नर महोदय को यहां पर अभिभाषण नहीं देना चाहिये था। ये तो बकील है, कोई अनपढ़ व्यक्ति ऐसी बात कहे तो बात समझ आ सकती है। सभी को पता है कि जब नए साल का पहला सेशन होता है तो उस वक्त प्रदेश का गवर्नर पहले दिन असैम्बली को संबोधित करता है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट में राष्ट्रपति महोदय दोनों सदन को जवाबदारी संबोधित करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है।

चौधरी ग्रोम प्रकाश बेरी : मैंने यह कहा था कि साल के शुरू में राज्यपाल महोदय को अपना अभिभाषण देना होता है लेकिन उन्हें सारे साल की योजनाओं का जिक्र नहीं करना चाहिये था क्योंकि 2 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं।

चौधरी भजन लाल : मनीराम केहरवाला जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए। जहां तक ड्रेनेज की सफाई करने का सवाल है हम सभी ड्रेनेज की सफाई करवाएंगे। एक चौहान साहब ने कहा कि एच०पी०एस०सी० के लोगों को दूसरी जगहों पर लगा दिया। इस बारे में मैं इनको कहना चाहता हूँ कि सरकार ने काम लेना होता है यदि किसी को दूसरी जगह पर लगा भी दिया गया हो तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

प्रो० छतर सिंह चौहान : 1989 में जूई में कांड हुआ था, उसमें 3 आदमियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। बाद में छः महीने के लिये वे परोल पर आए थे लेकिन वे एक साल तक बाहर घूमते रहे, पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं। मैं कहता हूँ

[प्रो० छतर सिंह चौहान]

कि जिन-जिन अधिकारियों का इसमें दोष रहा है उनके खिलाफ एक्शन लें चाहे कोई आई०जी० हो, एस०पी० हो या सुपरिन्टेंडेंट हो। उनको पकड़ा क्यों नहीं गया ?

श्रीधरी भजन लाल : आपकी उनके साथ कोई जाति दुश्मनी हो सकती है लेकिन कायदे-कानून तो सब के लिये बराबर हैं। वे पैरोल पर आए होंगे।

प्रो० छतर सिंह चौहान : उनकी पैरोल की अवधि तो अप्रैल में ही समाप्त हो गई थी, फिर भी उनको पकड़ा नहीं गया।

श्रीधरी भजन लाल : हो सकता है कि बाद में उन्होंने अपनी पैरोल की अवधि बढ़वा ली हो। आप कह रहे हैं कि उनको पकड़ा नहीं गया तो फिर भी हम इसका पता लगवा लेंगे। आपने इस बारे में पहले कभी नहीं कहा। कल ही कहा है। आप लिख कर भेज दें, पता करवा लेंगे।

श्रीधरी ओम प्रकाश बेरो : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्वायंट और उठाया था कि गन्ने की जो फसल बाढ़ के कारण खराब हो गई है उसका भी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिये। जिस जमीन में पानी रहने के कारण बिजाई नहीं हो पाई है, उसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे।

श्रीधरी भजन लाल : गन्ने की फसल के बारे में मुआवजा देने के बारे में इस वक्त कहना मुश्किल है। अब एक डेढ़ महीने बाद गन्ने की फसल का सीजन समाप्त होने वाला है। स्टेट के साधन बहुत सीमित हैं। पैसा खजाने में हींगा तो इस बारे में देखेंगे कि क्या हो सकता है। कुछ साधनों ने हवाला कांड का जिक्र किया (विष्णु)

श्रीधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मलेशिया की कम्पनी से दिल्ली-अम्बाला-रोड पर "क्लिड आपरेट ट्रांसफर" की क्या स्कीम है, इस बारे में भी ये रोशनी डालें। दूसरी चीज यह है कि आजकल इम्तिहान सामने आ रहे हैं और पढ़ने वाले सुबह 4-5 बजे के करीब पढ़ाई करते हैं लेकिन उसी समय धार्मिक स्थानों पर लाउड-स्पीकर बजने शुरू हो जाते हैं जिससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही या इंतजाम करेगी ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से कर सकें ?

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप जانتते हैं कि लाउड स्पीकर धार्मिक स्थानों, मन्दिरों और गुम्बदारों में बजाए जाते हैं। यह धार्मिक बात है इस बारे में सरकार क्या कर सकती है। (विष्णु)

श्रीधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले, जिससे लॉर्डज पर कुछ कंट्रोल हो ताकि धार्मिक संस्थाओं का काम भी चलता रहे और बच्चों की पढ़ाई में भी किसी प्रकार का बिध्न न पड़े। (विष्णु)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी अस्तिक आदमी तो हैं नहीं और राम का नाम ये ले नहीं सकते। पहले कहा करते थे कि "कड़ू है भगवान, भजन लाल मन्ने दिखाओ मैं उसके चार जूत माखंगा।" आप बताइये कि मैं इनको भगवान कड़ू तै दिखाऊँ। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, गलत बात कहने की भी कोई सीमा होती है मुख्यमंत्री की गलत बात कहने की तो कोई सीमा ही नहीं है। ये कभी तो सच्ची बात बोल लिया करें (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं धार्मिक स्थानों के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन जो विद्यार्थी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था करें कि नौईज कुछ कांट्रोल हो जाए जिससे धार्मिक स्थानों का काम भी चलता रहे और विद्यार्थी भी पढ़ सकें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये तो कहते रहे कि अगर हरियाणा के बांडर पर कोई शराब पी कर आ गया तो उसको बस से उतार कर उल्टा लटका दूंगा (विघ्न) और अजेब की तरह इनकी हुकम चलाने की आदत गई नहीं है। (विघ्न) ये तो चाहते हैं कि हम ऐसी बात करें जिससे लोध नाराज हो कर इनको बोट दे दें लेकिन क्या हम ऐसी बात कर सकते हैं। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : उल्टा लटकाने वाली बात मैंने नहीं कही थी। इस प्रकार के उल्टे काम तो ये लोग ही करवा सकते हैं। इन्हीं कारणों से इनके 3 आईपीओएस0 जेल में थे। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये इस कारण इस प्रकार की बातें कहते हैं क्योंकि इनके आगे आने के चांसिज तो हैं नहीं। इनके सत्ता में आने का कोई सवाल ही नहीं है। इनकी तो दहाई भी नहीं हो सकती। दहाई तक होती है जब 10 तक अंक हो जाए, दो हिस्से बन जाए तो दहाई होती है। इनकी गिनती तो 9 से नीचे ही रहेगी और ये अगले राज के सुपने ले रहे हैं। इनके सदस्यों की संख्या तो दो अंकों में भी नहीं हो सकती है ये एक ही अंकड़े यानि 9 से नीचे ही रहेंगे और इनकी संख्या दहाई तक नहीं पहुंच सकेगी। ये गलत बात कहते हैं। ये तो इस बात को समझते हैं कि अगर मौका मिले तो रड़क निकाल लूं। जैसे कि एमरजेंसी के दिनों में नसबन्दी के मामले में निकाली थी लेकिन अध्यक्ष महोदय, इनकी बारी अब आने वाली नहीं है (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : मलेशिया की कम्पनी से जो एग्रीमेंट किया है what is the State project of Rs. 450 crore with the assistance of World Bank. ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इनके साथ फाईनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। उनके साथ एम0 ओ0 यू0 साईन हुआ है। अभी तो उसके बारे में सर्वे करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं कि कितना पैसा लगेगा और कितना टोल टैक्स लिया जाएगा ? यह दिल्ली बौडर से अम्बाला तक और फिर समुना नगर तक जाएगा। (विघ्न)

[चौधरी भजन लाल]

इसके बाद हुवाला की बात आ गई। इस बारे में जितनी स्ट्रॉंगली मैंने कहा है, उतना स्ट्रॉंगली न तो तिवारी जी ने, न अर्जुन सिंह ने, न इंदर बिहारी बाजपेयी जी ने और न ही अडवानी जी ने कहा है। मैंने तो बंसी लाल जी को जज सुकरंर कर दिया है ; ये चाहें तो जैन से मिलकर यह पूछ लें कि क्या वह कभी जिन्दगी में मुझे भिला है। (विष्णु) अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल ही बेसलैस और बेबुनियाद बात करते हैं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पास किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

बाक-आउट

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी सभी बातों का सही जवाब नहीं दिया गया इसलिए हम इसके विरोध में सदन से बाक-आउट करते हैं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्यगण, असंबद्ध सदस्य श्री बीरेन्द्र सिंह, श्री ओम प्रकाश बेरी, डा० राम प्रकाश, प्रो० छतरपाल सिंह तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रो० राम बिलास शर्मा सदन से बाक आउट कर गए।)

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

Mr. Speaker Question is—

That an Address be presented to the Governor in the following terms :—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 26th February, 1996."

The motion was carried.

वर्ष 1995-96 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान

(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभाषित व्यय के अनुमानों पर चर्चा

(ii) अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : According to the previous practice and in order to save the time of the House, the demands on the order paper (No. 2 to

11, 14 to 18 and 21 to 25) will be deemed to have been read and moved together and general discussion on the supplementary demands is permitted. The members, are however requested to indicate the demand No. on which they wish to raise discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,67,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 2-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 26,92,14,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,79,36,05,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,91,05,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17,61,40,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 6-Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,58,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,58,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 8-Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 94,92,21,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,61,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,67,78,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,08,77,000 for revenue expenditure and Rs. 40,41,08,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 14-Food and Supplies.

[Mr. Speaker]

That a supplementary sum not exceeding Rs. 34,15,80,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 15-Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,52,60,000 for revenue expenditure and Rs. 17,76,67,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,49,38,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,20,31,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,91,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 21 Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 21,38,59,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 22-Co-operation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,48,20,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 60,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 26,14,67,000 for Loans and Advances be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 25-Loans and Advances.

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have also received the notices of 14-00 बजे of out motions which read as under:—

1. Sarvshri Bansi Lal, Karan Singh Dalal, Om Parkash Jindal, Ram Bhajan and Chhattar Singh Chauhan on Demand No. 3;
2. Sarvshri Bansi Lal, Om Parkash Jindal, Ram Bhajan and Chhattar Singh Chauhan on Demand No. 8;
3. Sarvshri Bansi Lal, Karan Singh Dalal, Om Parkash Jindal, Ram Bhajan and Chhattar Singh Chauhan on Demand No. 15;

4. Sarvshri Bansi Lal, Om Parkash Jindal, Ram Bhajan and Chhattar Singh Chauhan on Demand No. 17; and
5. Sarvshri Bansi Lal, Om Parkash Jindal, Ram Bhajan and Chhattar Singh Chauhan on Demand No. 23.

As any of the Hon'ble Members giving notices of cut motions is not present in the House, the notices are not moved.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,67,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 2-General Administration.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 26,92,14,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 3-Home.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,79,30,05,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,91,06,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17,61,42,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 6-Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,58,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 7-Other Administrative Services.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,58,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 8-Buildings and Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 94,92,21,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 9—Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,61,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 10—Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,67,78,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1996 in respect of Demand No. 11—Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,08,77,000 for revenue expenditure and Rs. 40,41,08,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 14—Food and Supplies.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 34,15,80,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 15—Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,52,60,000 for revenue expenditure and Rs. 17,76,67,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 16—Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,49,38,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,20,31,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,91,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 21—Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 21,38,59,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 22—Co-operation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,48,20,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 23—Transport.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 60,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 24—Tourism.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 26,14,67,000 for Loans and Advances be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1996 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 9.30 A. M. tomorrow.

*14.02 hours | (The Sabha then *adjourned till 9.30 A. M. on Friday, the 1st March, 1996).

Vertical line of text on the left margin, possibly a page number or header.

Main body of text, consisting of several paragraphs of faint, illegible characters.

Vertical text on the right margin, possibly a page number or footer.